विशेष शिक्षा में डिप्लोमा

(मानसिक मंदता)

B.Ed. SE-95

पाठ्यपत्र–IV

मानसिक मंद व्यक्ति – परिवार एवं सामुदायिक अन्तक्रिया

Psychological and Family Issues M.12

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान,

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय)

मनोविकास नगर, सिकन्द्राबाद, पिन.500009

फोन : 040- 7751741- 745

विषय-सूची

अनुभाग	विषय	पृष्ठ संख्या
01	परिवार	01
02	समुदाय संगठन	18
03	सामाजिक समूह कार्य	25
04	मानसिकता मंदता के क्षेत्र में सामाजिक वैयक्तिक कार्य का अभ्यास	36
05	केस हिस्ट्री और साक्षात्कार लेना	44
06	परामर्श	50
07	योगीकरण और पुनर्वास	59
08	मानसिक मंदता के प्रति सामाजिक अभिवृति लोक विचार ओर गलत धारणाएं	81
09	शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावक एक साथी के रूप में	86
10	अभिभावक संघ	94
11	अभिभावक और परिवार के सदस्यो की भावनाएं व समायोजन प्रकिया	103
12	एजेंसी और कार्यकम	105

अनुभाग - 1

परिवार
(Family)

परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, जिसमें सदस्यों के रूप में विपरीत लिंगों के दो व्यक्ति विवाह के द्वारा साथ में रहते हैं। मनुष्य के सभी समूहों में से परिवार सबसे महत्त्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। इसमें बच्चों सहित शामिल होते हैं, जिसमें एक दूसरे के प्रति अपेक्षाएँ/आशाएँ भी होती हैं और ये अपेक्षा आशाएँ उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार बनती हैं।

बीगज और लौके के अनुसार, "परिवार व्यक्तियों का समूह है जिसमें कि विवाह के बंधन से एक जुट होकर रहते हैं" वे खून का रिश्ता या अपना कर, एक गृहस्थ परिवार का निर्माण करके, पति और पत्नी, पिता और माँ, बेटा या बेटी और भाई व बहन उनकी अपनी सामाजिक भूमिका, एक दूसरे से अन्तः क्रिया या अन्तः सम्प्रेषण करते है और इस प्रकार वे सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं"।

मेकाइवर के अनुसार "परिवार एक समूह है। यह वह समूह है जिसमें निश्चित यौन सम्बन्ध स्थापित करते हुए बच्चे पैदा करना और उनका लालन–पालन करना शामिल होता है।" मेकाइवर के अनुसार।

परिवार की विशेषताएँ

1. **यौन सम्बन्ध (Mating Relationship)**: परिवार वैवाहिक संस्था के माध्यम से दम्पति में यौन सम्बन्धों को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है। यौन सम्बन्ध एक मुख्य कारक है, जिसके द्वारा विवाह सम्पूर्ण रूप में स्थापित होता है।
2. **वंशनाम (Nomenclature)**: प्रत्येक परिवार का अपना नाम व गोत्र होता है।
3. **आर्थिक व्यवस्था (Economic Provision)**: सभी परिवारों को अपने भरण पोषण, स्थायित्व और सन्तुलित वृद्धि के लिए आर्थिक व्यवस्था की जरूरत होती है। परिवार का मुखिया इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
4. **सामान्य निवास (Common Habilitation)**: परिवार को निवास के लिए घर या गृहस्थी की आवश्यकता होती है। बिना किसी स्थायी स्थान के बच्चे पैदा करना और लालन–पालन करना कठिन हो सकता है।
5. **सार्वभौमिकता (Universality)**: परिवार सार्वभौमिक है। इसे व्यक्ति के जीवन में प्रथम सामाजिक संस्था के रूप में पहचाना गया है। कोई भी संस्कृति/समाज परिवार के एक या दूसरे स्वरूप के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकता।
6. **भावनात्मक आधार (Emotional Basis)**: परिवार मानव समाज की एक मूलभूत इकाई है, जो व्यक्ति को जन्म से मृत्यु पर्यन्त भावनात्मक एवं सामाजिक संरक्षण प्रदान करता है।

7. **समाजीकरण और प्रारम्भिक रचनात्मक प्रभाव (Socialization and Early Formative Influence):** परिवार समाज की सबसे शक्तिशाली इकाई है, जो कि व्यक्तियों को सामाजिक रूप से मान्य व्यवहार सीखने में सहायक होती है।

8. **सामाजिक नियमन (Social Regulation):** परिवार विशेष तौर पर रीति–रिवाजों तथा नियमों से घिरा हुआ होता है, जिसका आसानीं से उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

परिवार की आधारभूत संरचना (Basic Structure of Family)

परिवार का अस्तित्व वही माना जाता है, जहॉ व्यक्ति खून के रिश्ते के कारण हैं या घर में साथ–साथ एक छत के नीचे रहते हैं। एक दूसरे के लिए जहॉ सम्बन्ध स्वाभाविक होते हैं, सदस्यों के लिए कोई कठोर नियम या संरचना नहीं होती। यह प्राकृतिक तौर से अनौपचारिक होता है। परिवार की संरचना सॉस्कृतिक और अपसॉस्कृतिक आधारों पर भिन्न–भिन्न होती है। परिवार के स्वरूप और प्रकार होते हैं। "जो कि परिवार की संरचना और श्रेणी को परिलसित करता है,

मूर्स(लोकाचार) (Mores): मोर्स का अर्थ ऐसे व्यवहारो से है जिसमें समुह कल्याण की भावना होती है लेटिन भाषा के शब्द मोर्स का अर्थ है प्रथा

When the folkways have added the conception of group welfare standard of right and wrong then they are converted into mores.

जब एक लोकाचार समाज मे अधिक दिन प्रचलित रहता है, तथा यह अनुभव किया जाता है कि यह समाज के लिए आवश्यक है तो वह मोर्स का रूप ले लेता है जैसे एक विवाह की प्रथा, सतीप्रथा! इन नियमो का उल्लघंन करने पर दंड का प्रावधान होता है।

सामाजिक प्रतिमान (Social Norms) :- सामाजिक प्रतिमान समाज के वे नियम है जो समाज द्वारा स्वीकुत होते है, जिनका पालन समाज के अधिकांश व्यक्ति करते है जो व्यवहारो पर नियंत्रण रखते है और जो हमें उचित अनुचित का बोध करवाते है।

A norm in short is a standarded mode of procedure away of doing something, that is acceptable to our society.

परिवार का (स्वरूप या रचना) आकार (Forms of Family)

परिवार के भेद निम्न है!

1. सदस्य संरचना के आधार पर
2. विवाह संबध के आधार पर
3. सता या अधिकार के आधार पर
4. निवास स्थान के आधार पर
5. वंश परम्परा के आधार पर
6. रचना के आधार पर
7. अंतह समुह एवं बाह् समुह संबधो के आधार पर

8. नातेदारी के आधार पर

1. सदस्य संरचना के आधार पर

क. मूल परिवार – मूल परिवार का सबसे छोटा आधारभूत रूप है इससे विवाहित पति–पत्नी और उनके अविवाहित बच्चो के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नही रहता । इस प्रकार मूल परिवार की सदस्य संख्या बहुत ही सीमित होती है ।

ख. संयुक्त परिवार – यदि कुछ मूल परिवार एक साथ रहते हो उनमें निकट का नाता हो, एक साथ भोजन करते हो, एक आर्थिक एकाई के रूप में कार्य करते हो तो उन्हे संयुक्त परिवार कहते है। हिन्दु परिवार इसी परिवार का एक उदाहरण है ।

ग. वैवाहिक संबध पर आधारित परिवार – यह धारणा 'चालस रीक' ने दी यह परिवार विवाह संबध पर आधारित होता है।

2. विवाह संबध के आधार पर परिवार के भेद –

क. एक पत्नी या एक वैवाहिक परिवार – यदि एक पुरूष एक स्त्री से विवाह करता है तो ऐसे परिवार को एक वैवाहिक परिवार कहते है आधुनिक समाज में इसी प्रकार के परिवार पाये जाते है!

ख. बहुपत्नी परिवार या बहुविवाहिक परिवार – इस परिवार में एक पुरूष या स्त्री एक से अधिक विवाह संबध स्थापित करे ऐसे परिवार के दो भेद है।

1. बहुपति वैवाहिक परिवार – जब एक स्त्री एक से अधिक पुरूषो से विवाह संबध स्थापित करती है तो उसे बहु वैवाहिक परिवार कहते है। उतरप्रदेश के जौनसार बावर की खास जनजाती ने इस प्रकार के परिवार पाये जाते है।

2. बहुपत्नी वैवाहिक परिवार – जब एक पुरूष एक से अधिक स्त्रियो से विवाह करता है तो उसे बहुपत्नी वैवाहिक परिवार कहते है भारत में नागा, गोड वैगा आदि जनजातियो में इस प्रकार के परिवार पाये जाते है ।

3. सता या अधिकार के आधार पर

क. पितृस्तात्मक परिवार– जिन परिवार में पिता जी परिवार का कर्ता होता है अथार्त उसी के हाथ में परिवार की सारी सता या अधिकार होता है वह मुख्य पुरूष ही सम्पति का स्वामी होता है, धार्मिक संस्कारो की अधियक्षता करता है, देवताओ तथा अग्नि कुंड का संरक्षक होता है ऐसे परिवार को पितुस्तात्मक परिवार कहते है ।

इस प्रकार का परिवार इब्रानियो, युनानियो, रोमनो तथा भारतीय आर्यो में प्रचलित है।

विशेषताएं

1. पत्नी विवाह के बाद घर रहने जाती है।
2. पिता परिवार की सम्पति का सर्वोच्च स्वामी होता है।

3. वंशावली पिता के माध्यम से चलती है।

4. बच्चे केवल अपने पिता की सम्पति मे उतराधिकारी हो सकते है ।

ख. मातृातरत्मक परिवार – इस प्रकार के परिवार में सता परिवार की स्त्रियो के पास होती है, तथा सभी तरह के अधिकार व शक्तियां वृद्व स्त्री के हाथ में होती है।

विशेषताएं

1. वंशवाली माता के माध्यम से चलती है।

2. विवाह संबध अस्थायी होते है। पति कभी–कभी आक्सिमक मुलाकाती होते है।

3. बच्चो को पालन पोषण पत्नी के संबधियो के घर में होता है।

4. परिवार में सता पत्नी अथवा पत्नी के रिश्तेदारो के किसी प्रतिनिधि के हाथ में होती है।

5. सम्पति का हस्तांतरण माता के माध्यम से होता है तथा केवल स्त्रियां ही उतराधिकारी होती है।

मातृात्मक परिवार आदिम लोगो, जो घुमक्कड़ अथवा शिकारी का जीवन व्यतीत करते है में प्रचलित था।

4. <u>निवास स्थान के आधार पर परिवार के भेद</u> –

क. मातृस्थानीय परिवार – इस परिवार में लडका {पति} विवाह के पश्चात पत्नी के परिवार में रहने जाता है! ऐसे परिवार को मात्स्थानीय परिवार कहते है। भारत में नायर खासो गारो आदि जनजातियो में इस तरह के परिवार पाये जाते है।

ख. पितृस्थानीय परिवार – विवाह के पश्चात् यदि पति अपनी पत्नी के परिवार में रहने जाता है या पत्नी पति के घर रहने जाती है तो ऐसे परिवार को पितृस्थानीय परिवार कहते है। भारतीय हिन्दु परिवार तथा खाररो, भील आदि जनजातियो में इस प्रकार के परिवार पाये जाते है।

ग. नवस्थानीय परिवार – जब पति पत्नी विवाह के पश्चात् एक नये स्थान पर अपना घर बसाते है तो इस परिवार को नवस्थानीय परिवार कहते है। आधुनिक युग में इसी प्रकार के परिवार पाये जाते है।

5. <u>वंश परम्परा के आधार पर परिवार के भेद</u> –

क. पितृवंशीय परिवार – इस परिवार में वंश परम्परा पिता के वंश के आधार पर चलती है भारतीय हिन्दु परिवारों में वंश का निर्धारण पिता के वंश के आधार पर ही होता है।

ख. मातृवंशनीय परिवार – इस परिवार में वंश का निर्धारण माता के वंश के आधार पर होता हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य के अधिकार माता के साथ उसके संबध पर आध

पर होता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के अधिकार माता के साथ। उसके संबद्ध पर आधारित होता है। मालाबार में नायरो में इसी प्रकार के परिवार पाये जाते है।

6. रचना के आधार पर –

क. केन्द्रीय परिवार – जिसमें पति पत्नी तथा इनके बच्चे सम्मिलित होते है।

विवाह हो जाने पर बच्चे माता पिता के परिवार को छोड जाते है क्योकि नवविवाही अलग स्थान बना लेते है अतः माता पिता एवं दादा दादी के बीच भौतिक दुरी बढ जाती है।

ख. विस्तारित परिवार – इस परिवार में सभी भाई उनकी पत्नियां एवं बच्चे तथा अविवाहित कन्याएं एक ही घर में माता पिता के साथ रहती है वृद्धतम पुरूष घराने का शासक होता है। जिनका उतराधिकारी ज्येष्टतम पुत्र होता है।

7. अन्त समुह एवं बाह् समुह –

क. अन्तवैवाहिक परिवार – इस परिवार में अन्तसमुह के सदस्यो में ही विवाह हो सकता है।

ख. बर्हिवैवाहिक परिवार – इस परिवार मे बर्हिसमुह के सदस्यो के साथ विवाह हो सकता है।

8. नातेदारी के आधार पर परिवार के भेद

क. विवाह संबधी परिवार – इस परिवार में पति, पत्नी, उनके बच्चे एवं विवाह के आधार पर संबधित रिश्तेदार होते है

ख. रक्तसंबधी परिवार – इन परिवार मे रक्त संबधी तथा उनके जीवन साथी एंव बच्चे होते है।

परिवार के प्रकार (Types of Family)

1. नाभिक या केन्द्रीय परिवार **(Nuclear Family)** – इस प्रकार के परिवार में एक समान ग्रह में वे दम्पति रहते है जिनके बच्चे भी उनके साथ हो सकते है और नही भी हो सकते है!

विशेषताएं

a **बड़ों का नियंत्राण विवाह के बाद कम हो जाता है।**

b वैवाहिक जीवन में पुरूष का नियंत्राण कम हो जाता है।

c महिला को आर्थिक स्वतन्त्राता मिल जाती है।

d आकार में छोटा होता है।

e धार्मिक नियंत्राण कम हो जाता है। और धर्मनिरपेक्षता में बढ़ोतरी होती है।

f परिवार के दायित्वों से अनावश्यक क्रियाकलापों अलग करना है।

g बड़ों के मार्गदर्शन और निर्णय पर बच्चों **के विचार और निर्णय का हावी** होना।

मानसिक मंद व्यक्ति और एकाकी परिवार

लाभः

1. इसमें व्यक्तिगत रूप से देखभाल की जाती है।
2. परिवार का आकार छोटा होने के कारण निश्चित **व संगठित प्रशिक्षण सम्भव** होता है।
3. उचित स्त्रोत की उपलब्धि के कारण पुनर्वास कार्यक्रम स्थान ग्रहण कर पाता है।
4. परिवार के सदस्यों की सक्रिय भूमिका के कारण परिवार हस्तक्षेप कार्यक्रम प्रभावपूर्ण ढ़ग से कार्यान्वित किया जाता है।

हानिः

1. अभिभावकों के कार्यरत होने की स्थिति में अभिभावकों पर अधिक बोझ पड़ जाता है और समस्या बहुत अधिक हो जाती है।
2. गृहस्थ कार्य ठीक प्रकार से नहीं बॅट पाता है। बच्चे को प्रशिक्षण के कारण अभिभावकगण को तीव्र दुःख या कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है।
3. व्यक्तिगत, व्यवसायिक और भावनात्मक दबाव के कारण अभिभावकगण बच्चे को नजर अन्दाज कर देते हैं।
4. परिवार को सहारा न मिलने के कारण अभिभावकगणों **को भौतिक, मानसिक**, भावनात्मक और सामाजिक आधार पर धक्का लगता है।

5. अभिभावकगण की मृत्यु के पश्चात् व्यक्ति जो कि मानसिक मन्द है, उसका भविष्य एक समस्या बन जाता है।

6. वैवाहिक द्वंद्व या संघर्ष।

7. अभिभावकगण सामान्यतः विशेषज्ञों पर निर्भर रहते हैं या बच्चों को संस्थाओं में छोड़ देते हैं। उनके बच्चों का सामाजिक और भावनात्मक विकास नहीं हो पाता।

2. **संयुक्त परिवार (Joint Family):** संयुक्त परिवार छोटे परिवारों का समूह है। पिता व उनके भाई परिवार सहित एक छत के नीचे रहते। अपने संसाधनों का उपभोग मिल–जुल कर करते हैं। एक ही रसोई होती है और एक ही धर्म और संस्कृति का पालन करते हैं। वे अपने वित्तिय स्त्रोत ऐसे बनाते हैं, जिससे उनके परिवार की मांगे पूरी हो सकती हैं। इस परिवार में पिता या बड़ा भाई परिवार का मुखिया होता है। जिस पर की बाकी के उत्तरदायित्व होते हैं तथा परिवार के सदस्यों से सम्बन्धित निर्णय लेता है। इस परिवार की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।

1.परिवार का आकार बड़ा होता है।

2.संयुक्त व अविभाजित सम्पत्ति रहती है।

3.एक छत के नीचे ही सामान्य **गर्हस्थ और घर होते हैं।**

4.सामान धर्म का अनुसरण करते हैं।

5.गृहस्थ व्यवसाय और आर्थिक उपलब्धि सक्रिय रूप से जुड़ी होती है।

6.दोहरा अधिकार और उत्तरदायित्व **होने के कारण परिवार में कमजोर व विकलाये** व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ जाता है।

मानसिक मन्द व्यक्ति और संयुक्त परिवार- लाभ:

1. बच्चे की देखभाल बराबर बंट जाने से परिवार के सदस्यों पर बोझ कम पड़ता है।

2. बड़ों द्वारा स्वाभाबिक रूप से सहारा व मार्गदर्शन मिलने पर बड़ो के द्वारा अभिभावकों में द्वंद्व या संघर्ष और वैवाहिक अनबन कम हो जाती है।

3. उच्च सामाजिक अन्तःक्रिया के कारण सक्रिय सामाजिक, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और वाक् – भाषा के विकास हेतु उत्तेजनाएं सम्भव हो पाती है। इसी प्रकार बड़े–बूढ़ो से भी आ जाती है, जो कि बहुत कष्ट उठा रहे होते हैं।

4. आत्म सहायता का प्रशिक्षण, सामाजिक कौशल और उनका सामान्यीकरण करना आसान हो जाता है। क्योंकि परिवार के विभिन्न सदस्य पुर्नवास की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं।

हानियाँ:

1. जब बड़े–बूढ़े शामिल हो जाते हैं तो अधिक छूट और आवश्यकता से अधिक देखभाल संभव हो जाती है।

2. बच्चे की लालन पालन में अस्थिरता और अनुशासनहीनता स्थान ग्रहण कर लेती है, जब बहुमुखी और संघर्ष पूर्वक बच्चे का लालन पालन होता है।

3. गलत धारणाओं, धार्मिक तल्लीनता और रीति रिवाजों पर निर्भर रहने से वैज्ञानिक

प्रशिक्षण प्रभावपूर्ण हो पाए।

4. एक समानता की पहुंच की बच्चे में कमी होगी, परिवार के सदस्य सहानुभूति दर्शाते हैं जिसके कारण वैज्ञानिक कार्यक्रम लागू नहीं हो पाते हैं।

5. जगह की समस्या या कभी–कभी बार–बार ध्यान भंग हो जाने के कारण तीव्र, संगठित और नियमित कार्यक्रम में रूकावटें आ जाती हैं।

6. एकान्तता में कठिनाई होती है। मानसिक मंद बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति हेतू परिवार का वातावरण बदला नहीं जा सकता।

7. परिवार की लापरवाह अभिवृति से पुर्नवास और व्यावसायिक स्थापन में देरी हो जाती है।

2. **विस्तृत परिवार (Extended Family):** ये नाभिक परिवार का विस्तृत रूप है। विस्तृत परिवार अकेले या घरों के समूह में रहते हैं। परिवार की (छोटा) सीमा में या घरों के समूह एक ही जगह में विस्तृत होते हैं। विस्तृत परिवार मे माता–पिता तथा उनके बच्चे और माता–पिता के करीब के रिश्तेदार जो कि निरन्तर परिवार के साथ रहते हैं। विस्तृत परिवार में धन की बचत होती है और श्रम विभाजन का लाभ होता है।

पारिवारिक संकट, असंगठित परिवार और हस्तक्षेप (Family Crises,Family Disorganisation & Intervention)

चाहे किसी भी प्रकार या रचना या स्वरूप का परिवार हो अथवा उसकी किसी भी प्रकार की सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो, परिवार के सभी सदस्य महत्वपूर्ण होते हैं और परिवार में स्थिति के अनुसार सदस्यों को भूमिका सौप दी जाती है। जब भूमिका निश्चित हो जाती है तो अपेक्षा व कर्त्तव्य के बीच में समझौता हो जाता है, जिससे एक मधुर सम्बन्ध बनता दिखाई देता है। जब परिवार में संकट आ जाता है तो किसी भी कारण से परिवार को सहायता बाहर के स्त्रोतो से लेनी पड़ती है। इस प्रक्रिया को परिवार–हस्तक्षेप कहते हैं। समस्या को सुलझाते हुए, मानसिक मन्द व्यक्ति के उपस्थिति से उत्पन्न हुई हो इसमे परिवार के सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की स्थिति उसके प्राकृतिक स्वभाव और तीव्रता को देखते हुए कर्त्तव्य और अपेक्षा में परिवर्तन आ जाता है।

परिवार का मानसिक मन्द व्यक्ति से समायोजन (Family Adapting to Person with Mental Retardation)

जीवन के कुछ पहलू होते हैं, अभिभावकगणों को जाना जाता या समझा जाता है। जैसे अपेक्षा, घनातमक ओर प्रोत्साहित दृष्टिकोण होते है। हर अभिभावक यह चाहते है कि उनके घर में स्वस्थ बच्चा हो परन्तु कुछ व्यक्ति जिनकी नापसन्दी रहते हुए भी मानसिक मंद बच्चे होने की स्थिति में जबरदस्ती आना पड़ता है। अभिभावक जिनके पास मानसिक मंद बच्चा है, उन्हें दबाव और दुख: का अनुभव करना पड़ता है। यह विशेष रूप से बहुत ही दुख भरी स्थिति होती है।

- जब अभिभावकगण को पता लगता है कि बच्चा विकलांग है।
- जब बच्चा स्कूल जाने के लिए तत्पर हो जाता है।

– जब अभिभावक वृद्ध होने लगते है। और अपने बच्चे के कल्याण के बारे चिन्तित हो जाते हैं।

प्रारम्भिक प्रतिक्रिया (Initial Reactions): अभिभावक की मानसिक शक्ति अशान्त हो जाती है। जब उन्हें पता लगता है कि उनका बच्चा विकलांग है। उदासी, डर, चिन्ता, गुस्सा, निराशा, विरोधीपन इत्यादि स्थितियों को हम उनसे सह सम्बन्धित कर सकते हैं। किन्तु सहारा और सूचना प्राप्त करने की चाहत को दर्शाते हुए वे धीरे–धीरे वास्तविक स्थित को अपना लेते है और कारण जानना शुरू करते हैं। अभिभावकगणों पर सामाजिक, भावनात्मक, भौतिक और वित्तिय प्रभाव भी पड़ता है। बहन–भाई मानसिक दबाव का अनुभव करते हैं, भावनात्मक रूप से गड़ बड़ा जाते हैं और सामजिक कलंक मानते हैं। इसके अलावा आन्तरिक व्यक्तिगत सम्बन्धों पर भी प्रभाव पड़ता है। गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से जिस प्रभाव को अभिभावक अनुभव करते है, वह भिन्न होता है। जो कि निम्न कारको पर निर्भर करता है।

1. जिस प्रकार की प्राकृतिक सहायता समुदाय से मिलती है
2. कोपिंग कौशल (जूझने का कौशल)
3. विकलांगता का स्तर, आयु, लिंग और सहसम्बन्धित **समस्याएं जो कि उसमें** विद्यमान है और विद्यमान नहीं है; जिससे **अभिभावक जो अनुभव कए रहे हैं उस** पर बहुत अधिक असर पड़ता है।

समायोजन युक्तियाँ (Coping Strategies)

अभिभावकों की समायोजन युक्तियां अत्याधिक व्यक्तिगत होती हैं। कुछ लोग समायोजन कौशल व स्त्रोत पर्याप्त हाने से अन्य की अपेक्षा बेहतर ढ़ग से स्थिति से निपट पाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए तीव द्वंद्व एक प्राचीन दुःख बन जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो वास्तविकता को स्वीकार करते है, अपने बच्चों को प्यार करते हैं चाहे गम्भीर विकलांगता कितना भी है। अभिभावकों को निम्न प्रकार दबावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ता है।

1. **अपेक्षाओं में बदलाव (By Altering Expectations)** : एक बार जब विकलांगता का पता चल जाता है और उसे स्वीकार कर लिया जाता, कई अभिभावक बच्चे की छोटी से छोटी बढ़ोतरी और विकास से प्रोत्साहित होना सीख जाते हैं। उन्नति उन्हें प्रसन्ता देती है।
2. **समस्या में सुधार लाना (Amelioration of the Problem)%** समस्या दूर करने के लिए व्यवसायिकों से सम्पर्क कर अभिभावक दबाव व तनाव कम कर पाते हैं।
3. **समस्या से तादातम्य स्थापित करना By Identifying with the Problem):** इसका अर्थ समस्या से समझौता करना है। स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करके और कई केसिज (Cases) में सम्बन्धित से सम्बन्ध स्थापित करके जैसे (मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षा व थैराप्यूटिक) कुछ और भी समायोजन की तकनीक है। जो दबावपूर्ण स्थिति में माता–पिता द्वारा अपनाई जाती है और जो कि बच्चे तथा परिवार वालो पर ऋणात्मक प्रभाव डालती हैं जो इस प्रकार है।

a) **अलग कर लेना (Withdrawal):** अभिभावक, सम्बन्धियों, मित्रों और यहाँ तक कि उन प्रक्रियाओं से भी दूर रहने की कोशिश करते हैं जो कि बच्चों के विकास के लिए जरूरी है। इस प्रकार से वह एक अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, जो उन्हें व उनके बच्चों को समाज से दूर ले जाता है।

b) **अधिक लाड़ प्यार:** इसका परिणाम भी परिवार वालों को तथा उनके बच्चों को समाज से अलग कर देता है। इससे बच्चे के विकास तथा परिवार की स्थिरता में अवरोध पैदा हो जाता है।

स्त्रोतः

आन्तरिक स्त्रोत	बाहरी स्त्रोत
– ईश्वर में विश्वास	– समुदाय के द्वारा स्वीकृति
– ऊर्जा	– मजबूत विस्तृत परिवार
– आत्म दृढ़ता	– सहायक साथी
– समस्या का समाधान कौशल	– नजदीकी दोस्त और रिश्तेदार
– सामाजिक आर्थिक दशा	– अनिर्णायकमनोवृत्ति का व्यावसायिक
– सामान्य ओर विशेष विश्वास	
– धर्म में विश्वास	

समायोजन के तरीके (Patterns of Adjustment)

1. **अस्वीकृति (Rejection):** विकलांगता से सम्बन्धित नकारात्मक मूल्यों के कारण बच्चे की इच्छाओं और आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। बच्चे को तथा प्रत्यक्ष रूप से आघात करके अस्वीकृति जताते हैं। अस्वीकृति का तीव्रीकरण इसलिए होता है, क्योंकि

   a) अभिभावकगणों का विचार होता है कि बच्चा शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से उन पर बोझ है।

   b) बच्चे के असामान्य रूप को देखकर अभिभावक उस बच्चे से घृणा करते हैं।

   c) बच्चे की गम्भीर व्यवहारिक समस्या के कारण अभिभावकों पर दबाव पड जाता है।

   d) व्यवसायिकों के द्वारा जब अभिभावकों को अस्पष्ट सूचना मिलती है।

   e) परिवारिक दबाव, परिवार और उसका स्तर, भावनातमक अस्थिरता भी अस्वीकृति को पैदा करती है।

2. **स्वीकृति (Acceptance):** स्वीकृति को परिभाषित करते हुए रोबिनसन एण्ड रोबिनसन कहते हैं कि आमतोर पर यह देखा जाता है कि बच्चे के प्रति आदर की भावना पैदा होती है, बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं। बच्चे की कमियों को भी सहन कर लेते हैं और सक्रिय रूप से उसके साथ घुलमिल जाते हैं। परिवार वालो के घुल मिल कर एक हो जाने पर ही स्वीकृति का मूल्यांकन कर सकते हैं।

3. **समायोजन (Adjustment)**: अभिभावकगणों जो कि उन कठिनाइयों को जानना चाहते हैं उनकी एक योग्यता है। जिस के कारण वह व्यक्तिगत रूप से कुण्ठित है और वास्तविक रूप से कौन सी चीज संघर्ष पैदा कर रही है। समयोजन बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होता है ओर विभिन्न स्थितियों के अनुसार जिसमें कि उसे स्थान प्रदान किया जाना है।

समायोजन में बाधाएं (Inhibitors in Coping)

- परिवार के सदस्यों का स्वास्थय ठीक न होना।
- परिवारिक समस्याएं – वैवाहिक कलह
- सहायता की कमी .– बड़े व्यक्ति की मृत्यु
- परिवार, समुदाय, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, मित्रों और कर्ताओं की स्वीकृति में कमी।
- बाहर वालों के अत्यधिक हस्तक्षेप।
- वित्तीय स्थितियों में कमी।
- व्यवसायिकों द्वारा गलत मार्गदर्शन।
- उपलब्ध सेवाओं की सूचनाओं में कमी।
- गलत धारणाए
- व्यवहारिक समस्याएं।

परिवार हस्तक्षेप प्रक्रिया (Family Interventeion Process)

वह परिवार जिसमें मानसिक मन्द बच्चा है ऐसे परिवार में लम्बे समय तक वास्तविक समस्या रहती है, जिसका सामना करना उन्हें सीखना चाहिए। कभी–कभी यह समस्या इतना कठिन हो जाता है कि दबावपूर्ण स्थितियों पर नियन्त्राण नहीं हो पाता है जिसका प्रभाव परिवार की स्थिरता पर पड़ता है। परिवार को कई भावनात्मक, सामाजिक और वित्तिय संघर्षों का सामना करना पड़ता है, अतः हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है।

परिवारिक हस्तक्षेप एक विधि है जिससे व्यवसायिक परिवार की समस्याओं का समाधान करने में ओर ऐसे कौशल उत्पन्न करने में सहायता करने की कोशिश करते हैं जिससे परिवार समस्यात्मक स्थितियों का सामना कर सके। दूसरे शब्दो में व्यवसायिक परिवार की योग्यता को मजबूत करने की कोशिश करते हैं ताकि परिवार में कलह या संघर्ष पैदा कर रही दबावपूर्ण स्थिति में उनका सामना कर सकें। परिवार हस्तक्षेप प्रक्रिया को तीन मुख्य अवस्थाओं में वर्णित किया जा सकता है।

1. **प्रारम्भिक अवस्था (Beginning Stage)** : आरम्भ में कार्यकर्ता परिवार वालो से सम्बन्ध बनाने की कोशिश करते है, ताकि समस्या से सम्बन्धित तत्वों का पता लग सके उसके कारण और प्रभाव को देखा जा सके। विस्तृत केस हिस्टरी लेने के माध्यम से परिवार वालों के सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सम्प्रेषण तरीका, मिलनसार, सामाजिक कार्य प्रणाली, अभिवृति, प्रतिक्रियां, विश्वास, अपेक्षा, समस्या समाधान और

दूसरे तत्व जो कि परिवार की कार्य प्रणाली से सम्बन्धित हो उनके उपयुक्त आंकड़े ले सकें। यह एक आरम्भिक और विस्तृत अवस्था है, जहाँ पर कार्यकर्ता परिवार वालों को जानने समझने की कोशिश करता है। परिवार की परम्पराओं और व्यक्तित्वों को ध्यान में रखते हुए परिवार वालो का समस्यात्मक स्थिति के प्रति क्या विचार है, का पता लगता है।

2. **नैदानिक अवस्था (Diagnostic Stage):** आरम्भ में कार्यकर्ता साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित तत्वों का विश्लेषण करता है। समस्या से सम्बन्धित तत्वों की अलग स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जैसे तीव्र विकास, वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक रूप से विषलेशण करता है। कार्यकर्ता परिवार के परिवर्तनों का मूल्यांकन करता है। विस्तृत विकल्प और उचित विधि के चयन के द्वारा यन्त्रों और तकनीक परिवार को सहायता पहुंचाने के लिए प्रयोग करता है ताकि वह उन शक्तियों को दुबारा से प्राप्त कर स्थितियों के साथ समायोजन कर ले।

3. **समापन अवस्था (Winding up Stage):** यह एक आखिरी स्टेज है, जिसमें दोनों कार्यकर्ता और मदद लेने वाला बराबर सक्रिय होते है। सफलता को मापा जा सकता है कि वह विभिन्न स्थितियों का सामना किस प्रकार से कर रहा है। मदद लेने वाला इस काबिल हो कि वह निर्भरता की स्टेज से आत्मनिर्भरता की स्टेज में स्थानान्तरण कर सके और चुनौतियों का सामना कर सकें।

यदि कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा तो परिवार निरन्तर रूप से दबाव पूर्ण स्थिति में रहेगा। जिससे कि परिवार की कार्यप्रणाली में गंभीर असर पड़ेगा। जिसका परिणाम यह होगा कि परिवार मुख्यधारा से वंचित रह जाएगा। समय–समय पर मदद ओर हस्तक्षेप से परिवार संघर्ष कलह वाली स्थितियों में दृढ़ता से सामना कर सकता है।

प्रभावी सहायता–सम्बन्ध विकसित करने वाले कारक (Determinants of Developing Effective Helping Relationship)

1. **अभिप्रेरणा (Motivation):** मदद लेने वाले को (क्लाइंट) मदद की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी तो मदद हो सकती है। कार्यकर्ता के लिए भी आवश्यक है कि वह इस तरीके से परिवार के सदस्यों को समझे और जो कारक उस परिवार की संरचना ओर उसके संघटन पर प्रभाव डाल रहे हैं, उनके बारे में उन्हें शिक्षित करे।

2. **भावनात्मक क्षमता (Emotioinal Capacity):** यह आवश्यक है कि मदद लेने वाले में योग्यता हो ताकि वह समस्यात्मक स्थिति के कारण जो दबाव उत्पन्न हो रहा है उसका सामना कर सके। आत्म विश्वास का विकास हो जिससे वह अपने आप स्थितियों का सामना कर सके। योग्यता को विस्तृत करे जिससे कि वह निर्णय कर सकने के योग्य हो सके। समस्या के समाधान के लिए विकल्प ढूंढे। अपने अनुभवों को बांट सके, अपनी इच्छाओं को स्वीकृत करें और अपने आप उनकी आलोचना भी कर सके।

3. **बुद्धि (Intelligence):** बुद्धि को यहाँ पर शैक्षिक की अपेक्षा सामाजिक कार्यकलापों के रूप में समझाया गया है। एक व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए कि वह सामाजिक संदर्भ में सम्बन्धों को समझे, उसकी व्याख्या कर सके और उसी के अनुसार निर्णय ले। मौखिक योग्यता जिससे की वह अपनी समस्या को जाहिर कर

उसका समाधान भी कर सके। ये सब प्रभावपूर्ण सहायक सम्बन्ध मुख्य कारक होते हैं।

परिवार प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न तथ्य (Different Aspects (facts) Effecting Family Process)

परिवार सामाजिक प्रणाली का एक हिस्सा है। यह दूसरों को प्रभावित ही नहीं करता बल्कि सामाजिक वातावरण से प्रभावित भी होता है। अतः परिवार के तथ्यों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। यह 'विनिमय' और 'अन्तःक्रिया', परिवार और समाज के तीन विभिन्न स्तरों के अध्ययन के द्वारा ही संभव हो सकता है। यह तथ्य 'विनिमय' और 'अन्तःक्रिया' के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होता है। विनिमय (Transaction) से अभिप्राय परिवार और समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने से है। अन्तःक्रिया एक सम्प्रेषण है जिससे परिवार और समाज के बीच में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संबंध जाहिर होते है। यह शब्द केवल पारिवारिक हस्तक्षेप के संदर्भ में उचित पाया गया है।

अ) **सामाजिक संस्थागत स्तर (Societal Institutional Level):** परिवार एक बहुत बड़ी सामाजिक संस्था है, जो दूसरी सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रभावित होती है। इसमें सॉस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थाई रूप से लेने–देन के कार्यक्रम स्थापित किए जाते हैं। सभी प्रकार की कोशिशों के बावजूद भी परिवार की प्रणाली तथा सामाजिक आवश्यकताओं के बीच एक मानसिक मंद बच्चे के जन्म से या उपस्थिति से कुछ न कुछ कमी रह जाती है, जो आगे चलकर जटिल हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए परिवार दबावपूर्ण स्थिति में विभिन्न स्त्रोतों (सरकार, शैक्षिक, वित्तिय और धार्मिक) से मदद लेता हैं। परन्तु वास्तव में ये संस्थाए आवश्यकता विनिमय की ही पूर्ति करती है। और विभिन्न तरीकों से परिवार वालों को भावनात्मक, सामाजिक, वित्तिय तथा संरचनात्मक रूप से कमजोर कर देती है। परिवार जो कदम मिलाकर साथ चलते हैं, वे सहायक सेवाओं से लाभ उठा लेते है और बाकी इस प्रकार के सेवाओं से लाभ नहीं उठा पाते हैं और वे इस प्रकार की सेवाओं और सुविधाओं जो इन लोगों के लिए (परिवारों के लिए) उपलब्ध हैं से वंचित रह जाते हैं।

परिवार की दिन प्रति दिन की और भी कई आवश्यकताएं हैं जिन्हें सामाजिक संस्थाएं पूरा नहीं कर पाती हैं, जिससे परिवार वालों को मानसिक मन्द व्यक्ति की आवश्यकताओ को पूरा करने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए यदि यातायात की सुविधा में बाधा हो तो इससे परिवार को प्रशिक्षण स्थान पर पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार दूसरी सेवाएं कानूनी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कानून और नियमों के अनुसार, पानी, स्वास्थ्य, देखभाल इत्यादि भी समान रूप से महत्वपूर्ण तथा जरूरी है। दूसरे तथ्य जो कि शामिल किए जाते हैं समाज के प्रति परिवार के जो कार्य हैं, उनका वर्णन निम्न है।

1. **जैविक आवश्यकताओं को बनाए रखना (Maintenance of Biological Needs):** अन्य प्राणीयों की अपेक्षा मनुष्य जीवन का गर्भाधारण लम्बा होता है। उनकी सुरक्षा तथा देखभाल करने में लम्बा समय लग जाता है। जब तक बच्चा आत्मनिर्भर न बन जाए, अभिभावकों को उसकी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति

बच्चा आत्मनिर्भर न बन जाए, अभिभावकों को उसकी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। जैसे खाना, कपड़ा और रहने के लिए आवास। व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से मन्द है उनकी देखभाल तथा सुरक्षा और उनकी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति अभिभावकों को जीवन भर करनी पड़ती हैं।

2. **सन्तानोत्पत्ति (Reproduction):** समाज को ठीक प्रकार से चलाने के लिए योग्य सदस्यों तथा युवकों की जरूरत होती हे। जब एक पीढ़ी वृद्ध हो जाती है और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती है जोकि समाज के कार्यो में निरंतरता बनी रहती है।

3. **समाजीकरण (Socialization):** भावनात्मक सन्तुलन व सामाजिक सम्बंधों को बनाए रखने के लिए स्थिरता और विश्वसनीयताकी आवश्यकता होती है। यह तभी संभव होता है जब प्रभावपूर्ण सम्प्रेषण या अन्तःक्रिया बनी रहती है। इससे समाज के लोगों को अपने अनुभवों, इच्छाओं तथा भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने का मौका मिलता है। और इसी प्रकार दूसरों के भावों को जानने का भी अवसर मिलता है।

4. **सामान का उत्पादन (Goods Production)** :भिन्न–भिन्न आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं को एक या कुछ परिवार पूरा नहीं कर सकते, अतः विभिन्न व्यवसायों के माध्यम से परिवार की जिम्मेवारी को बॉटा जा सकता है।

5. **अनुशासन को बनाए रखना (Maintenance of Order):** किसी भी समूह में शांति बनाए रखने के लिए अनुशासन जरूरी होता है। समूह में दूसरों से आदर की अपेक्षा रखने से पहले दूसरों का आदर करना चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब कुछ नियम स्थापित किए जाएं तथा उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानान्तरित किया जाए और आने वाली पीढ़ी को सिखांया जाए कि उनको भी आदर करना चाहिए।

6. **सामूहिक गतिविधियों का अर्थ और अभिप्रेरणा बनाए रखना (Maintenance of Meaning & Motivation of Group Activity):** प्रत्येक व्यक्ति को उद्देश्य तक पहुंचने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार समाज को भी, अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए विधियों की आवश्यकता होती है। अगर यह लक्ष्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते तो वे अर्थहीन हो जाते हैं, जिससे उपलब्धि की प्रेरणा में कमी आ जाती है और समूहों में अन्तःक्रिया नहीं हो पाती और यह विखण्डित हो जाती है। इसलिए परिवार को प्रत्येक सदस्य के लक्ष्य को वास्तिविक ढ़ग से अर्थ देना चाहिए।

ब) **समूह अन्तःक्रिया स्तर (Group Interactional Level):** सामाजिक इकाई में प्रत्येक परिवार समाज का एक सदस्य है। अतः समूह में रहकर हमें नियमों का पालन करना पड़ता है, जो कि उस समूह में रहकर परिवार व समिति के द्वारा संचार करती है।

अन्तःक्रिया का साधन संचार है, जोकि सामाजिक एकत्रीकरण होता है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि परिवार बंधी हुई पद्धति है, परन्तु आपसी सम्बन्धों से सम्बन्धित है। वह परिवार के तरीके को परिवर्तन करना चाहता है, अतः इन सबके होने के बावजूद भी बेसिक वैल्यू परिवर्तित नहीं होती, पहले तो यह परिवर्तन होता नहीं है अगर आता है

तो वास्तव में नहीं होता, हां रीति–रिवाजों में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। विकासात्मक अवस्थायें (Developmental Stages) – जो कि परिवार में विकास लाते हैं:–

1. **स्थापन अवस्था (Establishment Stage):** परिवार विकास की प्रक्रिया में यह सबसे पहला चरण है। दो व्यक्ति एक अनुबन्ध (विवाह) के माध्यम से एक साथ रहने का निश्चय करते है। पति–पत्नी के सबंधो में जो बच्चों को जन्म देते हैं और जिससे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए को निर्धारित (नियोजित) किया जाता है।

2. **शिशु उत्पत्ति अवस्था (Child Bearing Stage):** बच्चे का जन्म परिवार व समाज के कार्यो में भाग लेने के लिए होता है, ताकि समाज के कार्यो में निरंतरता बनी रहे।

3. **लालन–पालन अवस्था (Child Rearing Stage):** यह बहुत ही जटिल स्थिति है। इसका सम्बन्ध बच्चों के लालन–पालन से होता है मानसिक मंद बच्चों का लालन–पालन करना कठिन है। यह एक अन्जान समस्या आ जाती है, अतः इस समस्या की पूर्ति करना कठिन हो जाता है। ध्यान न देने के कारण अभिभावकों में एक कमी रह जाती है, जिससे कि बच्चे का लालन–पालन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते, ये एक मुख्य कारण बन जाता है, अर्थात् बच्चे के लालन–पालन व समाज के बाकी हिस्सों में उसे इन्टीग्रेट करने की कमी रह जाती है।

4. **क्षेपण अवस्था (Launching Stage):** परिवार के सदस्य भविष्य के लिए अपने बच्चों को तैयार करते हैं, जिससे वह भविष्य का सुधार कर सकें तथा अपने भविष्य की योजना भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में असामान्य बच्चों के लिए अभिभावकों को बहन और भाई के प्रति अभिवृत्ति बनाना है।

5. **उत्तर अभिभावक अवस्था (Post-Parental Stage):** अभिभावक उनके उत्तरदायित्वों को सौंप देते हैं तथा उनसे सहारा भी कम प्राप्त करना चाहते हैं परन्तु यह विकलांग बच्चे की उपस्थिति में भिन्न हो जाता है। अभिभावकों का सहारा जीवन भर बच्चे के साथ रहता है। उनके बाद परिवार वाले या संस्था के लोग उनकी सुरक्षा करते हैं, अतः सहारे की उन्हें बहुत जरूरत होती है यहां सह सम्बन्धित समूह के द्वारा सम्बन्ध बनाने की आवश्यकता होती है।

स) **व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक स्तर (Individual Psychological Level):** प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में विकलांग बच्चे के प्रति व्यवहार विभिन्न प्रकार से होता है। अतः आवश्यकता है कि हर व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाए। इसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए:

1. प्रत्येक व्यक्ति कलाकार व दर्शक भी है अर्थात् वह न केवल उत्तरदायित्व की पालना करता है बल्कि अवहेलना भी करता है, अतः व्यक्ति की अभिवृति सही प्रकार से जितनी जल्दी हो सके, सही करनी चाहिए।
2. व्यक्ति व समूह विकास व्यक्ति के आन्तरिक गुण होते हैं।

भूमिका और भूमिका व्यवहार (Role and Role Behaviour)

समाज या समाज की ईकाई द्वारा दी गई स्थिति एक व्यक्ति को दी गई

भूमिका कहलाती है जो स्थिति उस व्यक्ति को दी गई है वह उसे ठीक प्रकार से चला रहा है या नहीं उसको निभाना या बरकरार रखना **भूमिका व्यवहार** कहलाता है और जो कार्य उसमें दिए जाते हैं उसे भूमिका कहते हैं।

समाज या समाज की ईकाई द्वारा दी गई स्थिति एक व्यक्ति को दी गई भूमिका कहलाती है जो स्थिति उस व्यक्ति को दी गई है वह उसे ठीक प्रकार से चला रहा है या नहीं उसको निभाना या बरकरार रखना **भूमिका व्यवहार** कहलाता है और जो कार्य उसमें दिए जाते हैं उसे भूमिका कहते हैं।

भूमिका और भूमिका व्यवहार के निभेदन के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनके कारण निम्नलिखित है:

1. भूमिका के बारे में ठीक प्रकार से न समझ पाना या समझाने में कमी रखना।
2. व्यक्ति में कुछ अयोग्यता के कारण अपनी भूमिका को ठीक प्रकार से कर नहीं पाता।
3. उसमें भूमिका को ठीक प्रकार से समझने की समर्थता न होना। विभिन्न स्तर की योग्यता होने के कारण भूमिका को न समझ पाना।
4. व्यक्तिपूर्ण होते हुए भी उसे जान–बूझकर न करे।

समाधान (Solutions)

1. अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति **करने के लिए अपनी विधि को बदलना।**
2. उनकी उम्मीदों में खरा उतरना।
3. चाहत को दूसरे व्यक्ति के साथ व्यक्त करना।
4. आशाओं को बढ़ाना।

परिवार में संकट की स्थितियाँ (Phases of Crises situation in Family):

घर में यदि मानसिक मंद बच्चा हो तो उस परिवार में उसका कोई रास्ता अर्थात् दूसरा कोई संभालने वाला नहीं होता। इससे परिवार में असन्तुलन बनता है। कार्य करने की योग्यता असंगठित हो जाती है। यह एक अस्थायी चरण होता है। समस्या का समाधान होने पर परिवार संगठित हो जाता है। अगर परिवार के सदस्य मानसिक मंद मे रूचि नहीं लेते तो असंगठित बना रहता है। परिवार के वे सदस्य जिनमें गलत धारणाएं है, उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और भावनात्मक सहारे के द्वारा बच्चे को सामान्य बनाने के लिए प्रयत्न करना ही संगठन का एक तरीका है। यह न केवल समाज का उत्तरदायित्व है, बल्कि परिवार का उत्तरदायित्व भी होता है कि वह बच्चे के विकास में कोशिश करें।

1. अतः जरूरत है उन चिकित्सकों की जो परिवार को परिवर्तित करें अर्थात् वे बच्चे का विकास कर सकने में तथा परिवार का रवैया बदलने की जागृति ला सके।
2. उन्हें मंद व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए।
3. परिवार के सदस्यों को मानसिक मंदता के प्रति सम्बन्ध अच्छे बनाने चाहिए।

परिवार में संगठन स्तर के संकेतक (Indicators of Organization Stage in a Family)

1. बच्चे की दिन प्रतिदिन की संरचनाओं का विचार करें।
2. समस्या की जो भी स्थिति आती है। उसके प्रति प्रतिक्रिया न करना जैसे (बच्चे को थप्पड़ मारना) और इसके प्रति कुछ प्रतिक्रिया न करना।
3. कैसा हो उनकी सामाजिक प्रतिक्रिया हो, उसको ध्यान में रखते हुए और सही मायने में सच्चाई को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट करना, न कि दिखावा होना चाहिए।

परिवार को दुराव से बचाना(Measures for Preventing Family Alienation)

1. समाज के लोगों की सहायता करना, जिससे कि वे मानसिक मंद व्यक्तियों के तथ्य के बारे में सीख सकें।
2. परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे अपने नजदीकी रिश्तेदारों तथा मित्रों में अपने अनुभवों को जाहिर कर सकें।
3. परिवार और समाज के बीच एक मानसिक प्रणाली को स्थापित किया जाए।
4. हमें समाज तथा जनसमुदाय में बोलने का अवसर **प्राप्त करना चाहिए ताकि** समुदाय के लोगों को शिक्षित किया जा सके।
5. हमें अपने आर्टिकल्स को प्रकाशित करना चाहिए, जिससे कि **हम अपने अनुभवों** और क्रियाओं को दूसरों के साथ बाँट सकें।

अनुभाग-2

समुदाय संगठन

(Community Organisation)

व्यक्तियों का समूह, जोकि सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, अपने सामान्य रूचियों को बांटते हैं, और जिनमें अपनेपन की बात होती है, को समुदाय की सज्ञा दी जा सकती है। समुदाय की रचना समूहों में कार्यों के द्वारा की जाती है और समुदाय संगठन का निष्कर्ष यह होता है कि वह इस प्रकार के समूहों में सामान्य कार्य संचालित करते हैं। समुदाय संगठन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय की आवश्यकता और लक्ष्यों को पहचाना जाता है। दृढ़ विश्वास (Confidence) और इन आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों का विकास करते हैं, आवश्यकताओं के प्रति क्रिया करते हैं और इस प्रकार से वह सहयोग और मिली जुली अभिवृति का विस्तार और विकास करते हैं और समुदाय में अभ्यास करते हैं।

समुदाय के साथ कार्य करने के दृष्टिकोण (Approaches)

1. सुधारात्मक दृष्टिकोण (Reform orientation): छोटे समूह या एक व्यक्ति जो कि विशेष या खास कार्य के लिए क्रिया करता है या योजनाएं ली जाती है यह सोच कर कि समुदाय का लाभ होगा वहां पर इस प्रकार की दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। इनमें से एक योजना हो सकती है और यह इस प्रकार से सम्भव हो सकता है जो कि निम्न है।

क) **प्रत्यक्ष क्रिया (Direct Action):** आवश्यक कानून लागू करने में अधिकारियो का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। कुछ आवश्यकताएं है जिनकी पूर्ति नहीं हुई हो, जिनकी पूर्ति की जा सकती है विद्यमान कानून के अन्तर्गत हुई हो।

ख) **प्रचार विधि (Sales Propaganda Method) :** जब मुद्दे जटिल हो जाते है और सदस्यों को सुविधा नही मिल पाती है एसी स्थिति में सेल्स प्रोपेगेन्डा (प्रचार विधि) विधि का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता पैदा करने के लिए समुदाय के सदस्यों से प्रचार के माध्यम विज्ञापन, लिखित आलेख, भाषण, को सुव्यवस्थित-करके या फिल्म से सहारा लिया जाता है।

ब) **समिति संगठन (Committee Organisation):** इस विधि में समूह के जो कि समिति का प्रतिनिधित्व करता है योजना में सुधार उत्पन्न करता है। जो कि समुदाय के सदस्यों से सहायता लेने में तीव्रता से कार्य करते है।

2. योजना आमुखीकरण (Planning Orientation) : मुख्यतौर से समुदाय में सदस्यों को, जहां पर विशेष और सामान्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसे कम करने के लिए योजना बनाई जाती है। इसमें इस प्रकार के दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। कुछ व्यक्ति जो कि कठिनाइयों के बारे में और समस्याओं की प्रकृति को समझते हैं, वह एक समूह बनाने की कार्यवाही करते हैं, समस्याओं को सुलझाने के लिए योजनाओं का विकास करते हैं। लक्ष्य को और भी स्पष्ट करने के लिए, प्राथमिक लक्ष्य को विभाजित किया जाता है। महत्वपूर्ण उपलक्ष्यों में विशेष कार्यों को निर्धारित करने के लिए समितियों को संगठित किया जाता है। कार्य की प्रकृति और योजनाओं पर निर्भर होकर समितियों

के सदस्यों का चयन किया जाता है। बड़े बूढ़ो, स्थानीय नेताओं और व्यवसायिको को शामिल किया जाता है समितियों के सदस्यों के रूप में।

3) आमुखीकरण प्रक्रिया (Process Orientation): इस प्रक्रिया के द्वारा समुदायों को प्रोत्साहित किया जाता है समस्याओं को पहचानने में और समस्याओं के साथ किस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से कार्य करना है। यह माना जाता है कि इस प्रकार के अनुभवों से समुदाय की समस्याओं से किस प्रकार से निपटे, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। जिसका सामना भविष्य में समुदाय को करना पड़ता है। इस दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि समूह और भी शामिल हो जाता है। एक साथ कार्य करने के इच्छुक हो जाते है। जहां पर सामान्य समस्याएं होती है। वहां पर समस्याओं से निपटने के लिए अधिक सहयोग मिलता है

सामाजिक कार्य - समुदाय संगठन → एक सामाजिक प्रक्रिया (Community Organisation as A Social Work Process)

समुदाय की परिभाषा Lindeman के अनुसार" कोई भी सचेत संगठन जिसमें विशेष या स्थानीय क्षेत्र के लोग सामूहिक तौर से विद्यमान होते हैं, जिसमें सीमित राजनैतिक स्वशासन अधिकार है जो कि प्राथमिक संस्था जैसे विद्यालय और गिरजाघर को सहायता देते हैं। और कुछ अपने आप पर निर्भर करते हुए पहचाने जाते हैं।

इस प्रकार की परिभाषा में गांव, शहर, कस्बा शामिल किए जाते हैं। यह समुदाय का परम्परागत और सामाजिक प्रत्यय है और जिसे सामान्यतः स्वीकार किया जाता है।

सुमदायिक संगठन के चरण (Steps in Community Organisation)

1. समुदाय का अनौपचारिक, परन्तु क्रमबद्ध रूप से सर्वेक्षण करना, जिसमें निम्न बातें शामिल हैं।
   - क. समुदाय का इतिहास
   - ख. भौगोलिक क्षेत्र
   - ग. जनसंख्या
   - घ. रीति–रिवाज, परम्परा, रूढ़िवादिता, उपनियम महत्त्वता।
2. समुदाय की आवश्यकताओं को पहचानना और उनकी प्राथमिकता निश्चित करना।
3. आवश्यकताओं को उपलब्ध करवाने के लिए विधियों तथा तकनीकों को जानना।
4. स्त्रोतों की खोज करना और उन्हें स्थानान्तरित करना।
5. वित्तीय या आर्थिक, तकनीकी और मानव ऊर्जा के स्त्रोतों को ढूंढ़ना।
6. समुदाय के लोगों में चेतना की जागृति करना।
7. समुदाय में विभिन्न समूहों और एजेन्सियों के कार्यों में समन्वय करना।
8. स्टाफ और बजट के कार्यक्रमों को आरम्भ करना।

समुदाय संगठन की स्थितियाँ (Conditions of Community Organisation)

सामाजिक कार्य को करने के लिए समुदाय संगठन एक तकनीक है। समुदाय संगठन का सिद्धान्त सामाजिक कार्य के उद्देश्य पर आधारित है। समुदाय संगठन, समुदायों की स्वयं की समस्याओं को पहचानने व समाधान करने के लिए प्रेरित करता है। स्थितियां जिसमें कि समुदाय के कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं। समुदाय संगठन में जो एजेंसिस शामिल की जाती है, उनके कार्य निम्न है:

1. समुदाय के कार्यकर्त्ता/एजेन्सी को उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए, जोकि

समस्याओं के रूप में समुदाय द्वारा पहचानी गई हैं।

2. सदस्यों में आत्मदृढ़ता को प्रोत्साहित करना।
3. समस्या के समाधान में सदस्यों को सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए।
4. समुदाय के साथ समझौता करके कदम मिलाकर चलना।
5. समस्या के समाधान की प्रक्रिया दौरान समुदाय के विकास को प्रोत्साहित करना।
6. समुदाय को स्वयं को समझने तथा एकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना।

समुदाय कार्यकर्ता की भूमिका (Role of Community Worker)

सामुदायिक कार्यकर्ता के द्वारा विभिन्न कार्यो को करने के लिए अनेक भुमिकाएं निभाई जाती है। यह भुमिकाएं निम्न प्रकार से हो सकती है।

क. सामुदायिक कार्यकर्ता – एक मार्गदर्शक के रूप में
ख. सामुदायिक कार्यकर्ता – एक सर्मथ्यदाता के रूप में
ग. सामुदायिक कार्यकर्ता – एक विशेषज्ञ के रूप में
घ. सामुदायिक कार्यकर्ता – एक सामाजिक उपचारकर्ता के रूप में

क. एक मार्गदर्शक के रूप में – सामुदायिक कार्यकर्ता सामुदायिक संगठन में सामुदायिक कल्याण के लिए निम्न रूप से एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। जिस प्रकार एक मार्गदर्शक अपने अनुभवो का प्रयोग कर नये सदस्यो को नये तथ्यो के सन्दर्भ में मार्गदर्शित करता है।

1. पहल – कार्यकर्ता में किसी कार्य को करने में पहल क्षमता होनी चाहिए अर्थात उसमें कार्य करने की उत्सुकता होनी चाहिए। जिस उत्सुकता से कार्य करता है उतनी उत्सुकता से समुदाय भी कार्य करता है।
2. वस्तुनिष्टता – वस्तुनिष्टता से तात्पर्य पक्षपात रहित होकर कार्य करने से अर्थात सामुदायिक कार्यकर्ता द्वारा किसी समुदाय में कार्य करने से पूर्व कोई अभिवृद्धि नही बनानी चाहिए बल्कि सर्मुदाय के सन्दर्भ में एकत्रित किए गए आंकडो के आधार पर कार्य करना चाहिए। सामुदायिक कार्यकर्ता को अपना व्यक्तिगत पक्ष /अभिवृद्धि का प्रयोग नही करना चाहिए।
3. समुदाय से तादात्मीकरण – सामुदायिक कार्यकर्ता को समुदाय मे कार्य करने से पूर्व समुदाय के लोगो के साथ तादात्मय स्थापित करना चाहिए अर्थात अपनी पहचान करवानी चाहिए। उसे स्वयं को समुदाय का एक हिस्सा मानना चाहिए तथा 'हम' की भावना से कार्य करना चाहिए।
4. भुमिका की स्वीकुति – कार्यकर्ता को सामुदायिक संगठन में अपनी भूमिका को स्वीकार करना चाहिए। उसे विश्वास होना चाहिए कि यह कार्य उस पर जबरदस्ती थोपा नही गया है बल्कि उसकी स्वयं इच्छा होनी चाहिए।
5. भुमिका का अर्थनिरूपण – सामुदायिक कार्यकर्ता को अपनी भूमिका समुदाय के लोगो को समझानी चाहिए अपने अधिकारों व कर्तव्यों के विषय में अवगत करवाना चाहिए। ताकि सामुदायिक सदस्यों को यह विश्वास हो सके कि सामुदायिक कार्यकर्ता समुदाय के लिए क्या कर सकता है।

ख सार्मथ्यदाता के रूप में – समुदाय कार्यकर्ता समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करता है कार्यकर्ता का प्रमुख उददेश्य समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना ही होता है।

1. असंतोष का केन्द्रीयकरण – एक समुदाय में असंख्य कमियां होती है जिनके विषय में समुदाय अनभिग्य होते है सामर्थ्यदाता के रूप में भूमिका निभाते हुए कार्यकर्ता का यह दायित्व बनता है कि समुदाय में विद्यमान असंतोष के विषय में समुदाय को बताये ताकि वह सामुदायिक संगठन में सहयोग दे।

2. संगठन को प्रोतसाहित करना – समुदाय में विभिन्न सदस्य एक लक्ष्य से लक्षित हो कर कार्य करे इसके लिए समुदाय कार्यकर्ता संगठन को प्रोतसाहित करता है!

3. अर्न्तव्यक्ति संबद्य की वृद्धि करना – समुदायिक कार्यकर्ता समुदाय में अन्त पारसपरिक संबद्यो को भी प्रोत्साहित करता है यह संबध व्यक्ति का व्यक्ति से, व्यक्ति का समुह से, समुह का समुह से, समुह का समुदाय से हो सकता है।

4. सामान्य उददेश्यो पर बल – समुदायिक कार्यकर्ता जनकल्याण के लिए उन्ही उददेश्यो को लेकर कार्य करता है जो अधिकतर समुदाय के सदस्यो द्वारा अपनाये जाते है ताकि कार्यकर्ता समुदाय के सदस्यो का विश्वास प्राप्त कर सके। इस विश्वास के द्वारा ही सामुदायिक कार्यकर्ता अन्य उददेश्यो की प्राप्ति के लिए सामुदायिक सदस्यो का सहयोग प्राप्त कर सकता है!

ग. विशेषज्ञ के रूप में – कार्यकर्ता विशेषज्ञ के रूप में अपने ज्ञान अनुभवो का निम्न प्रकार से करता है!

1. सामुदायिक निदान – कार्यकर्ता को सामुदायिक विशेषताओ, आवश्यकताओ, रूचियो व कमियो का ज्ञान करके समुदाय में विद्यमान समस्यो के संबध में अध्ययन करना चाहिए।

2. अनुसंधान कौशल–कार्यकर्ता विशेषज्ञ के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए अनुसधान कार्य पर भी बल देता है ताकि समस्या के संदर्भ में गहन अध्ययन किया जा सके।

3. अन्य समुदाय में सन्दर्भ में जानकारी – कार्यकर्ता को अन्य समुदाय के विषय में भी जानकारी रखनीं चाहिए ताकि उसमें उपयोग की जाने वाली विधियों का पता चल सके। अन्य समुदाय मे कमियो त्रुटियों, संसाधनो का ज्ञान हो सके।

4. प्राविधिक सुचना – अन्य योजनाओ में साधन साम्रगी प्रदान करने के लिए तकनीकी योजनाओ की जानकारी होनी चाहिए।

5. मूल्यांकन – सामुदायेक कार्यकर्ता मुल्यांकन कर्ता के रूप में भूमिका निभाता है कि उसने क्या उददेश्य रखा था। उददेश्य में कितनी सफलता प्राप्त की उसमें क्या कमियां रही ताकि भविष्य में इन कमियो को ध्यान में रखा जा सके।

घ. सामाजिक उपचारकर्ता के रूप में – जिस प्रकार एक डाक्टर अपने मरीज की नब्ज, बी.पी इत्यादि देखकर यह निदान करता है कि समस्या क्या है तथा उसका उपचार किस प्रकार किया जायेगा उसी प्रकार सामाजिक उपचारकर्ता समुदाय के संबध में सभी जानाकारी प्राप्त कर समुदाय की समस्योओ, आवश्यकताओ, कमियो का पता लगाकर उन्हे दूर करने का प्रयत्न करता है!

भूमिका निभाने में कठिनाइयाँ (Difficulties Faced in Carrying Out Role)

कार्यकर्ता को अपनी भूमिका निभाने के लिए कोई भी मार्गदर्शन नहीं मिलता, उसे पूर्ण रूप से अपने आप पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक प्रकार से निर्णय लेना भी उसका उत्तरदायित्व होता है। एक व्यक्ति और एक समुदाय में समस्याओं की समानता होना संभव नहीं है। थ्योरी की अपेक्षा स्थिति से अधिक सीखा जाता है। सफलता का मापन नहीं किया जा सकता, कि उसने क्या किया और समुदाय ने क्या किया, इसका मापन करना अत्यधिक कठिन हो जाता है।

समुदाय प्रक्रिया सशक्तिकरण हेतु उपाय (Measures to strengthen Community Process)

'समुदाय संगठन' को प्रभावी तरीके से चलाने के लिए मुख्य मुद्दे निम्नलिखित है:

१. कार्यकर्ता को चाहिए कि जो समुदाय के सदस्य हैं, उनकी आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करें।

२. प्रोत्साहित करने की विधि कौशलों द्वारा अपनानी चाहिए, ताकि वे अपने आप में अपने विचारों की खोज कर सकें कि उनमें भी जिज्ञासा तथा विचार हैं। वे उनकी अपने विचारों को क्रियाओं में ढालने में मदद करें।

३. सदस्यों की आवश्यकताओं और इच्छाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और कार्यक्रम इस प्रकार नियोजित करना चाहिए ताकि वे अपने आपको जाहिर कर सकें।

४. समुदाय की प्रक्रिया को इस प्रकार संचालित करें, जिससे कि समुदाय के सदस्य एक दूसरे के साथ मिल कर चल सके चल सके।

५ सम्पूर्ण रूप से विश्वास इस तरह स्थापित करें कि समुदाय के सदस्यों को लगे कि ये सही मित्र हैं। इस बात को शब्दों तरीकों व कार्यों के द्वारा जाहिर कर सकते हैं।

६. सदस्य की रूचियों और उनकी चिन्ताओं तथा जिज्ञासा को सुनने के लिए एक अच्छा श्रोता होना चाहिए।

७. सदस्यों की आवश्यकताओं को बिना किसी पक्षपात के मूल्यांकन करना चाहिए।

8- सदस्यों में आपसी आदर तथा सहनशक्ति का विकास करना चाहिए।

९. समुदाय के सामान्य लक्ष्यों की जागृति में वृद्धि करना।

१०. समस्या के समाधान की प्रक्रिया को पहचानने के लिए समुदाय के सदस्यों को पूर्ण सहयोग देना चाहिए।

समुदाय स्तर की समस्या (Community Level Problems):

ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में कई समस्याएं एक समान होती हैं, जो विभिन्न स्तरों पर विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती हैं। ये समस्याएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और इनका प्रभाव गहराई तक पड़ता है, जिसके कारण सम्पूर्ण समुदाय की प्रगति रूक जाती है।

1- अज्ञानता और जागरूकता की कमी (Illiteracy and Lack of Awareness):

ये दोनों स्थितियाँ एक–दूसरे से मिलती जुलती हैं। अधिकतर व्यक्ति अशिक्षित हैं, जिसके कारण उन्हें नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें समस्या के बारे में अधिक ज्ञान नहीं होता। यही कोशिश की जानी चाहिए कि सामान्य व्यक्ति में जागरूकता सामान्य रूप से फैलानी चाहिए, क्योंकि अभी भी व्यक्तियों को नकारा जाता है और उनके प्रति गलत धारणाऐं बनी होती हैं।

2– **सही सूचनाओं और मार्गदर्शन की कमी (Non-availability of Proper Information or Guidelines):** वांछित व्यक्ति जिसके सुधार शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं तो उपलब्ध हैं, किन्तु अधिकतर लोग इससे वंचित हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति जागरूकता के अभाव में वंचित रह जाता है, अतः इस प्रकार की सूचनाओं को ठीक तरीके से आम आदमी तक पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे कि व्यक्ति लाभ उठा सके।

३. **गरीबी और जनसंख्या की अधिकता (Poverty and Over Population):** गरीबी तथा जनसंख्या की अधिकता कल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्धारण व कार्यान्वित करने में बहुत बड़ी रूकावट है। कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजनाओं को लागू करने के लिए स्वयं सेवी संगठन आ रहे हैं, परन्तु आर्थिक स्तर मेa सीमित रह जाने की वजह से वे केवल कम व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं।

4– **पुर्नवास अवसरों की कमी (Lack of Rehabilitation Services):** राज्य के द्वारा दूसरे विषयों में प्राथमिकता तथा रूचि ली जाती है। पुर्नवास कार्यक्रम को संचालित किया जाता है, किन्तु विकलांग लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति सन्तुष्टिजनक ढंग से नहीं हो पाती।

5– **रोजगार सुविधाओं की कमी (Lack of Employment Facilities):** मानसिक मंद लोगों को नकारा जाने के कारण, बहुत से रोजगार कर्ता कार्य देने में हिचकिचाते हैं और यदि वे करते हैं तो या तो उसे कार्यकत्र नहीं माना जाता या फिर उस पर भी कार्यकत्र होता है। इस प्रकार विकलांग व्यक्ति की वृद्धि में विघटन आ जाता है, अतः इन रोजगार कर्ताओं में जागरूकता की आवश्कयता है ताकि वे उन्हें उचित प्रकार की रोजगार सुविधा दे सकें।

6– **सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की कमी (Lack of Social and Economic Security):** लम्बे समय की योजना बनाने की अपेक्षा कई सेवाएं जो कि बच्चों की अस्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए निर्धारित की जाती है। सभी अभिभावक अधिकतर अपने बच्चे के भविष्य की सुरक्षा के बारे में चिन्तित रहते हैं। यह प्रश्न अधूरा रह जाता है, कि उनके मरने के बाद कौन उनके बच्चों की देखभाल करेगा।

7– **गलतधारणाएं ओर कलंक (Misconception and Stigma):** अज्ञानता और अशिक्षा के कारण गलत धारणाएं उत्पन्न होती हैं और सामाजिक कलंक जुड़ जाता है। अभिभावक अपने बच्चों को बाहर भेजने से हिचकिचाते हैं क्योंकि वे, इस डर से ग्रसित रहते हैं कि समाज वाले उनका शोषण करेंगे तथा उन पर हसेंगे। इस भय से बचने के लिए उन्हें उचित सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए।

ये सभी मुद्दे किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा नहीं निपटाए जा सकते। ये

केवल समुदाय के स्तर पर ही किया जा सकता है।

समुदाय आधारित पुर्नवास (Community Based Rehabilitation) :

ये एक क्रमबद्ध दृष्टिकोण है, जिसके द्वारा उनके अपने ही समुदाय में रहते हुए स्थानीय स्त्रोतों का उपयोग करते हुए उनकी सहायता की जा सकती है। और समुदाय की अपने उत्तरदायित्व को समझने में भी मदद की जा सकती है। विकलांग व्यक्ति को समुदाय का एक हिस्सा समझकर उत्तरदायित्व दिया जा सकता है। इसलिए ये लक्ष्य होना चाहिए कि इसी समुदाय, परिवार और स्थानीय प्रशासन अन्तर्गत सक्रिय रूप से सेवाओं को शामिल करते हुए उन्हें इसी समुदाय में शामिल करें। ये सेवाएं व्यक्ति की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रदान करती हैं।

अनुभाग - 3

सामाजिक समूह कार्य

(Social Group Work)

समूहः कुछ लोग परस्पर अन्तःक्रिया हेतु अनुबंधित होते हैं इस वर्ग को समूह कहते हैं। वह एक–दूसरे को पहचानते हैं, वह अपने सामान्यतः रूचि, महत्ता, विश्वास तथा उपनियमों को आपस में बॉटते हैं। जिस उद्देश्य के लिए वे कार्य करते हैं, उसकी अपने सामान्य अभिपूर्ति हेतु वह एकत्रित होते हैं।

समूह के सदस्यों की विशेषताएँ (Characteristics of Group Members)

1. वे अक्सर मिलते हैं।
2. सदस्यों में गामात्मक अन्तःक्रिया होती है।
3. सदस्य एक–दूसरे पर निर्भर होते हैं।
4. उन्हें एक समूह की इकाई समझा जाता है।
5. उनकी गतिविधियाँ, लक्ष्य महत्त्व और मानक सामूहिक होते हैं।
6. सदस्यों को यह अनुभव होता है कि वे अन्य लोगों से अलग हैं।

सामाजिक सामुहिक कार्य

सामाजिक सामुहिक सेवाकार्य समाज कार्य की दूसरी महत्वपूर्ण प्रणाली है। जिसके द्वारा सामाजिक जीवन धारा में भाग लेने के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाली व्यक्ति की संबध सबंधी - समस्याओ को सामुहिक प्रकिया के प्रभावकारी प्रयोग द्वारा रोका जाता है। इस प्रणाली के अर्न्तगत सामाजिक संबद्यो का सचेत और निर्देशित प्रयोग करके समुह के सदस्यो के व्यक्तित्व की सीमा व भावनात्मक संबधो में वृद्वि की जाती है। इस प्रणाली द्वारा समुह के सदस्यो की शिक्षा, विकास और सांस्कृतिक सवृद्वि तथा समूह में व्यक्तिगत सम्पर्को के माध्यम से व्यक्ति में विकास एवं सामाजिक समायोजन की प्राप्ति की समस्याओं पर बल दिया जाता है सामाजिक सामुहिक सेवाकार्य में सहायता एवं परिवर्तन का माध्यम समुह एवे सामुहिक अनुभव होते है।

Group work is a method by which the group workers enables various types of groups to function in such a way that both groups interaction and programme activities contribute to the growth of the individual and, the achievement of disrable social goals.

Amarican Association of group workers

सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य एक प्रणाली हे जिसके द्वारा सामुहिक कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार के समूहो की इस प्रकार कार्य करने योग्य बनाना है कि सामुहिक परस्पर किया तथा कार्यक्रम संबंधी क्रियाए दोनो ही व्यक्ति की संवृद्वि एवं वाछित उददेश्यो की प्राप्ति में योगदान दे।

अमेरिकन एसोसिएशन आफ ग्रुप वर्कर्स

कोनोपका के अनुसार : श्रसामाजिक सामुहिक सेवा कार्य अन्य समस्त समाज कार्य की भांति विकास पर आधारित है तथा व्यवहार में कला है। यह सभी मानव की आधारभूत सामुहिक स्थितयो में उनकी सहायता करने की प्रणाली या विधि है।

विशेषताएं

1. सामाजिक सामुहिक सेवा कार्य व ज्ञानीज्ञान प्रविधि,सिद्वांतो एवं कुशलता पर आधारित एक प्रणाली एवं प्रकिया है!
2. यह समुह में व्यक्ति पर बल देता है!
3. यह किसी कल्याणकारी संस्था के तत्वाधान में किया जाता है।
4. इसमें व्यक्ति के विकास संबधी सहायता समुह के माध्यम से प्रदान की जाती है!
5. इसमें सेवा संबधी कियानवन में समुह स्वयं एक उपकरण होता है।
6. इसमें प्रशिक्षित कार्यकर्ता संबधो किया कलापो में समुह के अन्दर अन्तः कियाओ का मार्गदर्शन करने में अपने ज्ञान, निपुणता का प्रयोग करता है।
7. सामाजिक सामुहिक सेवाकार्य समुह में व्यक्तियो के साथ कर्मबद व्यवस्थित तथा निर्देशित ढंग से सहायता कार्य करने की प्रणाली है।
8. सामाजिक सामुहिक सेवाकार्य अभ्यास में मुल तत्व सामुहिक संबधो का सचेत एवं निर्देशित प्रयोग है।
9. इस प्रणाली के द्वारा कार्यकर्ता विभिन्न समुहो को इस प्रकार कार्य करने के लिए सहायता करता है कि उसके कार्यक्रम संबधी कियानवन तथा अन्तकियाए वाछिंत सामाजिक उददेश्यो की प्राप्ति एवं व्यक्तियो का विकास कर सके!

उददेश्य : व्यक्तियो का आपस में साथ रहना सामुहिक गतिविधियो में बौधिक स्तर पर, सवेगातमक स्तर पर संगलन रहने से निम्नलिखित उददेश्यो की पूर्ति संभव है।

1. **सुधारात्मक (Corrective):** जब सामाजिक या व्यक्तिगत जीवन में सदस्यों में उतार–चढ़ाव आ जाता है, तो सामूहिक कार्य प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के विश्वास और उसे फिर से समायोजित करने में मदद करती है। मानसिक रोगी, बाल अपराधी तथा भावनात्मक विघटित व्यक्ति के क्षेत्र में भी यह प्रकिया लाभप्रद है।
२. **रोकथाम (Preventive):** सामूहिक कार्य को हम उस स्थिति में भी उपयोग कर सकते हैं जहॉ पर सामाजिक समस्याएँ सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हैं, जैसे नवयुवक लड़के जो कि झोपड़–पट्टी में रहते हैं।
3. **सामान्य सामाजिक बढ़ोतरी (Normal Social Growth):** किशोरों और नवयुवकों में सामान्य सामाजिक बढ़ोतरी के लिए और सुविधाएं देने के लिए सामूहिक कार्यो का भी उपयोग किया जाता सकता है।
4. **व्यक्तिगत विकास (Personal Enhancement):** बच्चे में उन कौशलों या

योग्यताओं का विकास करना, जो कि उसमें अविकसित हैं, भी सामूहिक कार्य का हिस्सा है।

5. **उत्तरदायित्व और भागीदारी (Responsibilities and Participation):** सामूहिक कार्यों का प्रयोग व्यक्ति को कार्य सीखने में सहायता करता है, जैसे एक नेता के तौर पर और समूह की स्थिति के बारे में उत्तरदायित्व लेने में, लोकतान्त्रिक अभिवृत्ति और व्यवहार का विकास करने में किया जाता है।

6. खाली समय की गतिविधियों का अच्छी प्रकार से प्रयोग करने में भी किया जाता है।

7. **उपचारात्मक (Remedial):** सामूहिक कार्य उन व्यक्तियों जिनमें असमायोजित व्यवहार है, उनमें समायोजन करती है और यह समायोजन भौतिक, मानसिक तथा भावनात्मक क्षेत्रों में होता है।

8. लोगो को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए तैयार करता है।

समूह विकास:- लक्ष्य और महत्व (Group Development: Features and Importance)

1. इसके द्वारा ठीक प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है।
2. प्रभावपूर्ण प्रैक्टिकल तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।
3- भविष्यवाणी में और पूर्वानुमान में सहायता करता है।
4- अपनी अपेक्षाओं के बारे में जब हम जान जाते हैं तो हम वास्तविकता की ओर अधिक अग्रसर हो जाते हैं।

सामूहिक विकास के चरण (Stages of Group Development)

1- **गठन (Forming):** इस चरण की विशेषता यह है की समुह के सदस्यों की एक दूसरे के प्रति सहनशक्ति को सहन करने की सीमा कितनी है, को परिक्षित किया जा सकता है। एक दूसरे के प्रति तथा समुह कार्यकर्ता के प्रति समझ विकसित की जाए। परीक्षण किया जाए।

2- **उथल पुथल (Storming):** सदस्य अपनी–अपनी भूमिका तलाशते हैं, प्रारम्भिक अवस्था में सदस्य अपनी–अपनी शक्ति नियन्त्रण रखने की क्षमता से सम्बन्धित विषय उपजते हैं। कुछ सदस्य इस भय से प्रभावित होते हैं कि कहीं उनका भविष्य ही लुप्त न हो जाये।

3- **मानकीकरण (Norming):** समूह में एकता, विश्वास और घनिष्ठता का धीरे–धीरे विकास होने लगता है और सदस्यगण अपने उत्तरदायित्वों को लेना शुरू कर देते हैं।

4- **क्रियान्वयन (Performing):** समूह की संरचना और पहचान के विकास के लिए समूह के स्त्रोतों का प्रयोग किया जाता है।

5- **समाप्ति (Ending):** सामान्य भावनाएं इस स्तर पर लुप्त हो जाती हैं, इस तथ्य कि अन्त में कोई हमसे गुस्सा होगा या चिढ़ेगा, को भूल जाते हैं। धनात्मक अनुभवों और मेल–मिलाप का समूह में अनुभव किया जाता है।

समूह कार्यकर्त्ता की भूमिका (Role of Group Worker)

कार्यकर्ता समुह के लक्ष्यो, उददेश्यो एवं ध्यय को निश्चित करने मैं सहायता करता है तथा संस्था के उददेश्यो को समझने में सामुहिक भावना तथा आत्म–चेतना के प्रति चेतना का विकास करने में सहायता प्रदान करता है।

1. समुह कार्यकर्ता परस्पर संबधी कार्यक्रम व क्रियाओ संबधी क्रियाकलापों से समुह में व्यक्ति के विकास तथा वांछित उददेश्यो की प्राप्ति में सहायता करता है!

2. समुह प्रक्रिया को प्रभावित करने के उददेश्य से समुह के साथ सहायता करता है।

3. इसका उददेश्य अपने अनुभवो द्वारा अय समुहो तथा विस्तृत समुदाय के साथ संबध स्थापित करके धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समुह के साथ समझ उत्पन्न करना।

4. व्यक्ति की क्षमता व आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति का अन्य व्यक्तियो का अन्य व्यक्तियो, समुह का अयसमुहो, समाज सुधार के लिए व्यक्ति की प्रेरणा को स्वीकृति प्रदान करना है।

5. व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ अपनी क्षमताओ को प्राप्त करने का अवसर देना, एक दूसरे की प्रशंसा व आदर करना तथा सामाजिक उतरदायित्व को स्वीकार करने में सहायता देना है।

6. कार्यक्रम संबधी क्रियाकलापो तथा समुह के व्यक्तियो के साथ परस्पर सचेत रहकर कार्य करना।

7. समुह के साथ अपने संबधो व कार्यक्रमो को उपकरण के रूप में प्रयोग करना तथा सामाजिक मुल्यो के प्रति अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करना।

8. समुदाय के लोगो की रूचियो व आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए अनुभवो तथा संबधित क्रियाओ की संतुष्टि करना तथा उतरदायी नागरिक के रूप मेंसामातिकसंबधो में भाग लेने का अवसर प्रदान करना

9. कुछ सामान्य कौशल का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त कार्यकर्ता व व्यक्किततव कार्यकर्ता के रूप में कुछ विशिष्ट कुशलताओ का प्रयोग करना।

10. सुरक्षा, शिक्षा, साहसिक कार्य, उन्नति, परामर्श, उपचार सहयोग की पूर्ति के लिये संगठित होकर कार्य करना।

11. समुह के क्रियाकलापो को पूर्ण करने में अप्रत्यक्ष रूप मे सहायता करता है।

12. समुह के बीच होने वाली अंतक्रियाओ की विषयवस्तु समाप्त कर अंतक्रियाओ की प्रक्रियाओ के माध्यम से सहायता करता है।

13. अपने व्यवहार पर सचेत नियंत्रण रखते हुए समुय की आवश्यकताओ को समझकर उनकी पूर्ति में सहायता करता है।

14- समुह के सदस्यो व कार्यसंबधी विषयवस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है।

15- समुह के माध्यम से व्यकित व्यक्तिगत एवं सामाजिक संतुष्टि व उदेश्यो की पूर्ति सामाजिक नियंत्रण, परम्पराओ रितियो का हस्तांतरण होता है।

समुह कार्य के सिद्धान्त (Principles of Group Work)

1- **समूह गठन योजना (Plan Group Formation):** उस समूह की अपेक्षा जो कि पहले से ही क्रियाशील है नए समूह को बनाने में मदद करनी चाहिए।

2- **विशिष्ट लक्ष्य (Specific Objective):** सामूहिक कार्यकर्त्ता को यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसे समूह कार्य क्या करना चाहिए।

3. **समूह कार्यकर्त्ता के उद्देश्य पूर्वक सम्बन्ध (Purposeful Group worker Relationship):** जागरूकता ठीक प्रकार से परिभाषित होनी चाहिए और सम्बन्ध स्पष्ट होना चाहिए।

4. **निरन्तर व्यक्तिकरण (Continuous Individualization):** कार्यकर्ता को समूह में कार्य करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक सदस्य अलग है। हर एक की अलग जरूरत तथा समस्या है।

5. **मार्गदर्शक समूह अन्तः क्रिया (Guided Group Interaction):** भूमिका, प्रकार और गुणात्मक भागीदारी के द्वारा कार्यकर्ता को समुह को बढाता और अन्तकिया में सलाह देनी चाहिए।

6. **लोकतान्त्रिक आत्म दृढ़ता (Democratic Self Determination):** उत्तरदायित्वों के वितरण के बाद कार्यकर्त्ता को सामाजिक उत्तरदायित्वों का विकास करने में मदद करनी चाहिए।

7. **लचीले क्रियात्मक संगठन (Flexible Functional Organization):** चरम संगठन के लिए समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करना जितना जरूरी है उतना ही एक विश्वसनीय संगठन के लिए भी जरूरी है। इसी प्रकार की प्रक्रिया सम्बनधित संगठन को व्यवस्थित करने में अपनाई जाती है।

8. **प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव (Progressive Program Experience):** कार्यक्रम की शुरूआत समूह में होनी चाहिए और धीरे–धीरे उसमें जटिलता आनी चाहिए।

9. **स्त्रोतों का उपयोग (Resource Utilization):** कार्यकर्त्ता को समूह और समूह से बाहर भी जितने उपलब्ध स्त्रोत है, उनका उपयोग करें।

10 **मूल्यांकन (Evaluation):** निरन्तर और सरल मूल्यांकन होना चाहिए।

समूह कार्य के लाभ (Advantages of Group work)

1- सामाजिक जीवन का अनुभव समूह में होता है।

2- आपसी सहायता।

3- समूह के अन्तर्गत एक बड़े पैमाने तक अभिवृति व्यवहार और अनुभवों में आदान–प्रदान किया जाता है।

4- प्रत्येक सदस्य एक सक्षम सहायक है।

5- सामूहिक कार्य अधिक खर्चीला नहीं होता है।

6- समस्या का समाधान जल्दी हो जाता है।

7- सदस्यों में विश्वास और दृढ़ता का विकास होता है।

समूहक कार्य की हानियाँ (Disadvantages of Group Work)

1- गोपनीयता को बनाए रखने में कठिनाई।

2- समूह के अनुसार योजना और संगठन कठिन हो जाता है।

3- समूह को और अधिक स्त्रोंतों की जरूरत होती है।

4- शर्मीले सदस्य भागीदारी में हिचकिचाते हैं।

5- व्यक्ति को कम ध्यान मिल पाता है।

6- समूह में एक दूसरे पर दोषारोपण के मौके ज्यादा हो जाने से कुछ सदस्यों के लिए यह हानिकारक हो सकता है।

केस कार्य बनाम समूह कार्य (Case Work vs Group work)

व्यक्ति के अच्छे सामाजिक जीवन और उससे सामाजिक सम्बन्ध बनाए रखने में केस कार्य सहायता करता है। सामूहिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए और व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को बढ़ाने के लिए सामूहिक कार्य व्यक्तियों की सहायता करता है। दोनों विधियां व्यक्ति के ध्यान को केन्द्रित करती हैं, निम्न प्रकार का चार्ट दोनों की विभिन्नताओं को दर्शाता है:

सामाजिक केस कार्य (Social Case work)	**केन्द्रित (Focus)**	**समाज समूह कार्य (Social Group work)**
1- व्यक्ति	व्यक्ति और सम्पूर्ण समूह	
	सम्पर्क स्थापित करने का बिन्दु	
विघटन या असमायोजन		समूह के प्रभावपूर्वक कार्य
	लक्ष्य	
समाज के अनुरूप फिर से समायोजन करना		व्यक्तिगत सामाजिक क्रियाओं का विकास करना।
	विधि और गतिविधियाँ	
साक्षात्कार, निरीक्षण, आविष्कार, निदान, रिकार्डिंग, चिकित्सा और अनुकरण करना		सामूहिक क्रीड़ा, कला–कौशल, साहित्य, सामाजिक शिक्षा, नृत्य, ड्रामा, तर्क–वितर्क, दृश्य व श्रव्य और मूल्यांकन इत्यादि।

समूह गतिशीलता (Group Dynamics):

दो या दो से अधिक व्यक्ति जो अन्तःक्रिया करते हैं, वे समूह का एक स्वरूप बना लेते हैं आमतौर पर समूह के सदस्य के सामान लक्ष्य होते हैं। कक्षा के छात्र परीक्षा में सफल होने के लिए अपने लक्ष्य को बांटते हैं। बस के अन्दर यात्रा करने वाले यात्रियों का भी एक समूह होता है। चाहे वे अन्तःक्रिया करें या न करें। वे एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं और यातायात से सम्बन्धित लक्ष्य को बांटते हैं। एक या अधिक तरीकों से व्यक्ति समूह में स्वतन्त्र होता है। अन्तःक्रिया के द्वारा वे दूसरों को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति जो कि एक समूह में होता हे वह अपने **आपको एक सामूहिक** सदस्य समझता है और उसकी भी अपने समूह में सदस्यता होती है।

कुछ समूहों में नेता होते हैं और कुछ में नहीं, श्रोता, दुकानदारों या भीड़ को नेताओं की जरूरत नहीं पड़ती। कक्षाओं, संस्थाओं और सरकार में आमतोर पर इन्चार्ज होते हैं, वे लीडर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, परन्तु समूह परिवर्तनशील होते हैं। वे निरन्तर परिवर्तित होते रहते हैं। जब व्यक्ति अन्तःक्रिया करते हैं तो वे आपस में अपने व्यवहार ओर अभिवृतियों में परिवर्तन करते हैं।

समूह मानक, नियम और व्यवहार (Group Norms, Rules and behaviours)

समूह के बहुत से औपचारिक तथा अनौपचारिक नियम होते हैं जो कि लिखित और औपचारिक होते है, उदाहरण के तौर पर कानून, यातायात के नियम और उन्हें संचालित करना और समुदाय की बंदिशें लिखित उपनियम हैं। अनौपचारिक उपनियम सामान्यतः लिखित नहीं होते हैं परन्तु इन नियमों का पालन करना व इनको निभाना समूह का कार्य होता है।

सामान्यतः नए स्वरूपित किए गए समूहों में समूह के सदस्यों को समूह के नियमों और उद्देश्य को समझना पड़ता है। यदि व्यक्ति चाहता है कि वह निरन्तर समूह का सदस्य बना रहे तो उन्हें समूह के नियमों का चाहे वे लिखित या अलिखित उपनियमों को स्वीकृत करना पड़ता है। नए सदस्य सामान्य रूप से समूह के नियमों को सीखने और स्वीकृत व्यवहार को सीखने की कोशिश करते हैं। अतः वे अलग दिखाई देते हैं। समूह उपनियमों को स्वीकार करने वाले लोगों को स्वीकार करता है न कि उपनियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को स्वीकृति देता है।

समूह प्रकार (Kinds of Groups)

1 **औपचारिक समूह (Formal Groups):** चर्च जैसे समुह औपचारिक समूह हैं। इनकी स्थांपना विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है। यह समूह सम्पूर्ण रूप से संचालित होता है और इसमें चयन किए गए सदस्यगण होते हैं।

2. **अनौपचारिक समूहः** परिवार या सहकर्मी या व्यक्तियों का कोई भी ऐसा समूह जो अन्तःक्रिया करता है, अनौपचारिक समूह कहलाता है।

समूहों का वर्गीकरण (Categories of Group)

1. **प्रारम्भिक समूह (Primary Group):** ये आकार में छोटे होते हैं और इसमें आमने–सामने अन्तःक्रिया भी होती है। समूह रूचि मित्रता और विशेष क्रियाओं पर

आधारित होते है। अनौपचारिक प्राराम्भिक समूह में परिवार और मित्र इत्यादि होते है और औपचारिक प्रारिम्भक समूहों में कक्षा, दफ्तर इत्यादि होते हैं।

2. **गौण समूह (Secondary Groups):** इनकी विशेषता आकार में बड़े होना है। इसमें अधिक नियम होते है और व्यक्तिगत सम्बन्धों की कमी होती है। इनके उत्तरदायित्वों के निश्चित चरण होते हैं और इनके कार्यों में विशेषताएं होती हैं। गौण समूहों में यह आवश्यक नहीं है कि इनमें प्रत्यक्ष रूप से अन्तःक्रिया हो। इनके स्वयं के चिन्ह, नियम और संचालन करने के तरीके होते हैं। गौण समूह वर्गीकरण में राजनीतिक पार्टी, क्लबस, शैक्षिक संस्थाएं, विश्वविद्यालय, कालेज और सरकारी महकमें इत्यादि शामिल होते हैं।

3. **संदर्भ/मनोवैज्ञानिक समूह (Reference/Psychological Groups):** परामर्श समूह में व्यक्ति को समूह के सदस्यों के द्वारा पहचाना जाता है। धार्मिक समूह और वे समूह जो कि विश्वास पर आधारित समूह परामर्श समूहों में शामिल किए जाते हैं।

समूह का सदस्यों पर विभिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। प्रारम्भिक समूह में अन्तःक्रिया से सदस्यों के व्यवहार और व्यक्तित्व में निश्चित रूप से परिवर्तन होते हैं।

समूह की विशेषता (Characteristics of Group):

समूह लक्ष्य (Group Goals): समूहों में सहयोगी या प्रतिस्पर्धा के लक्ष्य होते हैं। सहयोगी लक्ष्यों में, पूरा समूह एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति को लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने वाले कार्यों को सौंप दिया जाता है। सफलता की प्राप्ति के लिए, समूह के सदस्य को आपस में सहयोग देना पड़ता है। प्रतिस्पर्धा समूह के लक्ष्यों में सभी सदस्यों का एक ही लक्ष्य होता है, परन्तु इनमें से कोई एक ही व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। जब समूह में सहयोगी लक्ष्य होते हैं तो व्यक्ति मिल–जुलकर कार्य करते हैं ओर प्रतिस्पर्धा का समूह होता है तो व्यक्ति एक–दूसरे के विरूद्ध कार्य करता है। सहयोगी समूहों में अच्छा सम्प्रेषण होता है और सदस्यगण मित्रों की तरह मिल जुलकर रहते हैं। वे अधिक सुरक्षित रहते हैं और उनका परिणाम भी बहुत अच्छा निकलता है, परन्तु यह नकारा नहीं जा सकता कि प्रतिस्पर्धा के समूह से कुछ धनात्मक कार्य भी होते है। इसमें चुनौती उत्पन्न की जाती है, बोझ को कम किया जाता है और रूचि को और शामिल किया जाता है। सम्पूर्ण तौर से कार्य क्षेत्र में सहयोगी रूप से कार्य करना एक अच्छी विधि है, जिसके द्वारा प्रतिस्पर्धा और शत्रुता की भावना को कम किया जाता है। यह अधिक प्रभावशाली और उत्पादकशील साबित होता है।

संलग्नता (Cohesiveness): इसमें यह विशेषता होती है कि इसमें समूह के सदस्य एक दूसरे से मिलकर ईमानदारी से एक दूसरे की सहायता करते है और स्वयं समूह के द्वारा पहचाने जाते हैं, सामूहिक सभा में और उसके कार्य क्लापों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। संगठन समूह में तुलनात्मक रूप से सामूहिक साहस अधिक पाया जाता है। प्रतिस्पर्धा समूह की अपेक्षा सहयोगी समूह अधिक संगठित होता है। समूह के संगठन समूह के लक्ष्य की परिभाषा स्पष्ट होने के द्वारा सुधारा जा सकता है। समूह जिसमें कि उपनियम स्थापित होते हैं, उनमें सदस्यों में संगठन पाया जाता है, क्योंकि वे अपेक्षित व्यवहार को समझते हैं।

समूह में सम्प्रेषण के तरीके (Communication Patterns in the Group):
लिएविट ने समूह में औपचारिक रूप से चार प्रकार के तरीकों को बताया है, जिसमें दो से अधिक व्यक्तियों को शामिल किया जाता है।

1. **वृत्ताकार (Circle):** प्रत्येक व्यक्ति केवल दो व्यक्तियों के साथ सम्प्रेषण कर सकता है। सरकल के माध्यम से ही सूचनाएं दी जाती हैं। कोई एक व्यक्ति भी समन्वय नहीं कर पाता। वृताकार में प्रत्येक व्यक्ति बराबर होता है।

2. **Y के आकार का सम्पेषण (Y Shape Communication):** सदस्यगण एक, दो या तीन व्यक्तियों के साथ सम्प्रेषण कर सकते हैं। जो व्यक्ति नीचे की और होता है और जो व्यक्ति तिरछी स्थिति पर होते हैं, वे एक–दूसरे के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। कतार के सिरे पर जो व्यक्ति होता है, पर तिरछी स्थिति द्वारा तीन ओर व्यक्तियों के साथ सम्प्रेषण कर सकता है। इस व्यक्ति को पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है कि वह दो अन्य व्यक्तियों के साथ भी सम्प्रेषण कर सकता है।

3. **चक्र (Wheel):** व्यक्ति जो कि चक में होता है वह व्हील के चारों तरफ उपस्थित दूसरे व्यक्तियों के साथ सम्प्रेषण कर सकता है। वे एक–दूसरे से वार्तालाप नहीं कर पाते। सभी प्रकार की सूचनाएं केन्द्र से ही प्रसारित की जाती हैं। व्यवसायिक व्यवस्थाओं में और संगठनों में इसी प्रकार से सम्प्रेषण किया जाता है।

4. **कानकाम (Concom) :** इसकी व्यवस्था समूह के समान ही की होती है। सरकल में सभी सदस्यगण बराबर होते है परन्तु इस व्यवस्था में व्यक्ति अन्य तीन व्यक्तियों के साथ सम्प्रेषण कर सकता है। लिएविट(1951) ने यह पाया कि सम्प्रेषण का Y व्यवस्था सबसे प्रभावपूर्ण तरीका है। वृताकार और कानकाम व्यवस्था से सन्तुष्टि तो अधिक मिलती है, परन्तु इसका प्रभाव कम पड़ता है। चक व्यवस्था में समूह के सदस्यों को सबसे कम सन्तुष्टि मिलती है।

लिएविट (1951) ने यह निष्कर्ष निकाला कि भागीदारी संतुष्टि की एक कुंजी है। लोग यदि अपने निर्णय को एक–दूसरे में बांटे तो उन्हें और अधिक निकटता का अहसास होता है।

नेता (Leader): नेता एक व्यक्ति होता है, जो कि समूह के सदस्यों को प्रभावपूर्ण तथा परिवर्तन लाने में मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करता है। कुछ समूह में औपचारिक नेता होते हैं, जिनका चयन चुनाव के द्वारा समूहों में प्रबन्ध लाने के लिए किया जाता है। नेता को समूह के द्वारा अधिकार दिए जाते हैं। अनौपचारिक नेता भी होते हैं, जिनका चयन भी समूह के द्वारा किया जाता है और जिनका प्रभाव भी समूह के सदस्यों पर अधिक पड़ता है।

गुण (Qualities): प्रोत्साहन, आरम्भ करना, मौखिक योगदान, दृढ़ता और सामाजिक योग्यता मुख्य गुण होते हैं। अधिकतर नेता बुद्धिमान, ईमानदार और उच्चाकांक्षा वाले पाए जाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जो एजेंसी में होते हैं, उनके पास औपचारिक, व्यवसायिक और व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। नेतृत्व करना एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा समूह के सदस्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

नेतृत्व के सिद्धान्त (Theories of Leadership)

1- **शील गुण (Trait):** सामाजिक वैज्ञानिकों का विश्वास है कि नेताओं में

योग्यताएं और आचार की शुद्धताएं वंशानुगत होती हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें बनाया नहीं जाता बल्कि उन्हें जन्म दिया जाता है।

2. **परिस्थिति विशेष (Situational) :** कई स्थितियों के परिणाम के द्वारा ही उन्हें Leader घोषित किया जाता है।

3- **स्थिति (Position):** औपचारिक स्थिति का परिणाम एक नेता होता है, जो कि एक समूह या संगठन को चलाता है।

नेतृत्व शैली (Leadership Style):

हाकिम नेता/ प्रभुत्व नेता

इस स्टाइल में नेता समूह का मुखिया होता है और उस पर समूह का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होता है। समूह के द्वारा प्रत्यक्ष आदेश दिए जाते हैं और अपेक्षा रखी जाती है कि वे उनमें खरे उतरेंगे। बाकी समूह के सदस्यों की अपेक्षा नेता अलग रह जाता है।

चलता फिरता : नेतागिरी के इस तरीके में नेता में बहुत अधिक समन्वय होता है। समूह को सम्पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। लैजीज फेयरी के नेता का कार्य बाहरी समूह के साथ सम्पर्क अधिकारी के रूप में होता है, परन्तु इसका समूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

लिएविन (1943) इन्होंने पाया कि अधिकृत नेता समूह को ठीक प्रकार से सुसंगठित कर लेते हैं, परन्तु समूह के सदस्य खुशहाल नहीं होते और एक–दूसरे के प्रति शत्रुता दिखाते हैं। ड्रैमाक्रैटिक समूह के सदस्य जैसे कि उनका लीडर लक्ष्य को प्राप्त करने की बहुत अधिक कोशिश करते हैं। लैजीज फेयरी समूह को नेता बहुत कम ही सुव्यवस्थित गतिविधियां करता है।

समूह नेता के कार्य (Functions of the Group Leader)

कार्य (Task) : समूह के लक्ष्यों और कार्यों को प्राप्त करना, मुख्य लक्ष्य हैं। नेता–सूचनाएं दिशाएं, समन्वय निदान, ऊर्जा का सही मार्गदर्शन, वास्तविक परीक्षा और मूल्यांकन प्रदान करता है।

बनाए रखना (Maintenance): अनुभव, मित्रता और भागीदारी मुख्य केन्द्र बिन्दु हैं। जब हम चिन्तारहित सम्प्रेषण करेंगे, विश्वास कायम करेंगे और आपस के संघर्ष को खत्म करेंगे, तो यें तभी संभव होगा। समूह के नेता विभिन्न दशाओं में पांच प्रकार से कौशलों को दिशा प्रदान करता है:

क. नेता–सदस्य

ख. सदस्यगण–सदस्य

ग. नेता–समूह

घ. नेता–समूह और बाहरी वातावरण

ड. नेता–उपनेता

समूह नेता के कौशल (Skills of Group Leader)

1. **सामान्य (General):** इसका केन्द्र बिन्दु ग्रुप को शुरू करने में, कार्य को बनाए रखने में, कार्य को प्रबन्धिय करने में, समूह के मूल्यांकन में, मूल्यांकन देख

रेख करने में और कागजी कार्यवाही करना है।

2. **विशेष (Specific):** जो विशेष कार्य है उसे प्राप्त करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है।

सामूहिक नैतिकता (Group Morale): सामूहिक साहस से तात्पर्य समूह की ईमानदारी, कार्य और समूह की एकता के स्तर से है। नेता का उत्तरदायित्व होता है कि वह सामूहिक साहस को बनाए रखे, जिससे कि समूह के सदस्य निश्चित उद्देश्य को प्रोत्साहित होकर प्राप्त कर सकें। उच्च स्तर का सामूहिक साहस उस समय उत्पन्न होता है जब

1- व्यक्ति का लक्ष्य और समूह का लक्ष्य सामान्य रूप से बने रहे।

2- समूह के सदस्यों की अभिवृत्ति समूह के लक्ष्यों के प्रति होनी चाहिए और उनका नेता सकारात्मक होना चाहिए।

3- बाहरी सामूहिक दबाव की अपेक्षा आन्तरिक संगठन की एकता होनी चाहिए।

4- सदस्यों को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन को स्वीकृत करना चाहिए।

5- आन्तरिक व्यक्तिगत संघर्ष उनमें नहीं होना चाहिए, यदि संघर्ष बना रहेगा तो समाधान संभव नहीं होगा और समूह के कार्यों में रूचि कम हो जाएगी।

6- ग्रुप के कार्य की गतिविधियों में उच्चतम स्तर की पहचान के सदस्यों को शामिल करना चाहिए।

7- सामूहिक नैतिकता को तभी बढ़ाया जा सकता है जब सदस्यों का सामाजिक एंवम मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरी हों। नेता को चाहिए कि वह सदस्यों को उचित समय पर तथा विभिन्न कार्य दें। समूह के सदस्यों में समूह के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए।

सामूहिक नैतिकता को तभी बढाया जा सकता है । जब सदस्यों की सामाजिक एवम् मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरी हो। नेता को चाहिए कि वह सदस्यों को उचित समय तथा विभिन्न कार्य दें। समूह क सदस्यों में समूह के लिए न्याय की भावना होनी चाहिए।

अनुभाग-4

मानसिकता मंदता के क्षेत्र में सामाजिक वैयक्तिक कार्य का अभ्यास

(Social Case Work Practice in Mental Retardation)

प्रत्येक व्यक्ति न केवल अनुभवों को प्राप्त करता है, अपने सामाजिक आर्थिक या भौतिक वातावरण बल्कि उसके प्रति प्रतिक्रिया भी करता है। उनका विश्लेषण करता है और भविष्य की क्रियाओं के लिए पूर्वानुमान भी लगाता है और उसे उसी तरह से स्वीकार भी करता है। कई बार बहुत अधिक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को समस्या का सामना करना पड़ता है।

सामाजिक केस वर्क व्यक्ति को अपनी समस्याओं से प्रभावपूर्वक ढंग से जूझने में सहायता करने की प्रक्रिया है। सामाजिक कार्य विधि ग्राहक की समस्याओं को मध्यनजर रखते हुए उसे व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने की एक विधि है। इस प्रक्रिया से उन्हें उस समस्यात्मक स्थिति में अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का अहसास होता है। सोशल केस वर्क समाज कार्य की तीन विधियां में से एक विधि है, जिसका प्रयोग सामान्यतः सहायक व्यवस्था के रूप में किया जाता है। मानसिक मंदता के क्षेत्र में सामाजिक केस वर्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जिसका प्रयोग सामान्यतः सहायक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। मानसिक मंदता के क्षेत्र में सामाजिक केस वर्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि इसके अन्तर्गत व्यक्तिगत दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। मानसिक मंदता एक स्थिति है, जिसके साथ कई सह सम्बन्धित समस्याएं जुड़ी हुई हैं, जिनका सामान्यीकरण करना कठिन है और जिसमें व्यक्तिगत ध्यान और प्रबन्ध की आवश्यकता होती है।

परिभाषा (Definition)

लिन्टन बी. स्फिट् (Linton B. Swift) के अनुसार "केस वर्क एक कला है जिसके द्वारा व्यक्ति के विकास और उसकी क्षमताओं के उपयोग में सहायता मिलती है, जिससे कि व्यक्ति सामाजिक वातवरण में समस्याओं का सामना सरलता से कर सके।"

ऐतिहासिक प्रष्ठ भूमि (Historical Back ground)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामाजिक कार्य को व्यवसायिक स्तर प्रदान किया गया। द्वितीय विश्वयुद्व फलस्वरूप यह हुआ कि इस युद्ध में अधिक संख्या में सिपाहियों और आम नागरिकों में व्यक्तिगत एवंम् सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसका प्रबन्ध करना स्वयंसेवी संगठनों के लिए कठिन हो गया था। सुधार कार्य का प्रत्यय प्रशासन के साथ साथ चिकित्सकीय उद्देश्य के लिए भी लागू किया गया। सामाजिक कार्य व्यक्तिगत दर्शनशास्त्र पर आधारित था, उसमें बदलाव व सुधार लाया गया, तर्कसंगत ज्ञान, स्थिति और तकनीकों और सिद्धान्तों की स्थापना की गई।

अतः कहा जाता है कि सामाजिक कार्य मूलभूत अनुमान पर कि प्रत्येक व्यक्ति परिवर्तनशील होता है, पर आधारित होता है उन्हें परिवर्तन के लिए सहायता की आवश्यकता होती है, जिससे कि वे एक व्यक्ति के तौर पर अपनी क्षमताओं को दर्शा सके। इन कल्पनाओं पर आधारित होते हुए व्यवसायी दो गुणों पर सहमत हुए हैं।

1. हर व्यक्ति अपने सम्मान के लिए सही चिकित्सा, हानि से सुरक्षा और बढ़ोतरी और सीखने के लिए सही अवसरों की मांग करता है।
2. व्यक्ति के उत्तरदायित्व एक दूसरे पर अपनी आवश्यकताओं और दूसरों व्यक्तियों आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। इस क्रम में कि वे अपना जीवन व्यतीत कर सके, परिपक्व हो सके ओर जीवन

में फल–फूल सके। दूसरों की लिए उत्तरदायित्वों की कल्पना करते हुए हमें अपनी तरह ही दूसरे व्यक्तियों के अधिकार और उत्तरदायित्वों की तुलना स्वयं के अधिकारों और उत्तरदायित्वों से करनी चाहिए।

सामाजिक कार्य अभ्यास की विधियां (Methods of Social Work Practice)

सामाजिक केस कार्य (Social case work)	सामाजिक समूह कार्य (Social group work)	समुदाय संगठन (Community organization)
एक से एक सम्बन्ध स्थापित करना	एक से छोटे समूह का सम्बन्ध	एक का समाज की एक इकाई से सम्बन्ध

उद्देश्य और वस्तुनिष्ठता (Aim and objective)

1. सामग्री और भावनाओं से दबाव को कम करना।
2. अधिक से अधिक क्षमताओं को प्राप्त करने में ग्राहक की सहायता करना।

प्रत्यय (Concepts)

घटक (Components) सामाजिक केस वर्क का केन्द्र बिन्दु है, "जिसमें एक व्यक्ति समस्या को लेकर उस स्थान पर जाता है, जहां पर व्यवसायी प्रक्रियाओं या तकनीकों को बताकर उनकी सहायता करते हैं।

ग्राहक (Client)

व्यक्ति, स्त्री या बच्चा जो कि अपने आर्थिक भावनात्मक जीवन के कुछ पहलुओं में मदद की जरूरत समझते हैं, उन्हें ग्राहक कहा जाता है।

समस्या (Problem)

समस्या कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण उत्पन्न होती है। अड़चने, रूकावटें, कुंठा या असमायोजन जो कि व्यक्ति के जीवन में कठिनाईयां उत्पन्न करती हैं और उसके जीवन को प्रभावहीन बना देता है।

स्थान (Place)

यह एक सामाजिक सेवा एजेंसी या सामाजिक सेवा विभा या मानव सुधारक एजेंसी किसी भी प्रकार की हो सकती है। इसका उद्देश्य सामाजिक विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना है, जिसके द्वारा उनके अन्तः व्यक्तिगत सम्बन्ध और परिवारिक जीवन में रूकावट उत्पन्न हो रही हैं, जिससे वे आगे नहीं बढ़ पाते।

प्रक्रिया (Process)

सामाजिक केस वर्क एक प्रक्रिया है। यह व्यवसायी और ग्राहक के बीच उन्नत संचालन है। इसके द्वारा अर्थपूर्ण सम्बन्ध बनाने के लिए कई समस्याओं का समाधान किया जाता है और अन्त में इस प्रक्रिया को एक अर्थ मिल जाता है, कि ग्राहक समस्याओं से प्रभावपूर्ण तरीके से जूझने का विकासात्मक प्रयास मिल जाता है। व्यक्ति के जीवन की स्थितियों में प्रभावपूर्वक परिवर्तन लाने के लिए, केस वर्कर व्यक्ति की प्रकृति को, समस्या की प्रकृति समझता है और किस प्रकार से किस माध्यम से उसकी समस्या का समाधान हो सकता है, जानने की कोशिश करता है।

रूकावटें (Blocking)

1. समस्या का समाधान आवश्यक अर्थ और स्त्रोंतों के उपलब्धि न होने के कारण नहीं हो सकता।
2. यदि व्यक्ति में भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा की कमी हो तो समस्या का समाधान करने में कठिनाई उत्पन्न होती है।
3. जब समस्याओं को सुलझा नही सकते तो व्यक्ति भावनाओं के वश में हो जाता है और तर्क शक्ति क्षीण हो जाती है और जिससे चेतना पर नियन्त्रण की कमी हो जाती है।
4. व्यक्ति अज्ञानता के कारण भी समस्याओं का समाधान नही कर पाते।
5. कुछ व्यक्तियों के लिए समस्या का समाधान करना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसमें व्यवहार विचार और योजनाओं की विधि क्रमबद्ध नहीं होती।

केस वर्क प्रक्रिया के स्तर या क्रियाओं के तरीके (Stages of case work Process or Mode of Action)

1. केस स्टडी (Case study) तथ्यों को इकट्ठा करना और उन्हें समझना।
2. निदानात्मक (Diagnosis) तथ्यों के बारे में सोचना चाहिए।
3. चिकित्सा (Treatment) समस्या के समाधान की प्रक्रिया के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चयन करना चाहिए/ निर्णय लेना चाहिए।

विधि (Method)

1. ग्राहक, परिवार और उसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानना।
2. समस्याओं को समझना।
3. सम्बन्धों में सहर्योग का विकास करना।
4. व्यवसायिक ज्ञान और कौशलों का उपयोग करना।
5. स्त्रोतों का प्रचार करना।

केस वर्क की पूर्व स्थिति (Case work Preposition)

इसको सम्बन्धों के द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसमें ये व्यवसायियों द्वारा पहचानी जाती है और इसका प्रयोग किया जाता है। अनुभवों के द्वारा यह देखा जाता है कि ये एक कल्पना बन गई है जो कि व्यवसायियों के निर्णय पर उस क्षेत्र में जहां पर कि वे उचित होते हैं, पर प्रभाव डालते हैं। कार्यकर्ता निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्त्री/ पुरुष को मार्गदर्शन दे सकते हैं:

1. सामाजिक – सांस्कृतिक वातावरण में व्यवहार अनुबन्धित हो जाता है। अतः व्यक्ति के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को मध्य नजर रखते हुए ही समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
2. भावनात्मक ज़रूरते वास्तविक होती है, जिन्हें हटाया नहीं जा सकता परन्तु प्यार के द्वारा, देखभाल, सुरक्षा, पहचान और बातों में उत्तेजना और दूसरों के साथ अन्तः क्रिया के द्वारा भावनात्मक दसहायता मिलती है।
3. व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है और यह भौतिक और भावनात्मक आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है। एक व्यवहार के लिए एक या अधिक कारण हो सकते है, जिसमें से कुछ असचेत होते हैं।

4. दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं और समस्याओं को बौद्धिक स्वीकृति के अनुसार समझने के लिए आत्म जागृति और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। दूसरों की सहायता करने के लिए एक को चाहिए कि वह अपने आपको स्वीकृत करे।

5. व्यक्ति की व्यक्तिगत कठिनाइयां उसके व्यक्तित्व में किसी कमी का परिणाम हो सकता है या बड़े सामाजिक संरचना में कमी होने का परिणाम हो सकता हैं

सोशल केस वर्क के सिद्धान्त और तकनीकें (Principles and techniques of social case work)

केस वर्कर का जो व्यवसायिक उतरदायित्व होता है, वह व्यक्ति या समाज की भलाई में प्रगति के लिए होता है। एक व्यक्ति या समूह को अपने आप सीखना चाहिए, जो कि सामाजिक व्यवहारिक अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा। इस प्रकार के विकास के अभ्यास के लिए निम्न तीन मुद्दों की आवश्यकता है, जो कि इस प्रकार है:

1. ऐसी विधियों को बनाने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा सामाजिक और व्यक्तिगत स्थितियों का विश्लेषण किया जा सके और उनकी क्रियाओं को दर्शाया जा सके।

2. कार्यकर्ता और व्यवसाय के व्यक्तिगत कार्यों का मापन करने के लिए, ऐसी तकनीकों की आवश्यकता है।

3. ग्राहक की आवश्यकताओं को समझने और निर्णय लेने के लिए ऐसे ज्ञान का विकास करने की आवश्यकता है।

कार्यकर्ता के लिए यह वांछित है कि वह सम्पूर्ण रूप से हस्तक्षेप की तकनीकों और सिद्धान्तों के बारे में समझ जाए, जिससे कि ग्राहक की सहायता की जा सके। मंदता के क्षेत्र में कार्यरत सदस्यों को इस केस वर्क में केसवर्क के सिद्धान्तों और तकनीकों को समझना और आवश्यक हो जाता है।

1. व्यक्तिकरण (Individualization)

प्रत्येक ग्राहक सम्पूर्ण रूप से अलग होता है, जिसकी कुछ क्षमताएं और कुछ कमियां होती हैं। उससे सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को व्यक्तित्व वंशानुगत, वातावरण के द्वारा जीवन के अनुभवों के द्वारा समस्याओं के प्रति संवेदनशील होता है, अतः समस्याओं और आवश्यकताओं पर आधारित विस्तृत सहायता करनी चाहिए। व्यक्तिगत ध्यान, एकान्त और उसके भावनाओं को आदर भी करना चाहिए।

2. अनिर्णायक अभिवृति (Non-Judgemental Attitude)

कार्यकर्ता को चाहिए कि ग्राहक के प्रति बिना किसी धारणा बनाए स्वीकृत करे। यदि ग्राहक के प्रकि धारणा बन जाती है तो उनका दिल टूट जाता है और वह समस्या से सम्बन्धित कारकों को नहीं बता पाता। ग्राहक के साथ कार्य करते समय हर समय सकारात्मक अभिवृति रखनी चाहिए और पक्ष पात रहित होना चाहिए। इससे आत्म सम्मान को बढ़ावा मिलता है और इससे ग्राहकों को अपनी समस्याओं से सम्बन्धित कारकों को बाहर निकालने में सहायता मिलती है। ग्राहक के साथ अनिर्णयात्मक अभिवृति के उपयोग की आवश्यकता होती है। इससे उसके सम्पूर्ण ज्ञान में सहायता मिलती है। ग्राहक की इच्छाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इससे सेवार्थी को वास्तविकता के साथ जूझने के लिए ताकत और शक्ति मिलती है।

3. क्लाइंट की आत्म-दृढ़ता (Client's self determination)

ग्राहक को चयन करने, निर्णय लेने और समस्याओं से जूझने के लिए क्रियाओं को चुनने का अवसर देने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, क्योंकि केस वर्क में जो कोशिश की जाती है, उसमें निदानात्मक चिकित्सा तक परिवर्तन आता है। ग्राहक की चयन तथा योजनाओं को बनाने की जो योग्यता होती है उसमें चिकित्सा का अर्थ और लक्ष्य दोनों शामिल होते हैं और उनका लक्ष्य व्यक्तित्व को सहायता देना और परिपक्वता का परीक्षण किया जाता है। केस कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व होता है कि वह ग्राहक के उत्तरदायित्वों को पहचाने और उनका आदर करें तथा उन्हें आत्म निरीक्षण में सहायता प्रदान करे। कार्यकर्ता को समुदाय में उपलब्ध करवाने और उचित स्त्रोतों का देखने या उपयोग करने में ग्राहक की सहायता करनी चाहिए, ग्राहक की क्षमताओं को सक्रियता और उत्तेजना प्रदान करनी चाहिए जिसके द्वारा वह आत्म निरीक्षण कर सके। इस सहायता से उनके साहस और अभिप्रेरणा को बढ़ावा मिलता है, जिससे कि वे अपनी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया में हिस्सा ले सके।

4. गोपनीयता ;Confidentiality)

व्यवसायिक सम्बन्धों में ग्राहक की गुप्त सूचनाओं को सुरक्षित रखना चाहिए। अतः इससे ग्राहक में विश्वास उत्पन्न होता है। यह केस वर्क की सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है। ग्राहक को विश्वास दिलाया जाता है कि जितनी भी सूचनाएं वे हमें बांटेंगे, उतनी हीउनकी आवश्यक सहायता की जाएगी और ग्राहक यह कल्पना करता है कि कार्यकर्ता उन सूचनाओं को किसी ओर के सामने प्रकट नहीं करेगा। ग्राहक की रजामंदी लेकर ही थैराप्यूटिक उद्देश्य के लिए सूचनाओं को बांटा जाता है। अतः केसवर्क के द्वारा गुप्त सूचनाओं को गोपनीय रखना इस कार्यक्रम का एक जरूरी पहलू है, जिसकs द्वारा कार्य करते समय सम्बन्ध बनाए जाते हैं। यदि ग्राहक को कोई सन्देह हो जाता है या कार्य करते हुए सूचनाओं को गोपनीय नहीं रखा है तो उस समय कार्य करने के सम्बन्ध में अड़चने/ खराबी उत्पन्न हो जाती है।

5. तदानुभूति (Enpathy)

तदानुभूति में ग्राहक की इच्छाएं अर्थ को समझना और उद्देश्यपूर्ण और उचित प्रतिक्रिया देना इत्यादि केस वर्कर द्वारा शामिल किया जाता है। कार्यकर्ता को न केवल ग्राहक की इच्छाओं के प्रति तदानुभूति दर्शाना चाहिए, बल्कि कुछ कदम आगे चलना चाहिए, कार्यकर्ता को चाहिए की सेवार्थी को साक्षात्कार के दौरान यह अहसास दिलाए कि उसे उनकी समस्याओं के साथ स्वीकार किया गया है, समस्याओं के बारे में समझें और उन समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान करे, इससे समस्याओं की वस्तु निष्ठता के बारे में विचार किया जा सकता है और समस्याओं के समाधान में विकल्प भी दिए जा सकते हैं। तदानुभूति के तत्वा निम्न है:

1. **संवेदनशील (Sensitivity)** इसका अर्थ ग्राहक द्वारा प्रकट की गई इच्छाओं को देखना और सुनना है। इसमें उसके बोलने का ढंग, बोलने की टोन, हिचकिचाना अधिक जाहिर करने की कोशिश करना और वह इच्छाओं को मौखिक रूपसे कैसे जाहिर कर रहा है, इत्यादि शामिल किए जाते है।

2. **समझना (Understanding)** केस कार्यकर्ता को चाहिए कि वह ग्राहक की इच्छाओं को अर्थपूर्वक समझे। समझना एक निरन्तर प्रक्रिया है ओर प्रत्येक साक्षात्कार में ग्राहक को ठीक प्रकार से समझने का अवसर मिलता है।

3. **प्रतिक्रिया (Response)** अपने आपमें संवेदनशीलता और समझ सम्पूर्ण नहीं होती है। प्रतिक्रिया को भी अर्थ देना पड़ता है। कार्यकर्ता ग्राहक के प्रति प्रतिक्रिया करता है जो कि केस वर्क

सम्बन्धों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मनौवैज्ञानिक तत्व है। ये अभिवृति और इच्छाओं की प्रतिक्रियाए हैं, जिनका ज्ञान और उद्देश्य के द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। प्रतिक्रियाओं के शब्दों के द्वारा चेहरे के हाव–भाव के द्वारा, बोलने के द्वारा या क्रियाओं के द्वारा ग्राहक के साथ सम्प्रेषण किया जाता है।

6. स्वीकृति (Accrediation)

ग्राहक को उत्साहित करना एवंम प्रसन्नवित करना कि उसने कार्यकर्ता के द्वारा सफलता के लिए अपनी अभिवृतियों में परिवर्तन करने के प्रयास को किया है।

7. ग्राहक की भागीदारी (Client's Participation)

भागीदारी के द्वारा ग्राहक को इस काबिल बनाया जाता है कि वह अपनी समस्याओं को अच्छे तरीके से समझ सके। ग्राहक को भी एक मौका मिलता है, जिससे कि अपनी क्षमताओं को खोज सकता है और अपने आपमें आत्म–विश्वास प्राप्त कर सकता है। केस कार्यकर्ता का कौशल, अभिप्रेरित करना होता है, जिसमें वह ग्राहक से सम्बन्धित कार्य करते समय व्यक्तिगत और सामाजिक स्त्रोतों का उपयोग कर सके और समस्या का समाधान उन्हें स्वयं ढूंढने देने में सहायता करें।

8. भाव विवेचन (Catharsis)

जब किसी को सहायता की जरूरत होती है तो उसे अपनी भावनाओं पर नियन्त्रण रखने के लिए कई प्रकार की सोच से गुजरना पड़ता है। कार्यकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह उसकी दबी (सेवार्थी की) हुई भावनाओं को बाहर निकाले। इस प्रक्रिया में ग्राहक की दबी हुई इच्छाओं को एक अच्छे वातावरण में बाहर निकाला जाता है और उसे समझा जाता है, इस प्रक्रिया को भाव विवेचन कहा जाता है।

9. विश्वसनीयता (Authenticity)

कार्यकर्ता को चाहिए की ग्राहक को अहसास दिलाए कि उसे उसकी समस्याओं से व उसके प्रति हमदर्दी। यहां पर ग्राहक को ईमानदारी और सच्चाई से अपनी समस्याओं को बताना चाहिए। यहां पर ग्राहक और वर्कर में सच्चाई, ईमानदारी और सही सम्बन्धों की आवश्यकता है, जो कि सच्चाई और विश्वास पर आधारित है। कार्यकर्ता जो कार्य ग्राहक के लिए करता है, उसमें उसका व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं होता अपितु ग्राहक द्वारा बताई गई सच्चाई के अनुसार ही वह उसकी मदद करता है।

10. प्रभावपूर्णक सुनना (Effective Listening)

कार्यकर्ता को स्वयं को पूरी तरह से और प्रभावपूर्वक तरीके से सुनने में शामिल करना चाहिए। सैंशन में जिन सूचनाओं को एकत्र किया जाता है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। प्रभावपूर्वक सुनने का उद्देश्य वांछित परिणाम की आशा करना है, जिसके अनुसार लक्ष्यों को दिशा दी जाती है, जिससे कि कार्यकर्ता सूचनाओं को एकत्र करके लक्ष्य की पूर्ति कर सकता है। प्रभावपूर्वक सुनने के तीन महत्वपूर्ण तत्व इस प्रकार से हैं:

1. वार्तालाप के दौरान नेत्र समन्वय बना होना चाहिए।
2. शरीर की मुद्राएं सही होनी चाहिए। ग्राहक के साथ बात करते हुए किसी भी प्रकार की अरूचिकर बात शामिल नहीं करनी चाहिए।
3. वार्तालाप करते समय मार्गदर्शन देना चाहिए, जिससे कि समस्याओं से सम्बन्धित पहलुओं की अवहेलना होने से बचाया जा सके।

11. सामान्यीकरण (Generalization)

ग्राहक के विचार और इच्छाएं जो कि वह ही क्यों अकेला है? जो कि पीड़ित है और जिसका सब कुछ खो गया है। उसे परेशान करती हैं और उसे दुःखी बना देती हैं। वह मदद लेने के लिए हिचकिचाता है और अनुमान लगाता है कि कोई भी संतुष्टिजनक तरीका नहीं है। ग्राहक को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उसकी समस्या भिन्न होते हुए भी यह आम व्यक्तियों की तरह सामान्य है। उसकी अवहेलना और चिन्ताओं को दूर करने की आवश्यकता है।

12. सामना करना (Confrontation)

यह उस स्तर पर किया जाता है कि जब कार्यकर्ता को ग्राहक में चुनौतियों का सामना करने की शक्ति का अहसास होता है तथा अपनी उसकी सीमा को स्वीकृति करना सीख जाता है। यह तभी ही किया जा सकता है, जब उन कारकों को जो कि समस्या को उत्पन्न कर रहे हैं, को ग्राहक के सामने रखा जाए कि उसका व्यक्तित्व समस्याओं की संगीनता से कितना पिछड़ गया है।

13. ग्राहक और कार्यकर्ता के सम्बन्ध (Client Worker Relationship)

बिस्टीक के अनुसार,"ग्राहक और केस कार्यकर्ता में अभिवृतियों व सवेंदनाओं में परिवर्तनशील अन्तः क्रिया होती है, जिसका उद्देश्य ग्राहक को सहायता प्रदान करना है, जिससे कि वह अपने आप में और अपने वातावरण में ठीक से समायोजन कर सके।" बिस्टीक की इस परिभाषा में निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं।

1. सम्बन्ध का उद्देश्य (Purpose of relationship)

क्लाइंट की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं और समस्याओं का हल करना।

2. अभिवृति और भावनाओं में सामग्री का सम्बन्ध ;Attitudes and emotions which form the material of relationship)

इसमें ग्राहक और वर्कर के बीच में अभिवृति और भावनाओं की अन्तः क्रिया होती है।

परिवर्तनशील अन्तःक्रिया (Dynamic Interaction) ग्राहक और कार्यकर्ता की भूतपूर्व और वर्तमान स्थिति की अभिवृति और इच्छाएं शामिल की जाती है।

सम्बन्धों में गुणात्मकता (Qualities of Relationship)

केस कार्य में ूवतामत – बसपमदज के बीच स्थापित सम्बन्धों को आत्मा के रूप में शामिल किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया और निदान तथा चिकित्सा को शरीर के रूप में माना जाता है। अतः बिना अच्छे सम्बन्ध के साक्षात्कार की प्रक्रिया में निदान और चिकित्सा अर्थहीन हो जाते हैं। सम्बन्ध हमेशा दो तरफा होता है, जिसमें न केवल देना ही शामिल होता है, बल्कि लेना भी उसमें शामिल होता है। यदि कार्यकर्ता सहायता करता है तो वह ग्राहक से विश्वास और सहयोग की इच्छा रखता है।

इसके लिए आवश्यक है कि दोनों में सम्प्रेषण के अच्छे तरीके हों और अच्छी सह सम्बन्धिता हो। ये सम्बन्ध एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि इसमें सहायता की प्रक्रिया के दौरान परिवर्तन आते रहते हैं। आरम्भ में यह बहुत विस्तृत होता है। ग्राहक और वर्कर एक दूसरे के बारे में सीखते हैं ओर धीरे–धीरे कार्यकर्ता असक्रिय हो जाता है और समस्या के समाधान के लिए ग्राहक को सक्रिय मार्गदर्शन देता रहता है। अन्त में कार्यकर्ता सहायता देना छोड़ देता है और ग्राहक स्थिति का चार्ज (संचालन) ले लेता है, जिससे कि वह आत्मविश्वास को प्राप्त कर लेता है, अतः केस वर्कर शिक्षक की भूमिका ले लेता है, जिससे कि वे ग्राहक

को आत्म निरीक्षण और निर्णय लेने में सहायता देता है।'केस वर्कर अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो कि प्राकृतिक तौर से सहयोगी होता है।

यदि अन्तः क्रिया की प्रकृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो ग्राहक और वर्कर में भी परिवर्तन आ जाता है। यदि एक व्यक्ति ग्राहक विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न मौकों पर मिलता है तो कार्यकर्ता की ग्राहक के प्रति अपेक्षाएं भी बदल जाती है और ये परिवर्तन क्रम में स्थिति की आवश्यकताओं को स्वीकारने के लिए होता है।

अनुभाग-5

केस हिस्ट्री और साक्षात्कार लेना

(Case History taking and Interview)

केस हिस्ट्री और साक्षात्कार लेने का उद्देश्य ग्राहक के बारे में पर्याप्त सूचना एकत्रित करना है, जिससे कि निदान किया जा सके और ग्राहक से सम्बन्धित जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों का मूल्यांकन करना है। विशेष चिकित्सकीय हस्तक्षेप स्तर की श्रेणी का गठन करना है और उसकी परिस्थिति को प्रस्तुत करना है। मानसिक मंदता के क्षेत्र में Case History लेने की पद्धति का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है।

हिस्ट्री लेना (Taking History)

मानसिक मंदित व्यक्ति के लिए अपने कौशल के प्रयोग के बारे में विश्वसनीय और समुचित सूचना देना कठिन होता है, इसलिए हिस्ट्री को एकत्रित करने के लिए विशेष व्यक्ति आमतौर पर अभिभावकगणों से ही लेनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो आरम्भ से ही बच्चे के दोनों ही अभिभावकों को केस के अध्ययन, निदान और उपचार की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए।

हिस्ट्री की शुरूआत ग्राहक के परिचयात्मक आंकड़ों से ही होनी चाहिए। इसके अन्तर्गत ग्राहक का नाम, उम्र, लिगं, अभिभावक का नाम, पता, व्यवसाय और जिन स्त्रोतों के द्वारा भेजे गये हैं उसका नाम और हिस्ट्री लेने की तारीख को शामिल किया जाता है। ग्राहक की शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति, निवास का स्थान (शहरी या ग्रामीण) धर्म और उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा इत्यादि को भी केस हिस्ट्री में विस्तार से लेना चाहिए।

ग्राहक के साथ सूचना देने वाले का नाम और ग्राहक के साथ उसके सम्बन्ध को भी लिखा जाना चाहिए। सूचना की विश्वसनीयता और ठोसता का भी मूल्यांकन करना चाहिए।

समस्याएं (Problems)

केस हिस्ट्री की शुरूआत, मुख्य शिकायतों के परीक्षण या ग्राहक को चिकित्सीय सहायता लेने के लिए उत्प्रेरित करने वाली वर्तमान शिकायतों का परीक्षण करके करनी चाहिए। यह समझना होगा कि ग्राहक को कौन सी चीज कष्ट दे रही है और किस कारण कि वह व्यवसयिक मदद के लिए उत्प्रेरित हुआ। आमतौर पर इस दृष्टिकोण में ओपन (खुले) एन्डिड प्रश्नों को शामिल किया जाता है, जैसे "आज आप किस उद्देश्य से आए हैं" या "ऐसा कौन सा उद्देश्य है, जिसके कारण आप यहां आए हैं?" जहाँ तक सम्भव हो सके क्यों शब्द के प्रयोग से बचना चाहिए। जिसका परिणाम केवल औचित्य प्रर्दशन प्राप्त करने में होता है। सबसे अच्छा यह होता है कि अभिभावकगण को अपनी सस्याओं के सम्बन्ध में जो वे सोचते हैं उन्हें स्वतन्त्र रूप से व्यक्त करने दिया जाना चाहिए। जिस कारण कि यहाँ परामर्श के लिए आये हैं। उन्हें अपनी परिस्थिति को समझाने का मौका देना चाहिए जैसा कि इस सम्बन्ध में अनुभूति है और इसमें कम से कम सहायता देनी चाहिए।

जब अभिभावकगण बच्चे से सम्बन्धित लक्षण तथा समस्याओं के बारे में बताना समाप्त कर देते हैं तब यदि स्थिति स्पष्ट न हो और आवश्यकता पड़े तो रिपोर्ट के बारे में कुछ सम्बन्धित सहायक प्रश्न

भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद पूर्व हस्तक्षेप, प्रकृति और इसके परिणाम से संबंधित तथ्यों का विवरण लेना चाहिए।

पारिवारिक इतिहास (Family History)

ग्राहक के परिवार का मूल, अभिभावकगणों और उनके बहन–भाइयों की उम्र, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित विवरण को भी यहाँ शामिल करना चाहिए। ग्राहक के साथ रहने वाले सभी सदस्यों और परिवार के प्रकार (सयुंक्त, नाभिक, खण्डित, विस्तृत इत्यादि) के बारे में सूचनाओं को शामिल करना चाहिए। प्रायः यह देखा जाता है कि मानसिक मंदता और सम्बन्धित समस्या के पारिवारिक इतिहास बताने में लोग बहुत कतराते हैं और रक्त सम्बन्ध में विवाह तो नहीं हुआ है, इसके सम्बन्ध में पूछताछ करनी चाहिए। परिवार के इतिहास में पिडैग्री चार्ट को भी शामिल करना चाहिए।

व्यक्तिगत इतिहास (Personal History)

विशेष तौर पर मानसिक मंदित बच्चों की केस हिस्ट्री लेते समय मंद बच्चे की व्यक्तिगत और विकासात्मक इतिहास को सामने लाना महत्त्वपूर्ण होता है। इसके अर्न्तगत बच्चे का विकास गर्भाधारण से लेकर साक्षात्कार की तिथि तक की, बच्चे के विकासात्मक पहलू को शामिल किया जाता है। बाल्यावस्था इतिहास में, विस्तार से गर्भधारण के समय, बच्चे के पैदाइश के समय को, बच्चे की पैदाइश के बाद के आंकड़ों को शामिल करना चाहिए।

जन्म से पूर्व का इतिहास (Pre-Natal History)

जन्म से पूर्व के इतिहास में निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया जाता है :–

गर्भधारण इच्छा से हुआ या अनिच्छा से हुआ, क्या कभी गर्भपात की कोशिश की गई, गर्भधारण के दौरान अभिभावकों की उम्र, गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव तो नहीं हुआ, कोई दवा तो नहीं ली गई, गर्भस्थ शिशु की हलचल, माता की बीमारी और आहार की पोष्टिक स्थिति इत्यादि।

जन्म इतिहास (Birth History)

बच्चे के जन्म के इतिहास के अन्तर्गत प्रसव के प्रकार, पूर्ण समय के बाद सामान्य या लम्बी अवधि की प्रसव, बच्चा घर में हुआ या अस्पताल में, बच्चा जन्म के समय रोया था या नहीं, मां को दौरा तो नहीं आया था, जन्म के समय बच्चा असामान्य तो नहीं था, बच्चे का वजन, संक्रमण हुआ था या नहीं, को शामिल किया जाता है। टीकाकरण के इतिहास के सम्बन्ध में भी पूछा जाना चाहिए।

विकासात्मक इतिहास (Development History)

मानसिक मंदता के क्षेत्र में विकासात्मक पड़ाव (mile stone) का विस्तृत विवरण हिस्ट्री लेने की प्रक्रिया का एक एकीकृत अंग है। मानसिक मंदता के निदान तक पहुंचने के लिए यह प्रथम बिन्दु होता है। पड़ाव प्राप्त करने के समय के सम्बन्ध में मां से पूछताछ करनी अधिक अच्छी होती है। विकासात्मक पड़ाव के संबंध में निम्नलिखित विवरण लिखने चाहिए:–

बच्चे ने कब मुस्कुराना सीखा कब गर्दन संभाली, कब लुढ़कना शुरू किया, कब बैठना शुरू किया, कब रेंगना शुरू किया, कब खड़ा होना शुरू किया, कब चलना शुरू किया, कब दांत निकले, कब 'ब–'ब करना शुरू किया, कब बोलना शुरू किया, कब बच्चे ने शौच और मूत्र पर नियन्त्रण किया। यदि किसी पड़ाव में कमी या देरी हो जाती है तों उसे हमें लिख लेना चाहिए। कई बार अभिभावकगण बच्चे की

जाता है । स्कूल में कोई परिवर्तन किया गया था, यदि हां तो कारण स्पष्ट करने चाहिएं, बच्चे की हाजिरी

निरन्तर थी या नहीं इन बातों को देखा जाता है। जहां संभव हो सके कक्षा के अध्यापक से बच्चे के स्कूल की गतिविधियों और कक्षा में उसके व्यवहार के बारे में सूचना केस हिस्ट्री में लिखनी चाहिए।

बच्चे के व्यवहार पर केन्द्रीकरण (Focus on child's Behaviour)

बच्चे के व्यवहार और खेल क्रियाओं की प्रकृति के बारे में सूचनाएं विस्तार से एकत्र करना बहुत उपयोगी है। दूसरे बच्चों के साथ सामान्य रूप से खेलता है, अधिक खेलता है, कभी नहीं खेलता, अपने से छोटों या बड़ों के साथ खेलता है या खेल में विशेष रूचि लेता है, खाली समय की गतिविधियाँ इत्यादि। यदि ग्राहक की कोई व्यवहारात्मक और भावानात्मक समस्याएँ है तो उनके बारे में विस्तार से लिखना चाहिए।

किशोर और युवक के केस में ग्राहक की यौन इतिहास, अस्वीकृत व्यवहार को भी रिकार्ड करना चाहिए।

घर का वातावरण (Home environment)

घर के वातावरण के साथ ही भौतिक वातावरण (स्वतन्त्र है, आवास साझे में है और कितने कमरें हैं, इत्यादि) का विवरण लेने का प्रयास करना चाहिए। बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों, शैक्षिक और खेल कियाओं की देख–रेख कौन करता है, इसे भी शामिल करना चाहिए।

सामाजिक जीवन (Social Life):

सामाजिक वातावरण को विस्तार से जानने के लिए ध्यान देना चाहिए, पड़ोसियों के साथ अन्तःकिया, सामाजिक मेल–मिलाप और सामाजिक, धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी लेने की सीमा को जानना चाहिए। परिवार को सामाजिक सहायता किस हद तक मिलती है यह एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। ये सभी महत्वपूर्ण कारक हैं, जिसके द्वारा हम ग्राहक का प्रबन्ध (Management) कर सकते है।

इन सभी ऑकड़ों को एकत्र करके क्लिनिशियन ग्राहक के प्रबन्ध पक्ष और अभिभावकों की अपेक्षाओं के दृष्टिकोण तक पहुंच जाता है। ग्राहक की स्थिति के बारे में अभिभावकगण या सूचना देने वाले के मन में कोई गल्त धारणा तो नहीं है, इसकी छानबीन में सहायता मिलती है। इसके द्वारा अभिभावकगणों को परामर्श में सहायता मिलेगी जिसमें कि ग्राहक के अच्छे प्रबंध में सहायता मिलती है। कोशिश यह की जानी चाहिए कि केस हिस्ट्री के आंकड़े अर्थपूर्ण और स्पष्टता की स्थिति में लिए जायें। अग्रसूचक (Leading) प्रश्नों को न पूछना अच्छा होता है। हमें यह भी दिमाग में रखना चाहिए कि केस हिस्ट्री लेने का अर्थ केवल समस्याओं को ही देखना नहीं है, बल्कि हमें सशक्त और स्वस्थ कार्यक्रम के क्षेत्रों को भी देखना होगा।

साक्षात्कार (Interviewing)

विशेष उद्देश्य के लिए, दो व्यक्तियों के बीच होने वाले मिलाप या गोष्ठी (औपचारिक/अनौपचारिक) को साक्षात्कार कहा जाता है। यह एक कला है जो कि प्रत्येक परिस्थिति में बेहतर साक्षात्कार लेने वाले या देने वाले के बीच में बेहतर सम्बन्ध या बेहतर समझ के लिए उपयोग की जाती है। साक्षात्कार एक मूलभूत आधार है, जिस पर की सामाजिक वैयक्तिक कार्य का सिद्धान्त (थ्यौरी) और व्यवहारिक पक्ष आधारित हैं। साक्षात्कार के बिना कार्यकर्त्ता, ग्राहक के बारे में संभव सूचनाओं को ग्रहण नही कर पाता है। और इसी प्रकार ग्राहक भी कार्यकर्त्ता में विश्वास, प्राप्त नहीं कर पाता। अतः यह 'व्हीकल फॉर काउन्सलिंग' (परामर्श के वाहन) के रूप में वर्णित किया जाता है। इसे निरन्तर अभ्यास के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। साक्षात्कार के उद्देश्यः–

1. स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

2. दूसरे व्यक्ति को समझना।

3- दूसरे व्यक्ति को समझाना।

पूर्व स्थिति (Prerequisite)

1- भौतिक व्यवस्था, योग्य और सौम्य होनी चाहिए। ध्यान भंग से बचाव के लिए/कम करने के लिए चमकीले रंगों या सजावट से बचना चाहिए।

2- ग्राहक के सामने ऑकड़ों को नहीं लिखना चाहिए। यह व्यक्ति को शंकालु बनाता है।

3- साक्षात्कार पूर्व–नियोजित होना चाहिए।

4- गोपनीयता के प्रति आश्वस्त करना चाहिए। ऊँची आवाज नहीं करनी चाहिए। साक्षात्कार के समय किसी तरह की बाधा नहीं उत्पन्न करनी चाहिए।

5- ग्राहक के साथ व्यक्तिगत लगाव से बचना चाहिए।

तकनीकें (Techniques)

साक्षात्कार के संदर्भ में कोई भी ठोस नियम नहीं अपनाये जा सके, क्योंकि यह मानव मात्र के बीच विद्यमान होते हैं जो कि परिवर्तनशील है। साक्षात्कार प्रक्रिया में निम्नलिखित कुछ तकनीकों को शामिल किया जाता है।

पर्यवेक्षण (Observations)

साक्षात्कार देने वाला क्या कर रहा है, उसे पर्यवेक्षण करना और सुनना चाहिए तथा यह भी पर्यवेक्षण करना चाहिए कि वह क्या नहीं कर रहा है। ग्राहक को ध्यानपूर्वक पर्यवेक्षण करना चाहिए और उसकी बातों, मुखाकृति द्वारा प्रकट होने वाली प्रतिक्रियाओं को लिखन चाहिए जैसे कि शारीरिक खिंचाव, चिन्ता, लज्जा, उत्तेजना, घबराहट, पसीना आना, असुविधा जाहिर करना या हिचकिचाना इत्यादि। इन सभी आंकड़ों का पर्यवेक्षण करना बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह जानने में मदद मिलती है कि ग्राहक के लिए कौन सी चीज़ समस्या उत्पन्न कर रही है, जिसे वह शब्दों के द्वारा जाहिर नहीं कर पा रहा है।

सुनना/श्रवण (Listening)

साक्षात्कार प्रकिया में ध्यान से सुनने का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा ग्राहक की दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने में सहायता मिलती है। सही प्रकार से संक्षिप्त रूप से धैर्यता के साथ सुनना चाहिए, इससे ग्राहक को हल्कापन महसूस करने और सम्बन्ध स्थापित करने में सहायता मिलती है। चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि सम्बन्धित तत्वों के बारे में हाव–भाव के द्वारा तर्कपूर्ण बात करनी चाहिए तो इससे ग्राहक को यह एहसास होता है कि जो कुछ भी वह जाहिर कर रहा है, उसे ध्यान से सुना जा रहा है और उसकी बातों में रूचि ली जा रही है। वार्तालाप के दौरान किसी प्रकार की रूकावट नहीं आनी चाहिए।

ग्राहक के मनःस्थिति से प्रारम्भ (Begin where the client is)

यह हमेशा सलाह दी जाती है कि ग्राहक को सबसे पहले बोलने के लिए उत्प्रेरित किया जाना जाये और तब ध्यानपूर्वक सुना जाये। यह महत्त्वपूर्ण है कि साक्षात्कार देने वाला स्वयं को हल्कापन, सुकून और सुविधाजनक महसूस करे जिससे कि वह (स्त्री/पुरुष) अपनी अन्दरूनी भावनाओं को खुलकर जाहिर कर सके जो कि उसके दिमाग में सबसे ऊपर होते हैं। यद्यपि साक्षात्कार लेने वाला जानता है कि ग्राहक किस

पूछे कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं।

प्रश्न पूछना (Questioning)

ग्राहक से पूछे गए प्रश्न अप्रत्यक्ष, साधारण, संक्षिप्त, अव्यक्तिगत और उसी की भाषा में ही होने चाहिएं। ट्रिकी प्रश्नों को पूछने से बचना चाहिए जिससे संशय और भय पैदा होते हैं और कार्यकर्त्ता को विश्वसनीयता में कमी होती है। लय (Tone) भी महत्त्वपूर्ण है। इसके द्वारा रूचि जाहिर होनी चाहिए। अत्याधिक प्रश्न पूछने से ग्राहक में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और इसी प्रकार कम प्रश्न पूछने से कुछ क्षेत्र छूट जाते हैं, जिससे आंकडों को प्राप्त करने में कमी रह जाती है। हमेशा अग्रसूचक प्रश्नों को ही पूछना चाहिएं, जिससे कि ग्राहक मुक्त भाव और स्पष्टता से बातचीत कर सके। ग्राहक से सम्बन्धित प्रश्न ही पूछने चाहिए। जब कभी ग्राहक जवाब देने में कठिनाई महसूस करे तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए या पूरक प्रश्न करने चाहिए जिससे कि प्रश्न से सम्बन्धित बातें जो कि वो स्त्री/पुरुष कहना चाहते हैं और भी स्पष्ट और सरल हो जाए।

बोलना (Talking)

बोलने का चरण उस समय आता है, जब साक्षात्कार लेने वाले ग्राहक और उसकी परिस्थिति से घुल मिल जाता है और उसे यह पता चल जाता है कि सुझाव ग्रहण किये जायेंगे या नहीं। कार्यकर्त्ता को सही तरीके से सुनिश्चित जानकारी और सुझाव प्रदान करने चाहिए।

व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर देना (Answering Personal Questions)

कई बार साक्षात्कार लेने वालों से ग्राहक व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है, जिससे कि साक्षात्कार लेने वाला असुविधा महसूस करता है। व्यक्तिगत प्रश्नों के सही प्रकार के उत्तर वांछनीय होते हैं, परन्तु इसके बाद साक्षात्कार को संबंधित विषय पर पुनः ले आना चाहिए।

नेतृत्व और निर्देशन (Leadership and Directions)

साक्षात्कार की प्रक्रिया में कार्यकर्त्ता नेता होता है। इसलिए उसे (स्त्री/पुरूष) ग्राहक द्वारा रखी गई परिस्थितियों की व्याख्या एवं ग्राहक के चेतन भाग पर ध्यान केन्द्रित करने के माध्यम से साक्षात्कार को निर्देशन देने की जरूरत होती है। साक्षात्कार का उद्देश्य और वस्तुनिष्ठता को हर समय मस्तिष्क में रखना चाहिए।

मानसिक मंदित बच्चे का साक्षात्कार लेते समय हमें उसकी उम्र और बौद्धिक क्षमता के तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कई निश्चित तरीकों और साधनों को अपनाने की जरूरत पड़ती है। बच्चे साक्षात्कार का प्रतिरोध कर सकते हैं। बच्चे की विशेष संवेदनशीलता के लिए खेल और दूसरी तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि सूचनांए 4.1.2. प्राप्त हो सकें।

साक्षात्कार के दौरान बच्चे की सामान्य उपस्थिति और सामान्य व्यवहार के विवरण को शामिल किया जाता है। इस प्रकार के तथ्य जो कि एकत्र किये जाते है, वे सम्पूर्ण, सही और जीवन से सम्बन्धित होने चाहिएं। गतिविधि का स्तर, व्यवहार, साक्षात्कार लेने वाले के साथ संबंध और व्यक्ति जो कि बच्चे के साथ आए है, उनको भी नोट करना चाहिए। यदि बच्चा नहीं बोलता है तो बच्चे के व्यवहार को ध्यानपूर्वक नोट करते हुए साक्षात्कार को सीमित कर सकते हैं।

बात (Talk)

क्लांइट के बात करने के तरीकों पर विचार करने की आवश्यकता होती है जिसमें तेजी से बोलना, हकलाकर बोलना या विषय से सम्बन्धित न बोलना, अपने आप बड़बड़ाना इत्यादि बातों को शामिल किया

जाता है।

साक्षात्कार के दौरान देखना चाहिए कि ग्राहक में कोई असामान्य लक्षण तो नहीं है।

ध्यान और एकाग्रता (Attention and Concentration)

क्या वह आसानी से ध्यान लगाता है, क्या उसका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है, इस प्रकार इन सभी का विस्तार से परीक्षण करना चाहिए। निर्देशों का पालन करना और उनके प्रति प्रतिक्रिया को करने की योग्यता का निरीक्षण करना चाहिए।

साक्षात्कार के दौरान स्मृति और दिशानूकूलित स्थिति का निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ग्राहक के बारे में सामान्य सूचनाओं और बुद्धि का मूल्यांकन करना साक्षात्कार का एक अंगभूत हिस्सा है। ग्राहक के बौद्धिक स्तर को मूल्यांकन के लिए केस हिस्ट्री या सम्भव हो सके तो बुद्धि के मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। विभिन्न विधियों के परिणामों के विभेदीकरण का निरीक्षण करना चाहिए और उनकी व्याख्या करने की कोशिश करनी चाहिए।

मानसिक मंद केस का साक्षात्कार करते समय बच्चे के शैक्षिक मूल्यांकन को भी शामिल करना चाहिए। साक्षात्कार के दौरान सम्पूर्ण भौतिक परीक्षण को भी इसका एक हिस्सा के रूप में करना चाहिए। इस समय बच्चे के व्यवहार का पर्यवेक्षण कभी–कभी बहुत आवश्यक होता है।

हिस्ट्री और साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित आंकड़ों को जो क्लिनिशयन या टीम के एक्सपर्ट के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, उन्हे चाहिए कि वे अस्थायी, निदानात्मक स्थिति तक पहुंचने की कोशिश करे। उसका कारण बताना चाहिए और आवश्यक हो तो विभिन्न निदानों के बारे में वार्तालाप करनी चाहिए। इसके बाद प्रबन्ध आगे की अन्वेषण और उपचार के लिए सुझावों की रूपरेखा होनी चाहिए।

अनुभाग-6
परामर्श
(Counselling)

परिभाषाः परामर्श एक सहायता प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सलाह प्रदान करना होता है और उन व्यक्तियों को सहारा देना है, जिनमें सामाजिक क्रियाकलापों में समस्या उत्पन्न हो रही है या उनको जो कि जीवन की नयी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, वहां सलाह की जरूरत होती है। उन्हें उनकी भूमिकाओं एवम् उत्तरदायित्वों में बदलाव की आवश्यकता होती है।

बोरडिन के अनुसार (Bordin) "परामर्श एक प्रक्रिया है, जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से एक व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान में सहायता की जाती है।"

मूल तत्व (Basic Elements)

1- यह एक प्रक्रिया है।

2- इसके अन्तर्गत अन्तवैयक्तिक सम्बन्ध शामिल है।

3- यह सीखने की सुविधा प्रदान करती है।

4- यह एक समस्या समाधान प्रक्रिया है।

5- इसका उद्देश्य लोगों को निर्णय और चुनाव करने में सहायता करना है।

उद्देश्य तथा लक्ष्य (Aim and Objectives)

1- उचित सूचना प्रदान करके व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समायोजन के लिए सन्तुष्टिजनक स्तर प्रदान करना।

2- एक व्याक्ति के जीवन की परिस्थितियों की बेहतर समझ, स्वीकृति और समायोजन के लिए सुविधा प्रदान करना।

3- एक व्यक्ति को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को अधिक प्रभावकारी एवम् सन्तुष्टिजनक ढ़ग से निर्वहन करने के योग्य बनाना।

4- एक व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास की प्रगति हेतू प्रत्यक्ष रूप से परामर्श देना।

5- व्यक्ति जब अपनी समस्या का समाधान न कर पाता हो तो उस समय इसको उसकी समस्या को बेहतर समझने एवम् कई बार समस्या समाधान में नई अन्तदृष्टि का प्रयोग करने आदि में मदद करना।

परामर्श के लक्ष्य (Goals of Counselling):

1- कोपिंग (जुझना) कौशल को बढ़ावा देना/ प्रोत्साहित करना।

२. व्यवहार परिवर्तन को संभव करना।

3- सम्बन्धों में सुधार।

4- निर्णय लेने की क्षमता को बुढ़ावा देना।

5- व्यक्ति के गुणात्मक और मात्रात्मक दोनो क्षमता में वृद्धि करना।

दर्शन/उद्देश्य (Philosophy): इस व्यवसाय के पीछे सहायता प्रदान करना एक आधारभूत उद्देश्य है। परामर्शदाता सेवार्थी (क्लांइट) की सहायता का उत्तरदायित्व उतना ही निभाता है जितना कि एंजसी का विषय क्षेत्र उसे इजाजत देता है। यदि वांछित सहायता उस एजंसी के विषय क्षेत्र में अपलब्ध न हो तो उसे अन्य ऐसे एंजसी में भेजा जाना चाहिए जहाँ की विशेषिकृत सहायता उपलब्ध हो। अतः परामर्श के क्षेत्र में समस्या क्षेत्र में कार्यरत एंजसी के लिए आवश्यक है कि सम्बन्धित व्यवसायिक स्त्रोतों की जानकारी होनी चाहिए।

बहुत से व्यक्ति व्यक्तिगत संसाधनों, मित्रों व परिवारों या धार्मिक विश्वास का प्रयोग करके जीवन की चुनौतिपूर्ण स्थितियों को अपनाते हैं। इन संसाधनों के बावजूद भी चुनोती इस हद तक बढ़ जाती है कि उनसे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। निपुण सहायता कर्ता (परामर्शदाता) विकास प्रक्रिया एवम् इन चुनौतियों की अपनाने की प्रक्रिया में सुविधा प्रदान कर सकता हैं।

मानसिक मंदता के क्षेत्र में परामर्श के द्वारा अभिभावकों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए, उनकी अभिवृत्तियों को बदलने के लिए और अन्तःक्रिया में सुधार लाने के लिए जिससे कि उनके परिवार के कार्यकलापों और खुशी में कम से कम प्रभाव पड़े। यह देखा गया है कि प्रायः अभिभावक असामान्य बच्चे को प्राप्त करके तीव्र गलतफहमी और सदमें का शिकार हो जाते हैं और उन्हें एक बहुत बड़ा धक्का लगता है क्योंकि उनके भविष्य के सपनें बिखर जाते हैं और उनकी भावनाएँ डगमगा जाती हैं। बहुत से तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं, वे एक दूसरे से अपने आप को अलग कर लेते हैं और यहां तक कि अपने बच्चे से भी इस दुखः के कारण अलग हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं। जिनमें क्रोध, हीनभावना की परस्थिति (डिप्रेशन) पैदा हो जाती हैं जिसके कारण मानसिक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

नवजात शिशु के असमान्यता के सम्बन्ध में जानकारी देते समय मानसिक संकट (Psychic crisis)] व्यवहार के विभिन्न रूप और अभिभावको की आवश्यकताओं का विवरण निम्न प्रकार से है।

Model of Psychic Crisis-Manifestations-Needs of Parents at Disclosure of Handicap)

Parent is told (अभिभावक को बताया गया)	Psychic Crisis (मानसिक संकट)	Manifestations (विभिन्न रूप)	Needs (आवश्यकताएं)
	सदमा लगना	भावनात्मक अस्थिरता, सन्देह	सहानुभुति और
		निष्क्रिय होना, अविश्वास तर्क	सहारा
		विरूद्ध (कुछ क्षणों से कुछ	
		दिनों तक बना रहता है)	
बार–2 विभिन्न चरणों के बीच एक कड़ी बनी होती है।	प्रतिक्रिया दौर	दुःख को अभिव्यक्त करना है, गलत भावनाएँ, असमर्थता, असफलता और डिफैन्स मैकेनिजम (यह प्रक्रिया एकीकरण की है।	उन अभिभावकों को जो कि संतुष्ट नहीं है, कारण के तथ्यों को सुनना।
	अनुकुलन दौर	वास्तविकता को जानना, अभिभावकगण पूछते हैं कि क्या किया जाए। यह तत्परता का चिन्ह है कि हम कैसे mudh सहायता कर सकते हैं।	मैडीकल तथ्य, प्रशिक्षण शिक्षा, विश्वसनीय और उचित सूचना देना
	ओरिऐनटेशन दौर	अभिभावक पहचानने लगते हैं, और सूचनाएं और . सहायता प्राप्त करते हैं और भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं।	चिकित्सा की प्रक्रिया में निरन्तर सहायता व मार्गदर्शन का प्रावधान करना
	संघर्ष की समाप्ति		उचित सेवाओं को प्रदान करना।

संक्षिप्त रूप से मानसिक मंद व्यक्ति के अभिभावकगण को परामर्श देने के लिए तीन प्रकार से कड़ी (Chain) प्रक्रिया का वर्गीकरण किया गया 1- सदमा 2- अस्वीकारना – जिसमें हीन भावनाओं, सदमा लगना, दुःख तथा अनादर करना इत्यादि शामिल है। 3. स्वीकार करना।

परामर्श प्रक्रिया की अवस्था, (Stages of Counselling)

1. **सम्बन्ध स्थापित करना (Establishing Relationships):** परामर्शदाता के साथ जो समबन्ध स्थापित किया जाता है वह प्रारम्भिक अवस्था होती है। Bacher (1985) इन्होंने निरीक्षण किया कि क्लाइंट को ऐसा एहसास हो कि उसको देखभाल की जा रही हो, उसे समझा जा रहा है और उसके साथ ईमानदारी से कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परामर्शदाता को चाहिए कि वह मधुर सम्बन्ध स्थापित करे और उसकी आन्तरिक व्यक्तिगत चिन्ताओं को रचनात्मक स्तर तक लाया जाए। क्लाइंट के विश्वास को

खतरे से बचाने के लिए आत्म विश्वास और सच्चाई को प्रदान करे। परामर्शः वातावरण में आदर, स्वीकृर्ता, अभिवृति और मदद करने की चाहत का एहसास व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक है। जिससेकि उसकी अधिक से अधिक सहायता की कोशिश की जाए। अतः प्रभावकारी परामर्शदाता सेवार्थी सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सहानुभूति, सच्चाई और बिना अनुबन्धन के देखभाल और आदर को भी शमिल करना चाहिए।

2. **समस्याओं का मूल्यांकन (Assesing the Problems):** मूल्यकांन के अन्तर्गत वे सभी आते है जो कि एक परामर्शदाता जानकारी प्राप्त करने और निष्कर्ष निकालने के लिए करते है। अग्रलिखित तत्व मूल्यांकन में शामिल किए जाते हैं. 1- पंजीकरण 2- बच्चे और अभिभावकों की अपेक्षाओं का निदानात्मक मूल्यंकान 3- वास्तविक आंकडों को एकत्रित करके समस्या को परिभाषित करना। यह समास्यात्मक स्थिति में व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु लक्ष्य को

निर्धारित करने में सहायता करती है।

3. **उद्देश्य निर्धारण (Goal Setting):** लक्ष्य, परामर्शदाता एंवम् सेवार्थी दोनों की सहायता करता है, कि परामर्श द्वारा क्या सहायता मिल सकती है, और क्या सहायता नहीं मिल सकती यह मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण विस्तार है। इस प्रक्रिया में दो प्रकार के लक्ष्य शामिल किए जाते हैं। 1- प्रक्रिया लक्ष्य 2- परिणात्मक लक्ष्य। प्रक्रिया लक्ष्य थैराप्यूटिक स्थिति को स्थापित करने से सम्बन्धित है। इसका सामान्यीकरण सभी सेवार्थी के सम्बन्धों के साथ किया जा सकता है और इन्हें सार्वभौमिक लक्ष्यों के रूप में विचार किया जा सकता है। प्रत्येक क्लांइट के लिए परिणात्मक लक्ष्य भिन्न होगें और प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित हैं जोकि सेवार्थी परामर्श के परिणामस्वरूप चाहते हैं।

प्रभावशाली लक्ष्य को स्थापित करने के पैमाने निम्न हैं :–

क/ सेवार्थी किस प्रकार का विस्तृत परिवर्तन चाहता है और किस विशेष परिस्थिती में परिवर्तन चाहेगा इसकी पहचान करना।

ख/ विशेष कार्य जो कि सेवार्थी को करना है अपनी समस्यात्मक स्थिति को सुधारने को जो लक्ष्य व उद्देश्य रखें अनको पा सके।

4– **आरम्भिक हस्तक्षेप (Initiating Intervention):** समस्या और लक्ष्य को पहचानना तथा उसके परिणाम को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उचित परामर्श एप्रौच का चयन करने के पूर्व–अपेक्षित कारक है। जिससे सेवार्थी को अपनी समस्या के समाधान में सहायता मिलती है परामर्शदाता को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक एप्रौच सभी स्थितियों में उपयुक्त नहीं होती है, भिन्न व्यक्तियों की भिन्न समस्याओं के लिए, तथा भिन्न लक्ष्यों के लि, भिन्न–भिन्न एप्रौच की जरूरत होती है। मानसिक मंदता के क्षेत्र में परामर्शदाता के द्वारा जो हस्तक्षेप प्रयोग किए जाते हैं वह निम्न हैं।

(1) प्रभावी (2) व्यवहारिक (3) कुछ स्थितियों में दोनो

1. **प्रभावी एप्रौच (Affective Approach):** इस एप्रौच का प्रयोग उस समय

किया जाता है जबकि सेवार्थी की भावनाओं तथा अहसास को केन्द्र बिन्दु मानकर प्रबन्ध किया जाता है। आन्तरिक भावनाओं को व्यक्त करने में सहायता प्रदान करना इस एप्रौच का प्राथमिक लक्ष्य है, अतः परामर्शदाता की भूमिका होती है कि वह दबी हुई भावना को बाहर निकालने की स्थिति उत्पन्न कर दे। जिससे की डर, चिन्ता, संदेह, गलत विचार, घृणा और शर्म जितनी भी दबी हुई है उसे बाहर निकाल सके, जिससे की बहुत अधिक दबावपूर्ण स्थिती से सेवार्थी को मुक्ति मिले। यह एप्रौच समस्या की वास्तविकता को देखने में उसकी मदद करती है और वह उसे सकारात्मक और निर्माणात्मक क्रियाओं के लिए प्रेरित करती है।

2. **व्यवहारिक एप्रौच (Behavioural Approach):** इसका उद्देश्य बहुगुणी स्थितियों में स्वीकार्य और सहायक व्यवहार का विकास करना होता है। इस व्यवहार से तात्पर्य बाहरी और आन्तरिक व्यवहारों से है जो कि दूसरों के द्वारा निरिक्ष्ण योग्य हो और वातावरण द्वारा नियन्त्रित हो। प्रभावपूर्वक व्यवहारिक परिवर्तन हम वातावरण में परिवर्तन लाकर कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें वांछित व्यवहार प्राप्त होता है इसमें सीखने की स्थिति को शामिल किया जाता है। अतः परामर्शदाता सम्पूर्ण रूप से सीखने की थ्यौरी पर निर्भर करता है। इस दृष्टिकोण के तत्त्व निम्न हैः—

i) व्यक्ति के व्यवहार सीखने योग्य है एंवम परिवर्तन योग्य है।

ii) व्यक्ति के वातावरण में परिवर्तन, उसके व्यवहार को परिवर्तित करने में सहाचता प्रदान करती है।

iii) व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार सुधार की तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है।

एप्रौच मिश्रित (Ecletic Apporach): इस एप्रौच का प्रभाव एहसास तथा व्यवहार दोनो पर पड़ता है। इसका लक्ष्य क्लाइंट को सहायता प्रदान करता है, जिससे कि क्लाइंट अपनी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकाल सके, और इससे वांछित व्यवहार के विकास को बढ़ावा देने की क्रिया में सहायता मिलती है और भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियन्त्रित करने में सहायता मिलती है।

5. **समाप्त और निगाह रखना (Termination and follow up):** सामान्य तौर पर पुर्ननिर्माण और पुर्नसंरचना शामिल किया जाता है जैसे की प्रगति का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन, लक्ष्य कितना प्राप्त हो गया है उसे देखना। मूल्यांकन करने के बाद परामर्शदाता गहराई से वार्तालाप करने के बाद निगाह रखने के कार्यक्रम से कितनी प्राप्त हुई या कार्यक्रम को समाप्त करना यह सब निर्भर करता है कि सेवार्थी को कितना फायदा हुआ है।

परामर्श के सिद्धान्त (Principles of Counselling)

1. **सुनने का महत्व (Importance of Listening):** परामर्श के प्रभावकारी होने के लिए यह आवश्यक है परामर्श दाता की सेवार्थ (काउन्सली) की भावनाओं, अभिवृति एंव

व्यक्तित्व तथा साथ ही उसके बौद्विक एंव सूचना स्तर का ज्ञान होना चाहिए। परामर्श की आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए व्यक्ति को उसकी समस्या अपने ही तरीकों से बोलने का मौका दिया जाए। उसे अपनी समस्या से सम्बन्धित कहानी सुनाने का मौका दिया जाए और व्यक्ति के सोचने के स्तर पर कुछ क्लयूज जो कि उसके दबावपूर्ण कारकों से सम्बन्धित हों, देने चाहिए जो कि मानसिक मंद व्यक्ति के उपस्थित होने से परिवार में दबावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही है, उससे सम्बन्धित परामर्श देना चाहिए।

2. **भाषा का प्रयोग (Language Used):** सम्प्रेषण परामर्श लेने वाले की भाषा में ही होना चाहिए। आम आदमी आमतौर पर व्यवसायिकों के साथ कार्य करते समय कलंकित और भयग्रहस्थ महसूस करता है। बच्चे को केस न कहकर बच्चे को नाम लेकर या आपका बेटा कहा जाए तो सम्प्रेषण अच्छा बन जाता है। विकलांग व्यक्ति को केस न कहकर यदि एक व्यक्ति समझा जाए तो परामर्शदाता और परामर्श लेने वाले के सम्बन्ध अच्छे बन सकते हैं। सामान्य प्राभावोत्पादकता और परीक्षित आंकड़े परामर्श लेने वाले की भाषा में ही होने चाहिएं। बौद्धिक परिस्थिति ओर इसकी प्राप्ति आमतौर पर तब अधिक अर्थपूर्ण हो जाती है, जबकी उन्हे अनुमानित मानसिक आयु या समकक्ष स्कूल के ग्रेडइस बच्चे के बराबर होगा, दर्शाया जाता है।

3- **योजनाओं का महत्व (Importance of Plan):** जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी विशेष बच्चों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिए। बच्चे के भविष्य के लिए योजनाएँ बनाने के लिए, विशेष शुरूआती बिन्दु अभिभावकगणों की धारणाए होनी चाहिए। प्रारंभ में एक योजना उनके द्वारा विचार की जाती है । उनके साथ ही परामर्शदाता के विकलपित सुझाव होने चाहिए। भविष्य की योजनाएं बनाना एक निरन्तर प्रक्रिया है जो कि कभी भी पूर्ण नहीं होती है। एक समय में जो योजना के पहले चरण बनाए जाते हैं, व्यक्ति के विकास को दृष्टिगत रखते हुए पुनःविचार होते है।

4. **स्वीकृति की आवश्यकता (Need of Acceptance):** अभिभावकगण भावनात्मक रूप से विघटित होते हैं। उनमें हीनभावना और शर्म की भावना की अनुभूति होती है। केवल अभिभावकगणों को आंकना, उसकी मनोवृति और क्रियाकलापों की भर्त्सना करने से ही अभिभावकों को सहायता नही मिलती। आलोचना के कारण वैमनस्य (शत्रुता) उत्पन्न हो जाती है। सहायतापूर्ण परामर्श के सम्बन्ध के लिए बेहतर समझ और स्वीकृति मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जागरूक होने के लिए सहानुभूति पूर्ण, बेहतर समझ और सहायता पूर्ण भावना परामर्श की कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं।

5. **सम्पूर्ण परिवार को परामर्श देना (Counsel the Entire Family):** सम्पूर्ण परिवार को प्रभावपूर्ण योजना और इसके सम्पादन में शामिल किया जाता है। जब परिवार के सभी सम्बन्धित सदस्य परामर्श के लिए हिस्सा लेते हैं तो जो भी असंगत विश्वास या अभिवृति है वह उभर कर सामने आती हैं और विचारों के विभेदीकरण में सुधार लाकर सामजस्य स्थापित किया जाता है। यदि परिवार के सभी सदस्यों को मंत्रणा (वार्तालाप) और योजना बनाने के लिए शामिल किया जाता है तो उनके उत्तरदायित्व को निभाने और सामान्य लक्ष्य में सहयोग करने की अधिक संभावना

समूह में एक प्रशिक्षित परामर्शदाता दवारा जो औपचारिक परामर्श दिया जाता है। उसमें अभिभावकगणों के समुह की सामान्य समस्याओं के लिए अनौपचारिक रूप से सूचनाओं तथा अनुभवों का आदान–प्रदान किया जाता है।

लाभ (Advantages)

1. समूह अभिभावकगणों को भावनात्मक सहारा प्रदान करता है वे अपनी इच्छाओं और भावनाओं को व्यक्त करने में स्वतन्त्र महसूस करते हैं। उन्हें ये पता लगता है दूसरे अभिभावकगणों के साथ भी इसी तरह की समस्याएं हैं। जिससे की अभिभावकगणों को अपनी समस्याओं को भिन्न दृष्टिकोणों से देखने में सहायता मिलती है।

2- समूह में अभिभावकगण एक दूसरे को शिक्षित करते हैं। वे सूचनाओं को ग्रहण करने के प्रति अधिक जागरूक होते हैं और सुझाव भी इन्हीं जैसे लोगों में से ही निकलते हैं।

3- सामूहिम प्रयत्न के परिणामस्वरूप कार्यक्रम को अधिक सफल बनाया जा सकता है।

परामर्शदाता (The Counsellor): परामर्शकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसके पास पूर्वज्ञान कौशल प्रशिक्षण, सहनशक्ति और व्यवसायिक योग्यता होती है, जिसके द्वारा वह समस्या से ग्रस्त व्यक्ति की सहायता कर सकताहै। परामर्शकर्ता वह व्यक्ति होता है जो कि

1- दूसरों की समस्या के प्रति संवेदनशील हो।

2- ग्राहक और समस्या के प्रति सहानुभूति पूर्ण अभिवृति वाला होना चाहिए।

3- ग्राहक की समस्याओं का मूल्यांकन करते समय पक्षपात रहित और उद्देश्यपूर्ण मनोवृति होनी चाहिए।

4- उसमें ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि वह ग्राहक को भावनात्मक वातावरण उपलब्ध करवाए जिससे कि ग्राहक अपनी समस्याओं को स्वतन्त्र रूप से जाहिर कर सके।

5. ग्राहक का सबसे अच्छा मित्र हो।

गुण (Qualities)

1. खुले विचारों वाला हो।
2. प्रत्यक्षीकरण करने वाला हो।
3. अनिर्णायक अभिवृति।
4- संवेदनशीलता।
5- तदानुभूति।
6. वस्तुनिष्ठता।
7. सच्चाई।
8. प्रभुत्व रहित।
9. सुनने की योग्यता।
10- सकारात्मक दृष्टिकोण।
11- प्रभावपूर्वक सम्प्रेषण कौशल होना चाहिए जिससे की सुरक्षा, विश्वास और उत्साह उत्पन्न हो सके।
12- आत्म ज्ञान और आत्म सम्मान।

मुल्य (Values)

1. सहायक की योग्यता।
2. सहायक की सच्चाई।

मुल्य (Values)

1- सहायक की योग्यता।
2- सहायक की सच्चाई।
3- सहायक का व्यवहारिक दृष्टिकोण।
4- ग्राहक के लिए आदर की भावना।
5- ग्राहक का आत्म उत्तरदायित्त्व।

परामर्श स्थिति की विशेषताएं (Characteristic of Counselling situation)

1- सुरिक्षत
2- संरक्षित
3- उत्समता
4- अनिर्णायक
5- भयमुक्त
6- आदान–प्रदान/अर्न्तवैयक्तिक परिस्थिता में गोपनीयता

परामर्श कौशल (Counselling Skills): परामर्श के द्वारा न केवल सूचनाएं प्रदान की जाती है अपितु इसमें समस्याओं के लिए कार्य को शामिल किया जाता है, जिसमें सकारात्मक अभिवृति और कौशलों की आवश्यकता होती है। इससे ग्राहक को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध स्त्रोंतों का प्रयोग करने में सहायता मिलती है। परामर्श के कौशलों में सुनना, समझना और क्रियात्मक योजनाओं को शामिल किया जाता है।

1. **सुनना (Listening):** परामर्श के प्रथम स्तर पर परामर्शकर्त्ता को चाहिए कि वह ग्राहक को अपने बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित करे। परामर्शकर्ता को चाहिए कि वह ग्राहक के शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार को परखे, जिसमें कि ठीक मुद्रा आँखो का सम्पर्क, शान्ति और किसी प्रकार की अशान्ति नहीं होने की जरूरत होती है। ग्राहक को सक्रिय रूप से सुनना भी परामर्शकर्त्र की एक और महत्ता है। इसका अर्थ ग्राहक के तरफ पूर्ण ध्यान देने से जिससे की उनके बारे में जाना जा सके। इसमें न केवल ग्राहक के बोले गए शब्दों को सुनने को शामिल किया जाता है, परन्तु उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की जाती है और उनकी समस्या से सम्बन्धित स्पष्टीकरण में सहायता करते है और उन समस्याओं का चयन किया जाता है जिनके तरफ तत्काल ध्यान की जरूरत है। परामर्शकर्ता (भावानुवाद), (Para phrasr..a)प्रतिबिम्बित भावार्थ विचार, अर्थ और अनुभूति इन कौशलों का प्रयोग करता है।

2- **समझना (Understanding):** सुनने के कौशलों को परामर्शकर्ता के द्वारा सभी स्तरों पर उपयोग किया जाता है, परन्तु दूसरे चरण में मुख्य केन्द्र बिन्दू क्लाइंट को उसकी समस्या को समझने में सहायता करना होता है। परामर्शकर्ता किन्ही भी दो कौशलों को मिलाकर उपयोग कर सकता है, जिसमें शामिल है – सारांश, सूचनाएं देना, सामान्य सार की पहचान करना, कोई भी सोच या अनुभव जो कि विवादास्पद हों क्लाइंट के समक्ष रखने चाहिएं, सम्पर्क बनाना और विभिन्न स्थितियों की सोच के बारे में क्लाइंट की मदद करना या विकल्प, सुझाव बताना या विश्लेषण का उपयुक्त

निष्कर्ष निकालना।

3. **क्रिया योजना (Action Planning):** यह परामर्श का तीसरा स्तर हैं, इसमें परामर्शदाता क्लाइंट के साथ समस्या के संभव समाधान के बारे में वार्तालाप करने विकास करता है, जो कि निर्णायित योजनाओं को सक्रिय रूप से करने में अन्यथा कठिनाई महसूस करते है। परामर्शकर्ता सक्रिय रूप से क्लाइंट को विकल्प को ढूंढने में निर्णय लेने में, क्रियात्मक योजना का विकास करने में और कार्यक्रम के मूल्यांकन में मदद करता है। यदि जरूरत पड़ती है तो खुला दरबार नीति (Open door policy) आगे और सम्पर्क करने के लिए अपनाई जाती है।

क्षेत्र (Areas): परामर्श सेवाओं को किसी भी प्रकार की समस्याओं के सन्दर्भ में प्रदान किया जा सकता है जिसके क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

1. शैक्षणिक।
2. व्यवसायिक।
3. विवाह पूर्व सम्बन्ध।
4. अयोग्य (निःशक्त) व्यक्ति को परामर्श देना।
5. पारिवारिक परामर्श।
6. जैनेटिक (वंशानुगत) परामर्श।
7. आर्न्तवैयतिक सम्बन्ध से सम्बन्धित समस्याएं।

प्रभावपूर्वक परामर्श (Counselling Effectivity)

1. परामर्श के द्वारा आन्तरिक भावनाओं को शान्ति मिलती है।
2. दोहराने से सरल स्वभाव और पूर्ण वार्तालाप के द्वारा समस्याओं को और वस्तुनिष्ठता और वास्तविक रूप से परिभाषित करने में सहायता मिलती है, जिसके द्वारा कारण के कारकों को ठीक प्रकार से समझा जा सकता है।
3. इसके द्वारा एक व्यक्ति में सम्पूर्ण वांछित परिवर्तन को लाया जा सकता है या उसके वातावरण में विघटन की स्थिति में ठीक प्रकार से समायोजन को प्राप्त किया जा सकता है।यदि वातावरण या व्यक्ति में कोई परिवर्तन संभव नहीं हो पाता तो ग्राहक को उसी स्थिति को यथावत स्वीकृत कर लेना चाहिए।
4. संघर्ष जो कि विचारों और निर्णयों में विभेदीकरण के कारण होता है, उनको परामर्श या तर्कपूर्ण तथ्यों के द्वारा हटाया जा सकता है।
5. उन ग्राहक को जिनमें मनोवैज्ञानिक लक्षण चिन्ता ओर दबाव होते हैं उन्हें निदानात्मक सेवाओं के लिए भेजा जाता है, जो कि परामर्श केन्द्रों के साथ सम्बन्धित होते है, जिसमें ग्राहक को मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक समस्याओं से निजात पाने में सहायता मिलती है।

अनुभाग-7

योगीकरण और पुनर्वास
(Habilitation & Rehabilitation)

पुनर्वास सामान्य तौर पर योगीकरण के विस्तृत प्रत्यय के रूप में उपयोग किया जाता है। योगीकरण से तात्पर्य विशेष रूपरेखा के प्रयास से है जिसमें जन्म से या प्रारम्भिक बाल अवस्था के दौरान विकलांगों को सहायता देनी है जहाँ पर विकासात्मक, परिपक्वता और सिखना या कार्य हर समय सामान्य जीवन से निम्न रहता है, आन्तरिक कारणों के कारण विकासात्मक अवधि के दौरान और परिणाम के तौर पर कार्य करने का स्तर सामान्य तक नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार के केसेस (Case) में योगीकरण के कार्यक्रम का विकास किया जाना चाहिए। जन्म के समय या जीवन के प्रारम्भिक क्षण में, विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। विभिन्न क्षेत्रों में, विकास में प्रशिक्षण देने में।

योगीकरण को सामान्य तौर पर उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहाँ व्यक्ति में जन्म से ही कुछ कमियाँ होती हैं उनकी सहायता की जाती है ताकि वह अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम विकास कर सके। ताकि वह लड़की/लड़का जितना हो सके एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

पुनर्वास (Rehabilitation): इसको हम एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। विकलांग व्यक्ति की जितनी भी क्षमता है जो उसके लिए उपयोगी है, भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवसायिक उसकों पुनः भंडारण करना। अतः इससे प्रक्रिया, तरीके और कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है। जिनकी रूपरेखा बनाई जाती है जिससे कि व्यक्ति के कार्यो पर अच्छा प्रभाव पड़े और उन्हें व्यक्तिगत तौर से सन्तुष्टि प्राप्त हो सके।

पुनर्वास क्यो: क्योंकि व्यक्ति में विकलांगता से पहले उच्चतम स्तर का कार्य करने की क्षमता का विकास हो चुका था परन्तु अचानक किसी घटनाओं से, कार्य करने की क्षमता पूर्णतः खत्म हो जाती है, या कुछ खत्म होती है या स्थाई रूप से खत्म हो जाती है। अतः आवश्यकता है पुनर्वास कार्यक्रमों की ताकि वह उन्हें दुबारा से शिक्षित कर सके और वह फिर से सामान्य जीवन के मुख्यधारा से जोड़ सके।

अतः योगीकरण या पुनर्वास की आवश्यकता है विकलांग व्यक्ति के जीवन में शारीरिक विकलांगता, मानसिक मंदता सेरिबरल पालसी (Cerebral palsy)] आटिसम (Autism) या संवेदनहीनता। पुनर्वास प्रक्रिया की जटिलता के कारण एक सामूहिक दृष्टिकोण की जरूरत है। विभिन्न व्यवसायियों की सेवाएं, विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे विशेष शिक्षक, चिकित्सीय सहायता, थैरी प्यूटिक सेवाएं या व्यवसाय स्थापित करना योगीकरण और पुर्नवास का एक मुख्य भाग है। योगीकरण या पुनर्वास एक सम्पूर्ण प्रक्रिया है, जिसकी विकलांग व्यक्ति के पूरे जीवन आवश्यकता रहती है।

यह शब्द पुनर्वास और योगीकरण साहित्य और व्यवसायियों में अदल–बदल कर ही प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र प्रक्रियाओं में अन्तर केवल अमूर्त स्तर है न कि कार्यरत स्तर पर।

पुर्नवास और योगीकरण में अन्तर (Difference between Rehabilitation and Habilition)

पुर्नवास	योगीकरण
1- विकलांगता या कमजोरी के कारण जिस व्यक्ति ने कार्य क्षमता खो दी है, उसकी सहायता करना।	1- पैदाइशी विकलांग की सहायता करना
2- दुबारा से खोई हुई क्षमता को एकत्रित करवाना।	2. इसमें व्यक्ति की उस योग्यता का जो कि कभी उत्पन्न न हुई हो या कम रह गई हो, का विकास किया जाता है।
3- ये लम्बी अवधि या कम अवधि के कार्यक्रम हो सकते हैं।	3- यह लम्बी अवधि की प्रक्रिया है।
4- इसमें व्यक्ति जो कि विकलांगता की स्थिति में होता है, उसकी मूलभूत क्षमताओं को, उसके ज्ञान, अनुभवों तथा उसकी अभिवृत्तियों के विकास में सहायता की जाती है।	4. संरचनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशलों के द्वारा, व्यक्ति के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कौशलों का विकास किया जाताहै।
5- उसके अपने ही वातावरण को बढ़ाकर उसे पुर्नवास दिया जाता है।	5- चिकित्सा और प्रशिक्षण दोनों ही दिए जाते है।
6- यह एक बहुत ही विख्यात प्रत्यय है, जिसमें योगीकरण को भी शामिल किया जाता है।	6. योगीकरण एक विशिष्ट प्रक्रिया है।

परिवार और मानसिक मंद व्यक्तियों का पुर्नवास
(Family and Habilitation of Persons with Mental Retardation)

1- जब माता पिता को बच्चे में कुछ कमी का एहसास हो तो उन्हें तुरन्त व्यवसायिकों की सहायता लेनी चाहिए।

2- परिवार वालों को चाहिए कि वे धर में प्यार का माहौल बनाए रखें, जिसमें बच्चे प्यार और सविकृति का अनुभव कर सके और माता–पिता उससे घुल–मिल जाए। उन्हें इस प्रकार का कोई भी मौका नहीं देना चाहिए, जिससे बच्चे निर्भर हो जाएं तथा उन बच्चों से अधिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

3- अभिभावकों को बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल से जल्दी–जल्दी परिवर्तित न करें, क्योंकि इससे बच्चे की कमजोरी और उसकी कार्य क्षमता का पता नहीं लगता। इससे बच्चे को अपनी कार्यक्षमता दिखाने को मौका नही मिलता।

4- अभिभावकों को बच्चे को नए अनुभवों का मौका देना चाहिए, जिससे बच्चे का जीवन आनन्दमय होगा।

5- योग्यताओं का विकास करने के लिए उसे उचित क्षेत्र प्रदान करना चाहिए।

6- बच्चो की सही व काफी मौके देने चाहिए ताकि बच्चे अपनी उर्जा का सही उपयोग कर सके।

अभिभावकगणों को परामर्श देना चाहिए (Parents should be Counselled to)

1- घर और स्कूल में विकलांग व्यक्ति के प्रति वास्तविक अभिवृति बनाए रखनी चाहिए।

2- वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इच्छाएं रखना।

3- बच्चे में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना चाहिए।

4- बड़े सामाजिक सम्बंध स्थापित करने की अपेक्षा नजदीकी दोस्तों के साथ सामाजिक संतुष्टि को बनाए रखना चाहिए।

5- बच्चे के विकास के उद्देश्यः-

1- आत्मनिर्भरता

2- प्रोत्साहित करना और

3- उसे व्यक्तिगत सामाजिक उत्तरदायित्व का ज्ञान।

ग्रामीण और शहरी पुर्नवास में प्रभाव डालने वाले कारक (Factors Affecting Rehabilition in Urban and Rural Settings)

शहरी व्यवस्था	ग्रामीण व्यवस्था
1- नाभिक परिवार	1- संयुक्त परिवार
2- पारिवारिक संघर्ष	2- जागरूकता और ज्ञान की कमी।
3- सामाजिक कलंक	3- परम्परागत सोच
4- स्वीकार न करना या अधिक सुरक्षा	4- प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी।
5- विशेष स्कूलों की दूरी	5- सुविधाओं की कमी
6- यातायात के साधनों की समस्या	6- स्त्रोतों का उपलब्ध न होना
7- अधिक मँहगी सेवाएँ	7- गरीबी और अज्ञानता
8- बेरोजगारी–कार्य क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा के कारण	8- गल्त धारणाएँ
9- सेवाओं के प्रति अजागरूकता	

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योगीकरण की आवश्यकताएँ (Urban and Rural Needs of Habilitation)

शहरी आवश्यकताएँ:

1- योगीकरण की सेवाओं के बारे में सूचनाएँ देना।

2- इन सेवाओं के विकेन्द्रित करना, विशेष स्कूल, डेकेयर सैन्टरस्

और सैन्टर फॉर स्पास्टिक।

3- परामर्श सेवाएँ।

4- यातायात के साधनों की सुविधाओं की आवश्यकता।

5- उन केन्द्रों की जहाँ पर उन्हें प्रशिक्षण मिले और रोजगार भी दिया जाए, ऐसे कार्यक्रमों को चलाने की आवश्यकता।

6. स्व रोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता।

7- पब्लिक और प्राइवेट सैक्टर में रोजगार व आरक्षण की आवश्यकता।

8- आवासीय संस्थाओं की आवश्यकता।

9- विकलांग व्यक्ति के लिए संस्था या अस्पताल की आवश्यकता, जिसमें इन्हें चिकित्सीय, थैराप्यूटिक और देखभाल की सेवाएँ प्रदान की जाए।

10- अधिकारों की रक्षा के लिए नियमों को लागू करने की आवश्यकता।

11- जन–जागृति।

12- मनोरंजन के लिए उचित प्रावधान बनाने की आवश्यकता।

ग्रामीण आवश्यकताएँ:

1- जन–जागृति फैलाना।

2- बचाव, आरम्भिक पहचान, हस्तक्षेप और प्रबंध का प्रावधान।

3- ग्रामीण स्तर के पुर्नवास कार्यकर्त्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

4- परामर्श सेवाएँ।

5- ऑगनवाड़ी और बालवाड़ी की आवश्यकता।

6- गृह आधारित कार्यक्रम।

7- समुदाय के स्तर पर प्रशिक्षण और पुर्नवास कार्यक्रम।

8- शिक्षा के लिए कम खर्चीली सामग्री का विकास करने की आवश्यकता।

9- खाली समय में मनोरंजनात्मक और खाली समय की क्रियाओं का प्रावधान।

सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका (Role of Government & Non-Government Organization)

मानसिक मंदता न केवल एक सामाजिक चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक समस्या है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या भी है। यह अनुमान लगाया जाता है कि हमारे देश की 2 से 3 प्रतिशत जनसंख्या मानसिक मंदता से प्रभावित है।

सभी विकलांग बच्चों को अधिकार है कि वे परिवार में जीवन व्यतीत कर सकें, समुदाय में सेवाएँ प्राप्त कर सकें और स्त्रोतों का लाभ उठा सकें। मानसिक मंद व्यक्ति वे होते हैं, जिन्हें जीवन भर अधिक सुरक्षा और देखभाल की जरूरत होती है। जो कि परिवार और समुदाय के लिए एक दबावपूर्ण स्थिति होती है। मानसिक मंद व्यक्ति को स्वीकार करना, इस बात पर निर्भर करता है कि समाज में कितने पुर्नवास कार्यक्रम हैं। संविधान में विकलांग व्यक्तियों को मदद देना राज्य/प्रदेश का विषय (State Subject)

है। प्रायोगिक रूप से केन्द्रीय सरकार भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का नोडल (केन्द्रीय) मंत्रालय है जिसका नाम अभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है जो कि विकलांगों के कल्याण में लगी हुई है। विकलांग व्यक्तियों के सुधार से सम्बन्धित सभी नीतियाँ इसी मंत्रालय द्वारा सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों तथा गैर सरकारी संघठनों के विचारों को मध्य नजर रखते हुए शुरू की जाती है । इसके लिए राष्ट्रीय स्तरीय संस्थाओं के द्वारा तकनीकी सहायता दी जाती है।

अतः योगीकरण की प्रक्रिया में सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेषतौर पर उन क्षेत्रों में नीतियाँ कार्यक्रम बनाना, इस क्षेत्र में विभिन्न संगठनों को फंड देना, मानवी ऊर्जा का विकास करना, व्यवसायी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्तर को बनाए रखना, प्रकाशन और अनुसंधान की सुविधाएँ उपलब्ध करवाना, विभिन्न विभागों, गैरसरकारी संस्थाओं और मंत्रालयों से सहसम्बन्ध बनाए रखना, आरक्षण और सामजिक लाभ का प्रावधान करना और विकलांग व्यक्ति की सुरक्षा के अधिकार के लिए उचित कानून की व्यवस्था का प्रावधान बनाना।

गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका यह होती है कि वह **सरकार के साथ सांझेदारी से** काम करे, योगीकरण के लिए उचित कार्यक्रमों और सेवाओं **को आरम्भ करवाना। इस** क्षेत्र में बचाव, पहचान, स्क्रीनिंग, प्रबन्ध, शिक्षा, प्रशिक्षण, व्यवसाय **में स्थापना करना और अनुसरण** करना सेवाओं का विस्तृतीकरण किया जाता है। गैर **सरकारी संस्थाओं की सेवाओं को** विस्तृतीकरण करने की अपेक्षा नए कार्यक्रमों का विकास **करना और जो कार्यकम चल रहा** है, उसके अनुसार परिवर्तन लाना, सर्मथन, समूह में सक्रिय रूप **से भाग लेना शिक्षा के** लिये उचित सामग्री और सहायक सामग्री **का विकास करना अनुसंधान प्रचार और साथ ही** साथ विस्तृत करने की प्रणाली में समन्वय स्थापित करना **गैर सरकारी संस्थाओं के** उत्तरदायित्व हैं।

योगीकरण के मॉडल (Models of Habilitation) :

1- संस्थात्मक मॉडलः इस मॉडल से यह पता लगता है कि इसमें स्थायी रूप से मानसिक विकलांग व्यक्ति की संस्थाओं में देखभाल की जाती है। जैसे-जैसे इसका विकास होता जा रहा है समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है यह माडल इतना प्रचिलत नहीं है। ऐतिहासिक तौर से यह माना जाता है कि परिवार विकलांग बच्चों की देखभाल का प्राथमिक स्त्रोत है परन्तु १६वीं शताब्दी के मध्य और अन्त के चरण में, व्यवसायिकों की देखरेख अधिक बढ़ गई, जिसमें विशेष व्यवसायिक हो गए कि किस प्रकार से मानसिक मंद व्यक्ति को सेवाएँ प्रदान की जाएं। उनका मुख्य लक्ष्य बच्चों के कौशलों में विकास करना हो गया, जिससे कि वे समुदाय में फिर से एकीकरण कर सकें और एक उत्पादक या उपयोगी सदस्य बन सकें, यह लक्ष्य निःसन्देह उन लोगों के लिए नहीं है, जिनके परिवार वालो को मानसिक मंद व्यक्तियों का प्रबन्ध करने में कठिनाई होती है व निरन्तर देखभाल की जरूरत होती है।

19वीं सदी के अन्त में यह विभ्रम बना, जिसका परिणाम यह हुआ कि मानसिक विकलांग व्यक्ति का समुदाय में एकीकरण नहीं हो पाया, जिसके कारण लोगों में **यह** अभिवृत्ति बन गई कि जो भी सुधार या सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं, वे केवल **संस्था** में ही की जा सकती हैं, जिसे एक नई भूमिका दी गई। .....(कस्टोडियल केयर)।

२०वीं सदी के मध्य में लोगों की अभिवृत्ति में परिवर्तन आया कि संस्थाओं में जिस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, उसमें उचित योगीकरण के तत्वों की कमी रह जाती है। इसके अतिरिक्त आवास भौगोलिक रूप से अलग होते हैं, उन्हें समाज से अलग रखा जाता है। उनका ठीक प्रकार से मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से विकास नहीं हो पाया। उनके सुधार की परवाह नहीं की गई।

परन्तु समय परिवर्तित के साथ मानसिक मंदता के प्रति समुदाय की अभिवृति भी बदली। व्यक्तियों में बुद्धि की प्रगति के साथ एकीकरण, मुख्यधारा, सामान्यीकरण और सोच में परिवर्तन हो गया और ये इन प्रत्ययों को अपनाने लगे। चाहे जिस प्रकार भी हो संस्थात्मक देख–रेख को हटाया नहीं जा सकता। यह उन परिवार वालों के लिए ठीक होता है जो कि तीव्र मानिसक तनाव वाले लोगों के लिए अन्तिम स्त्रोत होता है।

अतः संस्थाओं के द्वारा संस्थात्मक सुविधाओं को हटाया नहीं जा सकता, विशेष तौर पर उन मुद्दों पर जहाँ पर सीवरयली या प्रफाडंड व्यक्ति हों, क्योंकि उन्हें अधिक देखभाल और नर्सिग केयर की आवश्यकता होती है। अतः आवासीय संस्थाओं में देखभाल का जो लक्ष्य है, कस्टोडियल केयर में चिकित्सक भी होना चाहिए, न केवल कस्टोडियल केयर में ही होना चाहिए।

2– एकीकरण और मुख्यधारा (Integration & Mainstreaming): मानसिक मंदता के क्षेत्र में एकीकरण और मुख्यधारा का मुख्य प्रत्यय यह है कि कम से कम बंदिश वाले वातावरण में रखते हुए, जितना संभव हो सके, पब्लिक स्कूलों की मुख्यधारा में लाते हुए विकलांग व्यक्तियों का एकीकरण करवाना। एकीकरण को न केवल शैक्षिक लक्ष्य मानते हुए शामिल करना चाहिए, अपितु ये व्यक्ति समाज में क्या सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं और समाज में रहने के लिए शिक्षा और किन–किन कौशलों की आवश्यकता है, उनको प्रदान करना चाहिए।

अतः जो व्यकित मानसिक मंद होते हैं, वे रचनात्मक और बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार अलग–अलग होते हैं। आवश्यकता उन्हें पहचानने की है कि उन्हें किस प्रकार की विशेष शिक्षा देने की आवश्यकता है। उन्हें स्थापित करने के कई प्रकार के विभिन्न विकल्प हैं, जो कि जरूरी हैं।

1– स्थायी रूप से चलने वाली कक्षा के साथ–साथ विशेष स्त्रोंत का प्रवाधान करना जिससे की वह स्थाई कक्षा के कार्यक्रम को सीख सके ये कार्यक्रम विशेष तौर पर बोर्डर लाइन (Boarder line) बुद्वि के बच्चों के लिए है।

2– वे बच्चे जो सीखने में अयोग्य हैं, विशेष कक्षाओं में एकीकरण करते समय एक या एक से अधिक शैक्षिक विषयों को लाना।

3– पब्लिक स्कूलों में, जिनमें बच्चों को सीखाने की आवश्यकता है, एक विशेष प्रकार की इकाई बनाई जाए।

इस कार्यक्रम का लक्ष्य विकलांगता को स्वीकृति दिलाना है। मार्गदर्शन का लक्ष्य है सामान्यीकरण। विचार यह है कि मानसिक मंदता से प्रभावित व्यक्ति भी सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करें, यह तब संभव हो सकता है जब सामाजिक तरीकों को बदला जाए और तरीकों तथा स्थितियों को जीवन की दैनिक गतिविधियों से सम्बन्धित

करें। समाज के लोगों की अभिवृत्ति में परिवर्तन आना न केवल शैक्षिक स्तर पर ही सीमित हो, वरन् यह योगीकरण की सम्पूर्ण क्रिया में भी सम्पूर्ण तौर से शामिल हो। सरकार 100 वित्तीय पब्लिक स्कूलों की प्रणाली में एकीकरण को सहारा देने के लिए सहायता प्रदान करती है, चाहे किसी भी प्रकार का विकल्प हो।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मुख्यधारा की प्रक्रिया के द्वारा अधिकसे अधिक योग्यता को स्वीकार किया जाता है, जो कि सामान्य आयु के बच्चे हैं और मानसिक मंद नहीं है। एक निश्चित समाज में, जो कि सामान्यीकरण के सिद्धान्त पर आधारित है। मानसिक मंद व्यक्ति को भी अधिकार है कि वह सेवाएँ और सुविधाएँ प्राप्त करे जो दूसरे व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। विशेष तौर पर रचनात्मक और समाजीकरण के एकीकरण के लिए बनाई गई है।

3- समुदाय पर आधारित पुर्नवास प्रक्रिया (Community Based Rehabalitation (CBR)): योगीकरण की सेवाएँ अधिकतर शहरी क्षेत्रों में दी जाती हैं। हमारे देश की जनसंख्या का 75 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, जहाँ पर आमतौर पर विकलांग व्यक्तियों को इन क्षेत्रों में योगीकरण की सेवाएं नहीं मिल पाती। सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों ने इसकी महत्ता का अहसास किया है कि इन लोगों को भी योगीकरण की सेवाओं की आवश्यकता है।

Community Based Rehabilitation is a strategy for improving service delivery for providing more equitable opportunities and for promoting and protecting the human rights of disabled people.

"Dr. Helanges of the W.H.O"

Essential components आवश्यक तत्व :–

1. इसके लिए समुदाय द्वारा सहयोग दिया जाना चाहिए समुदाय में विद्यमान जरूरत मंद सदस्यो एवं अन्य कार्यकताओ को विकलांग व्यक्तियो की देखभाल के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए!

2. समुदाय मे विद्यमान सरकारी व गैर सरकारी संसाधनो का समामिलन व एकीकरण किया जाना चाहिए! यह संसाधन कई प्रकार के होते है! रिटायर्ड व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रो में कार्यरत कार्यकर्ता!

3- पुर्नस्थापन का अंतिम उददेश्य विकलांग व्यक्तियो का सम्पूर्ण कल्याण होना चाहिए!

4- क्योकि सभी पुर्नस्थापन सेवाये समुदायिक स्तर पर उपलब्ध नही हो सकती अतः रेफरल सेवाये उपलब्ध होनी चाहिए!

5- सी.बी.आर प्रोजेक्ट के अंतगर्त सभी विकलांगताओ से संबधित व्यक्ति शामिल किये जाने चाहिए।

6- क्योकि विभिन्न समुदाय अपने क्षेत्र के संसाधनो का, विकलांगताओ के कारण विभेदित होती है अतः बिभिन्न विकलांगताओ से संबधित अलग कल्याण कार्यकम बनाना चाहिए!

समुदाय आधारित पुनर्वास (Community Based Rehabilitation (CBR)) :

CBR दृष्टिकोण का विश्वास ये है कि तकनीकों को सरल करना और कौशलों को सरल करना, जिससे कि ग्रामीण जनसंख्या में विकलांग व्यक्तियों तथा उनके परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। CBR कार्यक्रमों को समुदाय में उपलब्ध होने वाले संसधानों का प्रयोग किया जाता है तथा जिनके प्रयोग करने से खर्चा कम आता है।

औपचारिक रूप से CBR सेवाएँ जिला पुर्नवास केन्द्रों के माध्यम से सन् 1985 में भारत सरकार के द्वारा आरम्भ की गई और 1994–95 में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक नई नीति 'राष्ट्रीय पुर्नवास कार्यक्रम चलाया गया। इसके अन्तर्गत स्क्रीनिंग, पहचान, मूल्यांकन प्रशिक्षण, प्रबन्ध, व्यवसायिक प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने का बड़े स्तर पर प्रावधान है।

विधान (Legistation):

अब तक मानसिक मंद व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष कानून नहीं है, जिससे उनके अधिकारों की सुरक्षा की जा सके, ये व्यक्ति केवल 1912 में भारतीय (पागलपन अधिनियम) लाऐन्सी एक्ट की सुरक्षा में आते थे। 1987 में यह एक्ट 'मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम' में परिवर्तित किया गया। इस अधिनियम में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था, जिसके अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा हितों को शामिल नहीं किया गया। इसकी अपेक्षा सम्पूर्ण रूप से मानसिक मंदता की स्थिति को शामिल किया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि फिर से कानून में परिवर्तन आया, जिसे हम 'दा परसन विद् डिस्सैब्लिटी एक्ट 1995* कहते हैं। इस धारा में ऋणात्मक विभेदीकरण की– अपेक्षा, बचाव, शिक्षा के लिए आरम्भिक पहचान, व्यवसायिक प्रशिक्षण, रोजगार ठीक से सुरक्षा और चिकित्सा करना इत्यादि शामिल है एक बार इस धारा के लागू होने पर विकलांग व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति के समान ही अधिकार मिलेंगे और सामान्य व्यक्ति की तरह विकलांग व्यक्ति भी स्वतन्त्र रूप से जीवन व्यतीत कर सकेगा। इससे सरकार के हाथ और मजबूत हो जाएंगे, जिससे कि उचित प्रकार की शिक्षा और रोजगार कार्यक्रम भी मानसिक मंद व्यक्तियों को उन्हें शामिल करते हुए दिया जा सकेगा।

योगिकरण में सरकार की कोशिश (Government Efforts In Habilitation)

पिछले 20 सालों में कल्याण मंत्रालय द्वारा और भारत सरकार द्वारा पुर्नवास सेवाओं को बढ़ाया गया मुख्यतौर पर (Viz.) चिकित्सा, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार और पहचान में। प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विकलांगता के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई। इन नीतियों का विवरण निम्न है:

राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई: मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्था की स्थापना सन् 1984 में स्वतन्त्र निकाय के रूप में समाज कल्याण मंत्रालय के तहत और भारत सरकार द्वारा किया गया। मानसिक मंदता के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है।

संस्था का उद्देश्य ठीक करना मानसिक विकलांग व्यक्ति की देखभाल तथा योगीकरण के लिए उपयुक्त मॉडल तैयार करना, मानवीय ऊर्जा का विकास करना जिसके द्वारा मानसिक मंद व्यक्ति को सेवाएं प्रदान हो सके। मानसिक मंदता के क्षेत्रमेंअनुसंधान करना इस क्षेत्र में कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं को केन्द्रों को लिखित रूप से या

से या अन्य तरीकों से सूचनाएं प्रदान करना और मानसिक मंद व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और उत्तेजना में वृद्धि के लिए गुणात्मक सेवाएं प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है।

स्वयं सेवी संस्थाओं को सहायता देना (Assistance to VoluntaryOrganization):

भारत सरकार के द्वारा 1970 के आरम्भ में मानसिक मंद व्यक्तियों को गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान बनाया गया और कुछ सालों में ही सरकारी और गैर–सरकारी संस्थाओं के सम्बन्ध मजबूत हो गए। स्वयं सेवी संस्थाओं को ही इन सेवाओं का आरम्भ करने का श्रेय दिया जाता है। इस स्कीम के द्वारा न केवल स्वयं सेवी संस्थाओं को ही संगठित किया गया, बल्कि योगीकरण की सेवाओं को भी प्रोत्साहित किया गया।

इस नीति का मुख्य लक्ष्य वित्तीय सहायता का प्रावधान करना है, जिससे कि शिक्षा, प्रशिक्षण व योगी करण की सेवाएं विकलांग व्यक्तियों को प्रदान कर सके। पंजीकृत सोसाइटी, पब्लिक ट्रस्ट, जो कंपनियाँ 1860 'कम्पनीज एक्ट' के तहत रजिस्टर्ड हैं तथा समन्वय संगठन जो कि लाभ की दृष्टि से नहीं, अपितु समूह या व्यक्ति की सहाचता की दृष्टि से चलाए जा रहे हैं, जो वित्तीय सहायता दी जाती है, उसका उपयोग पुर्नवास केन्द्र को स्थापित करने के लिए, इमारत बनाने के लिए, यन्त्र, स्टाफ के वेतन और एलाउंस, पुस्तकों और यातायात की सुविधाएं देने के लिए, जनरल्स् को प्रकाशित करने के लिए और होस्टल में मानसिक मंद व्यक्तियों के खर्चों बैंतहमे को पूरा करने के लिए चलाए जाते हैं।

इमारत के निर्माण के लिए कम से कम 5 लांख रुपयों की वित्तीय सहायता दी जाती है। पुर्नवास सेवाओं के लिए स्वयं सेवी संगठनों को 90 प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जो संगठन कम से कम दो साल या दो साल से अधिक समय से चलाए जा रहे है, उन्हें इस नीति के द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। गैर सरकारी संस्थाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, उन्हें इस नीति के द्वारा 50 प्रतिशत प्राथमिकता दी जाती है।

छात्रवृति नीति (Scholarship Scheme):

कल्याण मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकार की मदद से विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृति की नीति चलाई गई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को शैक्षिक तकनीकों या व्यवसायिक शिक्षा देना या प्रशिक्षण देना, जिसके द्वारा वे अपने जीवन में कुछ कमा सकें और समाज में उपयोगी सदस्य बन सकें। यह नीति सभी प्रकार की विकलांगता के लिए लागू की जाती है, जिसमें की मानसिक मंदव्यक्ति भी शामिल हैं।

संगठनों के द्वारा मानवीय ऊर्जा का विकास करने में सहायता (Assistance to Organization man-power development)

यह नीति 1991–92 में चलाई गई जिसके अन्तर्गत सैरिबल पालसी या मानसिक मंदता के क्षेत्र में व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में संस्थाओं में प्रशिक्षण स्थापित करना है जिससे कि पूरे देश में मानसिक मंदता तथा सैरिबल पालसी के स्त्रोतों में विकास हो सके। इस नीति के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थाएं जो कि व्यवसायिक प्रशिक्षण कोर्स चला रही हैं उन्हें 100 प्रतिशत सहायता दी

जाती है। इसके अन्तर्गत पुर्नरावृत्ति और अपुर्नरावृत्ति के खर्चे शामिल होते हैं।

वैज्ञानिक तकनीकी विकासात्मक योजना मिशन मोड़ (Science Technology Development Project Mission Mode)

इस स्कीम को 1988 में इस लक्ष्य को मध्य नज़र रखते हुए कि जो व्यक्ति विकलांग है, उसका पुर्नवास, देखभाल और सुधार वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता के द्वारा किया जाए, स्थापित किया गया। इस नीति का मुख्य लक्ष्य सहायता व उपकरण उत्पन्न करना है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्रियाकलापों में सुधार, रोजगार का मौका देना और विकलांग व्यक्तियों का मुख्य धारा के द्वारा एकीकरण करना है। उचित अनुसंधान तथा विकासात्मक योजनाओं को पहचानना तथा इस नीति के द्वारा उन्हें फंड देना है। उन्हें वित्तीय सहायता शत–प्रतिशत दी जाती है।

विशेष स्कूलों को स्थापित और विकसित करने की नीतियाँ (Scheme For Establishment and Development of Special Schools):

इस नीति का मुख्य लक्ष्य एक जिले में एक विशेष स्कूल का खुलवाना है। इस नीति के द्वारा विशेष स्कूलों को 90 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। कल्याण मंत्रालय द्वारा पुर्नरावृति और अपुर्नरावृति खर्चों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। प्राथमिकता उन जिलों में अधिक दी जाती है, जहां पर पहले से कोई स्कूल न हो।

भारत की पुर्नवास परिषद् (Rehabilitation Council of India):

भारत में इसकी स्थापना 1986 में स्वयंसेवी संस्था के रूप में उचित स्तरीकरण स्थापित करने के लिए की गई, जिसमें मानसिक मंद व्यक्तियों को पुर्नवास के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा सके। संसद के एक्ट ।बज़ के तहत त्मींइपसपजंजपवद ब्वनदबपस को लागू किया गया जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह एक्ट 31/7/93 को लागू किया गया।

जिला पुर्नवास केन्द्र (District Rehabilitation Centre):

भारत सरकार के द्वारा इस नीति को 1985 में आरम्भ किया गया, जिसमें कि ग्रामीण विकलांग व्यक्तियों को पुर्नवास की सेवाएँ प्रदान की गई, डी मार सीज (DRCs) जो कि इस लक्ष्य को लेते हुए कार्य कर रहे हैं:

1– चिकित्सकीय हस्तक्षेप और सर्जिकल करैक्शन।

2– फिटमैंट ऑफ आर्टिफिशयल एड्स और एपलायन्स

3– थैराप्यूटिक सेवाएं – फिजियो थैरेपी, आक्यूपैशनल थैरेपी और स्पीच थैरेपी।

4– विशेष और एकीकृत स्कूलों में शैक्षिक सेवाओं का प्रावधान।

5– व्यवसायी प्रशिक्षण, कार्य स्थापना, आत्म रोज़गार का अवसर–जन जागृति और परिवार और समुदाय को शामिल करना।

(National Trust):

सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने नैशनल ट्रस्ट की स्थापना की विशेष तौर उन परिवारों के लिए जिनमें सैरिबल पालसी या मानसिक मंद बच्चे हैं, जिनकी वे देखभाल नहीं कर सकते। यह नीति एक परिवार के लिए या बुर्जुग

अभिभावकगण के लिए या जिनके अभिभावकगण मर चुके हैं या जिनके भाई–बहन देखभाल नहीं कर सकते, उनके लिए यह नीति बनाई गई है। जिस समय से परिवार के द्वारा जो सम्पत्ति प्राप्त होती है, उसी क्षण से नैशनल ट्रस्ट को व्यक्ति के संरक्षण का अधिकार मिल जाता है।

राष्ट्रीय पुर्नवास कार्यक्रम (National Rehabilitation Programme):

कल्याण मंत्रालय के द्वारा जितनी भी सेवाएँ विकलांग व्यक्तियों के सुधार के लिए दी जा रही हैं, वे अधिकतर शहरी इलाकों में ही हैं। भारत सरकार ने पुर्नवास सेवाओं को सी बी आर ब्ढै की संहायता से शहरी इलाकों में विस्तृत किया है और ये सेवाएं स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यक्रमों के द्वारा ही लागू की जा रही हैं। 95 प्रतिशत वित्तीय सहायता कल्याण मंत्रालय द्वारा दी जाती है। वे संगठन जिन्हें भारत सरकार की इस नीति के द्वारा सहारा मिलता है, उन्हें कम से कम जिलों के 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को शामिल करना होता है। जिसके द्वारा वह स्क्रीनिंग पहचान, मूल्यांक, प्रशिक्षण, प्रबन्ध ा, व्यवसायिक प्रशिक्षण और व्यवसाय में स्थापना . इत्यादि की सेवाएं प्रदान कर सके। इस नीति का मुख्य लक्ष्यगैर सरकारी संस्था के कार्यक्रमों द्वारा गहराई तक पहुंचकर समुदायिक स्तर पर ही योगीकरण और पुर्नवास की क्रियाओं को प्रदान किया जाए।

राष्ट्रीय विकलांग वित्तिय और विकास निगम (National Handicapped Financial & Development Corporation) (NHFDC)

The National Handicapped Finance & Development Coporation' has been incorporation by Ministry of welfare, Govt. of India on 24th Jan., 1997 under Section 25 of the Companies Act 1956 as a company not for profit. It is wholly owned by Govt. of India & has an authorised share capital of Rs. 400 crores (Rupees four hundred crores only)

लक्ष्य एवं उद्देश्यः

- विकलांग व्यक्तियों के लाभ हेतु आर्थिक विकास से सम्बधित गतिविधियों को आगे बढ़ाना।
- विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए स्व–रोजगार एवं अन्य उद्यमों को बढ़ाना।
- विकलांग व्यक्तियों को स्नातंक एवं उच्च स्तर के साधारण/ व्यवसायिक प्रौद्योगिक शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए ऋण उपलब्ध कराना।
- विकलांग व्यक्तियों को उनकी उत्पादन ईकाइयों का उचित एवं समक्ष प्रबन्धन के लिए आवश्यक तकनीकी और उद्यमिता कौशल के विकास के प्रयासों में सहायता।
- स्वरोजगार विकलांग व्यक्ति/ व्यक्ति समूह अथवा विकलांग व्यक्तियों के पंजीकृत कारखानों/ कम्पनियों/ सहकारियों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय में सहायता तथा आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करना।

पात्रताः

- कोई भी 40 से अधिक विकलांग भारतीय नागरिक।
- आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष।

- वार्षिक आयः शहरी क्षेत्रः 60,000 रू. प्रतिवर्ष
  ग्रामीण क्षेत्रः 55,000 रू. प्रतिवर्ष
- विकलांग व्यक्तियों की सहकारी समिति
- विकलांग व्यक्तियों का कानूनी वैधानिक संघ।
- विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रोन्नत व्यवसाय संघ।

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनाएँ-

निगम विकलांग व्यक्तियों की आय बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए सहायता दे सकता है। वे इस प्रकार हैं:-

- सेवा/ व्यापार के क्षेत्र में लघु उद्योग लगाने के लिएः ऋण 2.5 लाख रुपये तक।
- लघु औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिएः 20.00 लाख रुपये तक की ऋण राशि।
- उच्च स्तरीय शिक्षा/ व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु, शिक्षा शुल्क, पुस्तक, लेखन सामग्री का खर्च एवं छात्रावास सुविधा आदि।
- कृषि संबंधी गतिविधियों के लिएः 5.00 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरण के उत्पादन/ निर्माण के लिएः 25.00 लाख रुपये तक का ऋण।
- मानसिक मंदता, मानिसक, पक्षाघात और ऑटिज्म व्यक्तियों के स्व-रोजगार के लिएः 2.50 लाख तक की ऋण सुविधा।
- प्रवीणता एवं उद्यमिता कौशल के विकास कार्यक्रमों में संहायता।
- विकलांग व्यक्तियों की सहकारी समिति/ मंडल और विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रोन्नत संघः 25.00 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा।
- परियोजना में 80% या 30 लाख रुपए तक की मूल पूंजी की ऋण सुविधा और परियोजाना 50 लाख रुपए से

सामाजिक लाभ (Social Benefits):

1. जीवन धारा नीति (Jeevan Aadhar Policy):

In response to the general need and also the special provision introduced under Finance Act, 1995, LIC has designed a Plan for the benefit of handicaped dependants. Under the plan an individual or member of Hindu Undivided Family can take an assurance on his/ her own life to provide for payment of a lmpsum and an annuity to the handicapped dependant. The payment will be made to the nominee under the policy, who will be either the handicaped dependant or any other person or a trust for the benefit of the handicapped dependant.

1. Term of Assurance and Premium Paying Term:

This is a whole life plan, premiums under which are payable for chosen

premium term or till death of the life assured, if earlier. Terms available for choice are 10, 15, 20, 25, 30 & 35 years.

2. Notional Sum Assured:

The Notional Sum Assured will comprise of three compnents viz. (i) Basic Sum Assured, (ii) Guaranteed Additions and (iii) Terminal Addition and will become payable in the manner specified below on the death of the life assured:

i) Basic Sum Assured: The Basic Sum Assured is the Sum Assured for which the contract is entered into.

ii) Guaranteed Additions: Rs. 100/- per thousand Sum Assured for each completed policy year for hwich the policy was in full force. Such guaranteed additions will accrue upto age 65 of the life assured or his death, if earlier.

iii) Terminal addition: If the policy is in full force and if atleast premiums were paid for 10 years, it will be entitled for terminal aditions on the death of the life assured. The rate will be declared from time to time depending upon LIC's favourable working experience under the plan.

3. Manner of Payment of Benefits:

Twenty percent of the Notional Sum Assured (as defined in 2 above) will be paid in lumpsum and the balance eighty percent will be utilised to provide an annuity certain for 15 years and life thereafter on the life of the handicapped dependant. The actual anjuity payments will be calculated based on the age of the handicapped dependant at the time of claim under the policy.

4. Special Provisions:

In the event of handicapped depndant predeceasing the life assured during the term of the policy, the contract ceases and the life assured will have the option of keeping the policy for a reduced paid up Sum Assured or receive a refund of premiums paid (excluding extra premiums and accident benefit premium, if any). The reduced paid up Sum assured including any guaranteed and Terminal Addition, if applicable, will be paid as lumpsum to the legal heirs of the life assured.

5. Accident Benefit:

Accident Benefit will also be available under the policy during the premium paying term subject to prevailing conditions and is payable only on the death of the life assured due to accident. It will be equal to the Basic Sum Assured and will be payable partly in lumpsum and partly in the form of an annuity to the nominee in the same proportion as the Notional sum Assured under the policy.

6. Other Conditions:

i) Minimum Sum Assured: Rs. 50,000 Basic Sum Assured.

ii) Mode of payment of premium: Yearly, Half-yearly, Quarterly, Monthly, and

Monthly (SSS).

iii) Minimum age at entry: 22 years

iv) Maximum age at entry: 60 years

v) Maximum Premium Ceasing age: 70 years.

vi) No Surrender Value or Loan will be allosed under this Plan.

7. Age Proof:

The ages of the life assured and handicapped dependant are required to be admitted on the basis of standard age proof.

8. Proposal Form

Besides the Proposal Form, the proposer will be required to submit an Addendum declaring the disability of the handicapped dependant to be certified by a Government Doctor, as per provisions under Section 80DDA of the Income Tax Act, 1961.

9. Contributions under this Plan are eligible fo ग्राहक income-tax relief under Section 80DDA of the Income TAx Act. 100% UPTO Rs.20,000/- per annum. Further details or clarification, may be obfaned from an LIC Agent or the nearest Branch Office of LIC.

2. **शिक्षा भत्ता (Education Allowance):** अभिभावकगण जो कि सरकारी संगठनों में कार्य कर रहे हैं उन्हें शिक्षा भत्ता Ministry of Personnel (Department of Personnel and Training) 50/– के रूप में मिलता है। वह बच्चे जो कि आवासीय सुविधाओं में रह रहे हैं, उन्हें भी 150/– प्रति माह होस्टल फीस के रूप में भत्ता दिया जाता है।

3. **रेल यात्रा में आरक्षण (Railway Concession):** सरकारी अस्पतालों या मान्यता प्राप्त डॉक्टर द्वारा प्रमाणित किए जाने पर कि व्यक्ति मानसिक रूप से मंद है तो उसे और उसके संरक्षक को भी 75 प्रतिशत रेलवे कन्सैशन मिल जाता है।

4. **पेंशन नीति (Pension Schemes):**

G.I., Dept. of Pen. & P.W., Norfn. No. 1/9/96-P & P.W. (E), dated 21.1.1999

"Disability of mind" includes "mentally retarded" for eligibility of family pension - Rule 54 (6) of CCS (Pension) Rules amended

S.O..... - In exercise of the powers conferred by the provison to Article 309 read with Clause (5) of Article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the India Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) First Amendment Rules, 1999.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the provison to Rule 54, sub-rule (6) of the Central Civil Services

(Pension) Rules, 1972,-

(a) after the words "disability of mind" wherever they occur, the words "including mentally retarded" shall be inserted;

(b) after Clause (v) the following clause shall be inserted, namely:-

"(vi) in the case of a mentally retarded son or daughter, the family pension shall be payable to a person nominated by the Government servant or the pensioner, as the case may be, and in case no such nomination has been furnished to the Head of Office by such Government servant or pensioner during his lifetime, to the person nominated by the spouse of such Government servant or family pensioner, as the case may be, later on."

5. **कर में छूट (Income Rebate):** धारा 80 DD of Income Tax Act 1961 के तहत उन परिवार वालों को जिनके पास एक या दो मानसिक मंद बच्चे हैं उन्हें कर पर 20,000 रुपए की छुट दी गई है। यह इन्कम टैक्स छूट केवल तीव्र मंदित बच्चों के अभिभावक गणों को ही प्राप्त है।

6. **सहायता और यन्त्र (Aids and Appliances):** अभिभावकगण के मासिक आय पर निर्भर करता है कि उन बच्चों के लिए जो कि सहसम्बन्धी समस्याओं के साथ मानसिक मंद हैं उनके लिए कितनी छूट दी जाए या निःशुलक एडस और एपालयन्स निःशुल्क दिया जाए था जिनकी आय 1200 रुपये तक है उन्हें निःशुल्क 201–2500/– पर 50 प्रतिशत खर्च लेकर एड्स और एलायन्स देने के प्रावधान हैं। U.N.O. ने मूलभूत अधिकार इनके लिए घोषित किए हैं (UN General Assembly Resolution 2856 XXVI) 20th December Resolution के आर्टिकल 1–7 के आधार पर मानसिक विकलांग व्यक्तियों को भी परिवार के द्वारा प्यार किया जाए, स्वास्थ्य, मैडीकल ट्रीटमैंट, प्रशिक्षण रोजगार और कानूनी सहायता मिले, जिसके द्वारा उनके पतन को रोका जा सके।

7. **Posting Facilities**

Employees having mentally retarded children be given posting at a place of their choice

The undersigned is directed to say that there has been a demand that an employed parent of a mentally retarded child should be given posting at a place of his/ her choice. This demand has been meet on the plea that facilities of medical aid and education of such children are not available everywhere. Also looking after such children does require special care and patience and is expensive. Hence some concessions from the Government at least in matters of posting at a place of choice is called for.

The matter has been examined. Considering that the facilities for medical help and education of mentally retarded children may not be avialable at all stations, a choice in the place of posting is likely to be of some help to the parent in tahif care of such a child. While administratively

it may not be possible in all cases to ensure posting of such an employee at a place of his/ her choice. Ministries/ Departments are requested to take a sympathetic view on the merits of each case and accommodate such requests for posting to the extent possible.

(G.I. Dept. of Per. & Trg. O.M. No. AB-14017/41/90 - Estt (RR) dated the 15th February, 1991)

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षा, और संपूर्ण भागीदारी) विधेयक 1995

संसद के सदनों द्वारा – लोकसभा में 22 दिसम्बर 1995 का और राज्यसभा में 22 दिसम्बर, 1995 को पातरत विधेयक का सारांश।

विधेयक का उद्देश्य

इस विधेयक का, जो कि 1996 में कानून बना दिया गया (1996 की राजपत्र संख्या–1), उद्देश्य है केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी तय करना कि वे उस हद तक, जिस हद तक उनके संसाधन उन्हें मदद दें, ताकि वे अपनी क्षमताओं की अधिकतम सीमा तक देश के उत्पादक एवं सहयोगी नागरिक के रूप में भागीदारी निभाने में समान अवसर हासिल करने के लायक बन सकें। यह सरकारों (केन्द्र एवं राज्य) पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डालती है कि विकलांगता देश के किसी भी नागरिक को संपूर्ण जीवन जीनें और अपनी क्षमता के अनुसार संपूर्ण योगदान देने से रोकती नहीं है।

अध्याय I प्रारम्भिक

अध्याया में अधिनियम के अन्तर्गत प्रयुक्त पदों की परिभाषा दी गई है। विकलांगता का अर्थ है अंधापन, क्षीण दृष्टि, उपचारित कुष्ठ, श्रवण दोष, चलने की असमर्थता, मानसिक मंदता और मानसिक रूग्णता।

(i) अंधापन – बिल्कुल दिखाई न पड़ना।

(ii) क्षीण वृष्टि – ऐसा व्यक्ति जो उपयुक्त सहायक उपायों की मदद से किसी कार्य को करने में सक्षम है।

(iii) अभिसाधित (उपचारित) कुष्ठ – कुष्ठ का निवारण तो हो चुका हो, लेकिन हाथ और पैरों में संवेदन की कमी हो, साथ ही आँख और पलक में अधलकवा तथा संवेदन की कमी हो। या प्रकट अंग विकृति के बावजूद सामान्य आर्थिक क्रियाकलाप करने के लिए पर्याप्त गतिशीलता हो अथवा अत्याधिक शारीरिक विक्रति हो। और व्यक्ति कोई भी लाभकारी पेशा करने लायक न रह गया हो।

(iv) श्रवण दोष – आवृतियों में बातचीत की परिधि रेंज में 60 डेसीबल या उससे अधिक की कमी।

(अ) चलने की असमर्थता – हड्डियों में जोड़ या माँसपेशियों की ऐसी असमर्थता जिससे हाथ पैर की गति का प्रतिकर्षण हो या मस्तिष्क के किसी हिस्से में चोट लगना।

(अप) मानिसे रूग्नता – मानिसक मंदता का छोड़कर किसी भी तरह की मानसिक गड़बडी

(अपप) मानिसक मंदता – किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अवरूद्ध या अधूरे विकास की स्थिति। एक विकलांग पुरूष/ स्त्री को किसी मेड़िकल विशेषज्ञ से इस आशय का प्रमाण–पत्र हासिल करना होगा कि वह कम–से–कम 40 विकलांगता का शिकार है।

अध्याय II - केन्द्रीय समन्वय समिति

1. इस कानून की मंशा है कि, केन्द्र सरकार समाज कल्याण मंत्री के नेतृत्व में एक केन्द्रीय समन्वय समिति गठित करेगी।

के.स.स. में 39 लोग होंगे। 34 सरकारी सदस्य होंगे और 5 सदस्य द्वारा नामजद विकलांगों से सरोकार रखने वाली स्वयंसेवी संस्थओं (NGOs) तथा संगठनों का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह सोचा गया है कि इन पांच में कम–से–कम एक महिला और एक सदस्य अ.जा., अ.ज.जा. से शामिल किया जायेगा। सभी सदस्याके की कार्यावधि 3 साल होगी।

समिति की बैठक हर छह महीने पर एक बार होगी और समिति के अंदर एक केन्द्रीय कार्यकारी समिति होगी, जो केन्द्रीय समन्वय समिति के निर्णयों को पूरा करेगी। कार्यकारी समिति की बैठक हर तीन महीने पर होगी।

2. केन्द्रीयं कार्यकारी समिति (CEC) में सरकार द्वारा नामज़द पाँच लोगों को शामिल करते हुए कुल 23 लोग होंगे।

केन्द्रीय समन्वय समिति के कार्य इस प्रकार होंगे–

(क) सरकार, सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाओं की गतिविधियों में समन्वय, स्थापित करना तथा उनपर पुनर्विचार करना।

(ख) एक राष्ट्रीय नीति विकसित करना।

(ग) केन्द्र सरकार को नीतियों, कार्यक्रमों, अधिनियमों और परियोजनाओं की व्यवस्था में सलाह देना।

(घ) राष्ट्रीय और अंर्तराष्ट्रीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों में विकलांगों के लिए स्कीम और परियोजनाऐं प्रस्तावित करने को मद्देनज़र रखते हुए राष्ट्रीय और अंर्तराष्ट्रीय संगठनों के साथ पैरवी करना।

(ड) विकलांगों पर दाता लिधिकरण नीतियों के प्रभाव के परिपेक्षय में अन नीतियों पर पुर्नविचार करना।

(च) अवरोध रहित वातावरण को सुनिश्चित करना।

(छ) विकलांगों की समानता और संपूर्ण भागीदारीकी स्थिति बनाने के लिएतय किए गये कार्यक्रमों और नीतियों के प्रभाव का अनुश्रवण (मॉनिटर) एवं मूल्यांकन

करना।

(ज) केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित ऐसी अन्य गतिविधियों या कार्यों को अमल मे लाना

२० केन्द्र सरकार लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जिसके प्रति केन्द्रीय समन्वय समिति को वचनबद्ध होना होगा।

अध्याय III - राज्य समन्वय समिति

केन्द्रीय समन्वय समिति की ही तर्ज पर प्रत्येक राज्य एक राज्य समन्वय समिति नियुक्त करेगा, जिसमें 23 राजकीय और पांच अराजकीय सदस्य होंगे।

राज्य कार्यकारी समिति अपने केन्द्रीय पक्ष के ही अनुरूप 13 राजकीय और पांच अराजकी सदस्यों वाली होगी।

राज्य समिति पर लागू होने वाली सिथितियां और शर्ते वही होंगी, जो केन्द्रीय समन्वय समिति पर लागू होती है, और गतिविधियों भी समान ही होंगी।

अध्याय IV - विकलांगता की रोकथाम और यथासमय पहचान

उपयुक्त सरकारी ओर स्थानीय प्राधिकरण अपनी आर्थिक क्षमता **और विकास की** सीमाओं में, विकलांगता के संभव होने को मद्देनज़र:

क. विकलांगता के संभव होने के कारणों से सरोकार **रखनेवाले सर्वेक्षण खोंजें** और अनुसंधान का दायित्व लेंगे।

ख. विकलांगता की रोकथाम के विविध तरीकों को प्रोत्साहित करेंगे।

ग. संभाव्य विकलांगता की पहचान के उद्देश्य से सभी बच्चों की साल में कम–से–कम एक बार जाँच करेंगे।

घ. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाऐं प्रदान करेंगे।

ड. जानकारी अभियानों (awareness compaigns) का आयोजन करेंगे या आयोजित करने की व्यवस्था करेंगे और सामान्य स्वास्थ्य विधियों तथा स्वास्थ्य एवं शौच के बारे मेंसूचनाओं का प्रसार करेंगे या प्रसार की व्यवस्था करेंगे।

च. प्रसव के पहले, उसके दौरान और उसके बाद माँ और बच्चे की देखरेख के उपायों की व्यवस्था करेंगे।

छ. पूर्व विद्यालयों, विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ग्रामस्तरीय कार्यकर्त्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के जरिये जनता को शिक्षित करना।

ज. विकलांगता के कारणों और उसकी रोकथाम के तरीकों पर टेलीविजन, रेड़ियो और दूसरे जनसंचार माध्यमों के जरिए लोगों के बीच जानकारी फैलाना।

अध्याय V - शिक्षा

केन्द्र और राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणें को यह सुनिश्चित करना होगा

केन्द्र और राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणें को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर विकलांग बच्चे को 18 की उम्र तक मुफ्त और समुचित शिक्षा मिले वे विकलांग छात्रों को सामान्य विद्यालयों के साथ जोड़ेगी, जिन्हें विशेष शिक्षा की जरूरत है, उनके लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में विशेष विद्यालय स्थापित करेंगी, और उन विद्यालयों को विकलांग बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाओं से लैस करेंगी।

स्थानीय प्राधिकरण उन विकलांग बच्चों के लिए, जिन्होने पाँचवी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, अनौपचारिक शिक्षा की योजनाऐं भी लागू करेंगे। वे १६ और उससे ऊपर के आयुवर्ग के विकलांग बच्चों के लिए कार्यात्मक साक्षरता की विशेष अंशकालिक कक्षाओं का आयोजन करेंगे और हर विकलांग बच्चे को उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक विशेष पुस्तकें और यंत्र साथ ही मुक्त विद्यालयों और विश्व–विद्यालयों में शिक्षा मुफ्त मुहैया करायेंगे।

विकलांग बच्चों के लिए विशेष और समाकलित (integrated) – दोनों तरह के विद्यालय चलाने के प्रयोजन से सरकार पर्याप्त संख्या में ऐसे शिक्षक – प्रशिक्षण व संस्थान स्थापित करेगी, जो अच्छी–खासी संख्या में विकलांगता के विशेषज्ञ शिक्षकों को प्रशिक्षित कर सके।

सरकार विकलांग बच्चों को परिवहन की सुविधायें मुहैया कराएगी, विकलांग छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देगी और शिक्षा देने वाले विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों से वास्तुशिल्पीय अवरोधों को दूर करेगी, विद्यालय जानेवाले ऐसे बच्चों को पूस्तकें, यूनिफार्म और अन्य सामग्रियां मुहैया कराएगी, विकलांग छात्रों को छात्रवृतियाँ देगी, विकलांग छात्रों के जित में पाठ्यक्रम के ढ़ाचे में बदलाव लाएगी।

ऐसे सहायक यंत्रों के लिए चलने वाने अन्वेषण कार्य को सरकार प्रोत्साहित करेगी, जो विकलांग बच्चों को शिक्षा में समान अवसर दिलाने में मददगार हों।

सरकार ऐसी व्यापक शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी, जिसमें दूसरी चीज़ों के साथ–साथ परिवहन, अवरोध रहित वातावरण और विकलांग छात्रों के माता–पिताओं की शिकायातों के निवारण के लिए मंच (फोरम) भी शामिल होंगे।

अध्याय VI - रोजगार

सरकार ऐसे पदों की पहचान करेगी, जो विकलांगो के लिए जा सकते हैं। आरक्षण ३ः से कम नहीं होंगे, जिसमें से १ः निम्नलिखित विकलांगताओं में से प्रत्येक के लिए होगाा–

1. अंधापन या क्षीणदृष्टि।
2. श्रवण–शक्ति की कमज़ोरी।
3. गति विकलांगता या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (Cerenral Palsy)

विशेष रोज़गार दफ़्तर रोज़गाार के उद्देश्य को पूरा करने वाली मुख्य ऐजन्सी होगी। यदि किसी साल उपयुक्त रिक्त पदों में से कोई भरा नहीं जा सके, तो दूसरी किस्म की विंकलांगता के शिकार लोगों को वह नौकरी दी जा सकती है, और अंततः

अगर कोई विकलांग उस स्थान पर नियुक्त नहीं हो पाता है, तो विकलांगो के अलावा किसी व्यक्ति को नौकरी दी जा सकती है।

उपयुक्त सरकारें और स्थानीय प्राधिकरण विकलांगों के रोजगार को सुनिश्चित करने वाली योजनाऐं बनायेंगे और इसमें विकलांगों का प्रशिक्षण भी शामिल करेंगे।

सभी सरकारी शैक्षिक संस्थायें और सरकारी अनुदान पाने वाली संस्थायें विकलागों के लिए कम से कम ३ स्थान आरक्षित रखेंगी। गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का कम–से–कम 3% विकलांगो के लिए आरक्षित होगा। सरकारें अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं (employers) को वह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरणा देगी कि कुल कार्य–शक्ति (work-force) में 5% विकलांग व्यक्ति शामिल हों।

अध्याय VII - सकारात्मक कार्यवाही

सरकार विकलांगो के साधल और यंत्र मुहैया कराएगी और विकलांगो को भवन–निर्माण, व्यवसाय, विशेष मनोरंजन केन्द्रों, विशेष विद्यालयों, अनुसंधान केन्द्रों और विकलांग उद्यमियों द्वारा चलाई जाने वाली फैक्ट्रियों के लिए कम दरों पर 'ज़मीन मुहैया करायेगी।

अध्याय VIII - भेदभावहीनता

सरकारी परिवहन अपनी सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का अनुकूलन करने के लिए विशेष उपाय जिससे कि विकलांगो तथा व्हील–चयेर इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों के लिए उनका इस्तेमाल आसान हो जाए।

सरमारें और स्थानीय प्राधिकार, अपनी क्षमता के भीतर, चौराहों पर लालबत्ती के साथ–साथ श्रवणीय संकेत की भी व्यवस्था करेंगे, क्रांसिंग की बनावट व्हील चेयर इस्तेमान करने वालों के अनुसार डिज़ाइन की जाएगी और ज़ेब्रा क्रासिंग पर अंधे लोगो के लिए उत्कीर्णन ;मदहतंअपदहद्ध होगा। उपयुक्त स्थानों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए खतरे से सावधानी के संकेत होंगे। व्हील–चयेर इस्तेमाल करने वालों की पहुंच के लिए इमारतों और शौचालयों में रैम्प तथा अन्य सुविधायें होगी। कोई भी नियोक्ता ऐसे कर्मचारी को, जो सेवा के दौरान अंपगता का शिकार हो जाता है, बर्खास्त नहीं करेगा। कोई भी नियोक्ता विकलांगता के आधार पर अपने किसी कर्मचारी की पदोन्नति से इंकार नहीं करेगा, बल्कि कार्य की कोटि के आधार पर इस तरह के भेदभाव को रोकने की चेष्टा करेगा।

अध्याय IX - शोध एवं मानवशक्ति विकास

सरकारें और स्थानीय प्राधिकार विकलांगता की रोकथाम के लिए, विकलांगो के पुनर्वास के लिए, सहायक उपयों के विकास के लिए, विकलांगो के लायक पेशों की पहचान के लिए तथा फैक्ट्रीयों एवं कार्यालयों में विकलांगों के अनुकूल संरचनात्मक विशेषताओं के विकास के लिए अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित एवं प्रायोजित करेंगे।

अध्याय X विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थानों की मान्यता प्राप्ति

इस विधेयक के पारित होने के छह माह के भीतर विकलांगों के लिए प्रतिष्ठान या संस्थान चलाने वाले व्यक्तियों को संस्थान के पंजीकरण के प्रमाणपत्र के लिए इस विधेयक के अन्तर्गत आवेदन करना होगा। प्रमाणपत्र राज्य सरकार के किसी सक्षम प्राधिकार

द्वारा निर्गत होगा और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि तक के लिए मान्य होगा। नवीकरण के आवेदन के द्वारा इसका नवीकरण कराया जा सकेगा बशर्ते कि यह आवेदन प्रमाणपत्र की समाप्ति के 60 दिन पहने जमा कर दिया गया हो। आवेदन पर ठीक से गौर करने के बाद और वैध कारणापें के रहने पर प्रमाण--पत्र रद्द किया जा सकता है। राज्य सरकार अपील सुनने वाली अंतिक प्राधिकारी होगी। सरकारी संस्थाऐं इस अध्याय के प्रावधान से मुक्त होंगी।

अध्याय XI - गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान

ऐसे लोग गंभीर रूप से विकलांग माने जाते हैं, जिनमें 80% या उससे अधिक अपंगता हैं। सरकारें उनके लिए संस्थानों को स्थापित और सम्पोषित करेंगी। अगर ऐसे निजी संस्थान हैं, जो सरकार के मानदंडों पर खरें उतरते हैं, तो उन्हें भी गंभीर रूप से विकलांग लोगों के लिए उपायुक्त संस्थान के रूप में मान्यता मिलेगी।

अध्याय XII - विकलांग व्यक्तियों के लिए एकाधिक आयुक्त और एक मुख्य आयुक्त

केन्द्र सरकार इस विधेयक को लागू करने के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करेगी। मुख्य आयुक्त एकाधिक आयुक्तों के कार्य में समन्वय कायम करेगा, केन्द्र सरकार द्वारा विकलांगो के लिए दिये गए फंड के उपयोग को मानीटर करेगा यह सुनिश्चित करेगा कि विकलांगों को उपलब्ध कराए जाने वाने अधिकार और सुविधायें संरक्षित हों और इस विधयक के लागू होने पर केन्द्र सरकार के सम्मुख एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

राज्य स्तर पर आयुक्तों की भी समान जिम्मेदारी होगी। मुख्य आयुक्त और विकलांगों के अधिकार के हनन से संबंधित तथा विकलांगों के कल्याण और अधिकार--रक्षा के लिए सरकारी या स्थानीय प्राधिकार द्वारा निर्गत कानूनों, नियमों आदेशों निर्देशों के लागू न होने से संबंधित किसी शिकायत को सुनेंगे।

मुख्य आयुक्त के पास अपनी सत्ता होगी जितनी कि कोर्ट को ब्यकम वि ब्यअपस च्तवबमकनतमए 1908 के अंतर्गत गवाहों को बुलाने और शपथ पत्र का सबूत हासिल करने के लिए होती है।

मुख्य आयुक्त पिछले वित्तिय वर्ष के दौरान अपने काम का लेखा--जोखा सरकार को देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और यह रिपोर्ट संसछ के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत की जाएगी। इसी के समान, आयुक्त राज्य सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपेगा।

अध्याय XIII - सामाजिक सुरक्षा

सरकार, अपनी आर्थिक सीमाओं के भीतर, सभी विकलांगों के पुनर्वास का भार उठाएगी, एसी स्वंयसेवी संस्थाओं को वित्तिय मदद देगी, जो विकलांगों के पुनर्वास के लिए कार्यरत है। जहाँ संभव हो, वहाँ सरकार ऐसे विकलांगो को बेरोज़गारी भत्ता भी देगी, जो विशेष रोज़गार दफ्तर में 2 साल से अधिक समय से पंजीकृत हैं और जिन्हें किसी लाभकारी पेशे में जगह नहीं मिल पाई है। सरकार द्वारा रोज़गार शुदा के लिए बीमा--योजनाओं, और जरूरत पड़ने पर बेरोज़गारों के लिए भी बीमा--योजना का इसमें

उल्लेख है।

अध्याय XIV - सामाजिक सुरक्षा

जो कोई भी धोखाधड़ी करके विकलांगों के लिए उपलब्ध लाभों को हासिल करता है, वह दो वर्ष तक की कैद और 20000/- रू. तक के जुर्माने का दंड पा सकता है। सरकार के पास इस विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक सभी नियम अधिनियम बनाने का प्राधिकार होगा। ये नियम और अधिनियम सरकारी आदेशों की शक्ल में निर्गत होंगे, जिनके पास संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति होगी।

इस विधेयक को लागू करने के लिए मुख्य आयुक्त, अधिकारी एवं कर्मचारी आई. पी.सी. की धारा 21 द्वारा निर्दिष्ट अर्थ में सरकारी कर्मचारी माने जाऐंगे। सरकार और स्थानीय पदाधिकारियों एवं उनके अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की इजाजत नहीं दी जायेगी यदि वे सद्विश्वास में या इस कानून या उससे जुड़े नियम या आदेश का अनुसरण करते हों।

यह विधेयक वर्तमान के किसी और कानून, नियम, आदेश या निर्देश के अतिरिक्त है, उनके निषेध में नहीं।

अनुभाग-8

मानसिक मंदता के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति, लोक विचार और गलत धारणाएं

(Public opinion, Social Attitudes & Misconceptions Towards Mental Retardation)

अभिवृति (Attitude) आर्लपोर्ट, (1935) के अनुसार अभिवृति से तात्पर्य मानसिक और तंत्रिका के स्तरों की तत्परता से है, जिसका संगठन अनुभवो और व्यक्ति के ऊपर परिवर्तनशील प्रभाव से है, जिसके प्रति व्यक्ति सभी वस्तुओं ओर स्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। बौद्धिकता, इच्छाएं, विश्वास, भावनाएं और क्रियाएं अभिवृति में शामिल होते हैं। एक बार जब अभिवृति बन जाती है तो उसमें परिवर्तन करना कठिन हो जाता है। सामान्यतः नए तथ्यों से भी अभिवृति में प्ररिवर्तन नही होता। अभिवृति का बनना हमारी वस्तुओं के प्रति मूल्यांकन पर निर्भर होता है, षजिसमें हमारी पसन्द या नापसन्द होती है। वातावरण में प्रमुखतः वास्तविक वस्तु, व्यक्ति, समूह, अमूर्त विचार या व्यवहार हो सकते हैं।

हमारी अभिवृति का नजदीकी सम्बन्ध हमारे विचारों से, हमारे व्यवहारों से या इन वस्तुओं के प्रति दृष्टिकोण से है। कुछ वस्तुओं के प्रति हम व्यक्ति की अभिवृति का निर्णय ले सकते हैं। यदि हम उसके विचारों और व्यवहारों को जानते हैं। कुछ थ्यौरियों में अभिवृति के तीन तत्वों 1. मूल्यांकन 2. विचार और 3. व्यवहार को शामिल किया जाता है। व्यक्ति या दूसरी वस्तुओं के प्रति हमारा मूल्यांकन प्रभावित हो सकता है कि हम उसके बारे में क्या सोचते है और यह निश्चित व्यवहार के प्रति किस प्रकार की प्रवृति है। हम एक वस्तु के बारे में क्या जानते है या विचार रखते हैं, यह विश्वास कहलाता है।

अभिवृति के स्त्रोत

1. प्रत्यक्ष अनुभव
2. पुनबर्लन और पुरस्कार देने के कारक
3. विपरीत परिणाम और
4. व्यवहार

अभिवृति, मानसिक मंदता के क्षेत्र में इनकी महता

(Attitude, Its Importance in the field of mental Retardation)

ऐतिहासिक दृष्टि से समाज के लोगों की अभिवृति मानसिक मंद व्यक्ति के प्रति सम्पूर्ण रूप से ऋणात्मक ओर विभिन्न थी। उन्हें पथ भ्रष्ट व्यक्ति, सामाजिक कलंक समाज में उनके प्रति भयावह विचार, अर्द्ध व्यक्ति, न बोले जाने वाले वस्तु या हंसी मजाक की वस्तु के तौर पर माना जाता था। परिणाम यह हुआ कि अलग करने की प्रवृति को प्रेरित किया गया। अलग संस्था, आवासीय संस्था, आवासीय देखभाल गृह जिसमें लम्बे समय तक बन्दीश के वातावरण में देखभाल की जाती थी। समाज ने उन्हें पुर्नवासित नहीं किया उन्हें समाज के लिए अच्छा नहीं समझा जाता था।

धीरे–धीरे इन व्यक्तियों के बेहतर प्रबन्ध करने की अभिवृतियों में परिवर्तन आया। लोग महसूस करने लगे कि मानसिक मंद को भी जीने और समाज में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। उन्हें घर या स्कूल में स्थितियों की आवश्यकता है, जो कि समाज के उपनियमों और तरीकों से सम्बन्धित होनी चाहिए। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए समाज ने इनको एकीकरण की नीति को अपनाया गया। इसका अर्थ मानसिक मंद व्यक्ति को फिर से मुख्यधारा में लाना था।

समाज में वांछित परिवर्तन को लाने के लिए लोगों की अभिवृतियों ने बहुत ही जटिल भूमिका निभाई। कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से अधिकारों की सुरक्षा, शिक्षा ओर पुर्नवास के लिए चलाए गए और ये तभी सफल हो सकते थे यदि व्यक्तियों की सकारात्मक अभिवृति उन सुविधाओं या कार्यक्रमों के प्रति बन जाती। इसके अलावा लोग मानसिक मंदता के प्रति क्या महसूस करते हैं और वे उनके बारे में क्या सोचते हैं कि लाग मंदता से प्रभावित बच्चों की क्षमता को कितना आँकते है? इन सब तथ्यों बारे में जानकारी रखना मानसिक मंदता के क्षेत्र में काम करने बालों के लिए बहुत आवश्यक है। हस्तक्षेप कार्यक्रम के लिए परिवार के सदस्यों की अभिवृतियों के बारे में पढ़ना आवश्यक है। सामान्य तौर पर अभिवृति को जानने के लिए तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है। 1. साक्षात्कार 2. प्रश्नावली विधि 3. वैगनेट्स विधि।

गलत धारणाएं (Misconceptions)

स्थिति के बारे में गलत विचारों को गलत धारणाएं कहा जाता है। मानसिक मंदता भी एक स्थिति है, जिसके बारे में गलत धारणा है, न केवल सामान्य व्यक्ति के द्वारा, बल्कि उन व्यक्तियों के द्वारा भी जो कि इन व्यक्तियों के लिए काम कर रहे है। विशेष तौर से हमारे देश में सभी लोग के लिए हर एक चीज को जानना संभव नहीं है। आम तौर पर लोग बीमारी या अयोग्यता के प्रति ध्यान दिए बिना ही सुझाव व तर्क देते हैं। मानसिक मंदता एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके प्रति अधिक संख्या में व्यक्तियों की गलत धारणाएं हैं गलत विचार हैं और गलत विश्वास हैं। कुछ गलत धारणाएं बहुत ही हानिकारक होती हैं, जो कि परिवार ओर व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डालती हैं।

मानसिक मंद बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं का प्रबन्ध का मापन अभिभावकगणों द्वारा किया जा सकता है, जो कि उस स्थिति के बारे में उनके विचारों पर निर्भर करता है। विकलांग व्यक्ति को प्रशिक्षण में व्यवसायी का सहयोग कितनी मात्रा में मिल रहा है और स्थिति के बारे में कितनी मात्रा में उन्हें सही ज्ञान है।

अनुभवों से यह पता चलता है कि अधिकतर व्यक्तियों में मानसिक मंदता के बारे में उसके कारण और उसके मैनेजमैंट (प्रशिक्षण) के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। वे फिर भी अहसास करते हैं कि यह कर्मों का फल है। उनकी कई गलत धारणाएं या कई प्रश्न मानसिक मंदता के बारे में होती हैं। नीचे प्रश्नों के उत्तर निम्न प्रकार से दिए गए हैं।

1. क्या मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी समान है?

नहीं, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी पूरी तरह से भिन्न है। मानसिक मंदता एक स्थिति है, जिसमें बौद्धिक क्षमता, सामान्य से कम होती है। जन्म से और अनुकूल व्यवहार की योग्यताओं में कमी होती है। यह स्थायी स्थिति होती है, परन्तु अयोग्यता को कम करने में सही प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम और समुदाय की सहायता ली जा सकती है।

मानसिक बीमारी दबाव और समस्याओं के उत्पन्न होने से होती है, जिससे व्यक्ति लम्बे समय तक जूझ नहीं पाता। यह अस्थायी स्थिति है और सफलतापूर्वक इसकी चिकित्सा की जा सकती है। मानसिक मंदता कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है।

2. क्या विवाह समस्या का समाधान है?

नहीं, कई व्यक्ति सोचते हैं कि मानसिक मंद व्यक्ति के विवाह के बाद वह सक्रिय हो जाता है और अपने उतरदायित्वों की पूर्ति कर लेते हैं या यौन संतुष्टि से वे ठीक हो जाते हैं। ये सही नहीं है। यह समस्या को और अधिक जटिल बना देता है, जैसा कि जाना जाता है इस तथ्य के बारे में जो कि मानसिक मंद व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं होते। इसलिए उन लोगों के लिए परिवार की देखभाल करने की क्षमता नहीं होती।

३० क्या उम्र की वृद्धि के साथ मानसिक मंद सामान्य हो जाता है?

इन व्यक्तियों का बोद्धिक विकास सामान्य व्यक्तियों की तुलना में कम होता है। वास्तविक उम्र की बढ़ोतरी के साथ–साथ मानसिक उम्र की वृद्धि बराबर नहीं होती। अत्याधिक प्रशिक्षण उसकी योग्यता में सुधार ला सकता है। प्रारम्भिक पहचान और आरम्भिक प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है।

4. क्या मानसिक मंदता एक संक्रामक रोग है?

कई लोग सोचते हैं कि यदि सामान्य व्यक्तियों को मानसिक मंद लोगों के साथ शामिल किया जाए तो वे भी मानसिक मंद हो जाएंगे। यह गलत है मानसिक मंद और सामान्य व्यक्तियों के बीच अन्तःक्रिया से उनके व्यक्ति उनकी समस्याओं को समझ जाते हैं और उन्हें वास्तविक तरीके से अपनाते हैं।

5. क्या मानसिक मंद बच्चे को कुछ सिखाया जा सकता है?

उनकी बौद्धिक और कार्यात्मक क्षमता पर निर्भर होकर उन्हें जीवन के मूल कौशलों को सिखाया जा सकता है। उन्हें देख–रेख के अन्तर्गत प्रशिक्षण द्वारा कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।

6. क्या यह सच है कि मानसिक मंदता कर्म के अनुसार होती है और इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता?

मानसिक मंदता कर्मों का फल है, अभिभावकों को घृणा से मुक्त होने के लिए सहायता प्रदान करती है, परन्तु यह सोच और प्रशिक्षण हेतू कोई प्रयास न करना और उसे उसके भाग्य पर छोड़ देना, सही नहीं है। अभिभावकगणों को यह बताया जाना चाहिए कि कोई भी कारण हो,तो प्रशिक्षण के द्वारा निश्चित तौर पर सुधार लाया जा सकता है।

इस सूची के इलावा मानसिक मंदता और उनके प्रबन्ध कारणों से सम्बन्धित और भी कई गलत धारणांए हैं। वर्तमान स्थिति में मानसिक मंदता के बारे में गलत धारणाएं तथा उसके बारे में अनभिज्ञता, मंद बच्चों तथा उनके परिवार के लिए बहुत समस्याएँ पैदा करती है। ये गलत धारणाएं मानसिक मंद व्यक्ति के प्रति अभिवृति के पहलू हैं। अतः जन जागृति और अभिवृति के परिवर्तन के लिए परामर्श की कोशिश की जानी चाहिए।

जन-जागृति और जन सहयोग की उत्पत्ति (Creation of Public Awareness and Public Cooperation)

मानसिक मंदता सामान्यतः एक सामाजिक समस्या है। यह एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति और एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होती है। पथभ्रष्टता के व्यवहार के कारण मानसिक मंद व्यक्तियों को समाज में उनके अधिक महत्व न देने की संभावना नहीं होती, क्योंकि उनकी मानसिक ओर शारीरिक योग्यता कम होती है। समाज में उन्हें निम्न स्तर दिया जाता है। वातावरण के अनुकूल उनकी योग्यताओं में सुधार लाने का शिक्षण और प्रशिक्षण का प्रयास करना चाहिए। न केवल व्यवसासियों के प्रयास की उन्हें

आवश्यकता है, बलिक समाज के उपनियमों के समीप उन्हें लाने के लिए अभिभावकों के प्रयास की भी आवश्यकता है। निःसन्देह ये व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों से भिन्न हैं, परन्तु इनकी आवश्यकताएं सामान्य व्यक्तियों के समान हैं, तो इनके प्रति दृष्टिकोण भिन्न क्यों है।

हमारे समाज में मानसिक मंदता के बारे में अत्यधिक अलगावपूर्ण दृष्टिकोण हैं। सही सूचनाओं, मंदता के कारण रोकथाम, पहचान, प्रशिक्षण और सुविधाओं कि सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण अभिभावक अपने आपको कोसते हैं ये उनके कर्मों का फल है, धार्मिक लोगों की सहायता लेते हैं, झाड़–फूंक करवाते हैं। एक डाक्टर से दूसरे डाक्टर के पास जाते हैं या अपने मानसिक मंद बच्चे के लिए किसी जादुई शक्ति की सामान्यः तलाश, करते हुए दिखाई पड़ते हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में अभिभावकों को और आम व्यक्ति को जागरूक करना, मानसिक मंद व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक रूप से समाज में आत्मनिर्भर बनाया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामान्य जीवन की मुख्य धारा में से होकर एकीकरण करवाना आवश्यक है और उन्हें मौका प्रदान करें जिससे कि वे शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सुविधाओं का उपयोग कर सके ताकि मानसिक मंदता के प्रभाव को कम करने में सहायता मिल सके। इससे सामाजिक और आर्थिक योगीकरण की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। भारत के स्वर्गीय राष्ट्रपती श्री फख़रूद्दीन अली अहमद ने कहा था कि यदि इस समस्या की रोकथाम और इसके प्रभाव को कम करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता का उपयोग न किया गया तो ये विकलांगता की समस्या और बढ़ जाएगी।

मानसिक मंद व्यक्ति के सही प्रकार के एकीकरण और सामाजीकरण के लिए अभिभावकगण और सामान्य लोगों को सही तरीके से कारणों के बारे में लोक शिक्षा के द्वारा रोकथाम, प्रारम्भिक पहचान प्रशिक्षण, गलत धारणाओं और मानसिक मंदता की अभिवृति को सही तरीके से लेने के बारे में शिक्षित करना चाहिए।

जन-जागृति की उत्पत्ति में समस्याएं (Problems in Creating Public Awareness)

हमारे देश की जनसंख्या में उच्चतम स्तर पर असामान्यता पाई जाती है, क्योंकि यहां पर विभिन्न संस्कृति और विश्वासों, विभिन्न भाषाओं और उपभाषाओं, विभिन्न स्तर की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक स्तर के लोग रहते हैं। असामान्यता के कारण कोई एक जन जागृति का कार्यक्रम इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिकतर व्यक्ति मानसिक मंदता के प्रति कम ध्यान देते हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए और जन–जागृति के कार्यक्रमों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए निम्न पहलुओं को शामिल किया जाता है।

1. **लक्षित जनसंख्या (Target Population)** कार्यवाही करने वाले को चाहिए कि वह देंखे कि वे शिक्षित व्यक्ति हैं या अशिक्षित व्यक्ति हैं। ग्रामीण या शहरी जनसंख्या है।
2. **सन्देश (Message)** ऐसे सन्देशों या विशेष सन्देश के बारे में निर्णय लेना चाहिएं, जिनका हम सुविधाजनक तरीके से संचार कर सके।
3. **तरीका (Mode)** संदेश का संचार करने का निर्णय लेने के बाद, उन तरीकों का चयन करना चाहिए, जिसके द्वारा सन्देशों का प्रचार किया जाए चाहे वह दृश्य–श्रवण कार्यक्रम हो, चाहे श्रवण या चाहे लिखित सामग्री हो। यह निर्णय लक्षित जनसंख्या और सन्देश पर निर्भर करता है। चलचित्रों, कठपुतली और नाटकों द्वारा आयोजित कर सकते हैं। गाना और रेडियो ये कुछ श्रवण प्रोग्राम है। लिखित सामग्री में पत्रिकाए इश्तिहार और पोस्टर शामिल किए जाते हैं। कैम्प जिनमें कि व्यवसायियों के साथ समुदाय के सदस्यों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है, भी प्रभावपूर्ण तरीके हैं।

कोई भी मानसिक मंदता के जन–जागृति के कार्यक्रम में शिक्षा, समाजीकरण, मनोवैज्ञानिक और चिकित्सकीय विचारों को बिना किसी एक संस्कृति पर जोर दिए हुए शामिल करना चाहिए। सामान्य लोगों के लिए जागरूकता के कार्यक्रम में मुख्यतौर पर रोकथाम, प्रारम्भिक पहचान, स्वीकृति और किसके पास भेजा जाए इत्यादि बातों पर केन्द्रित होना चाहिए। इसके अलावा अभिभावकगणों के लिए सन्देश के रोकथाम, प्रारम्भिक पहचान, प्रबन्ध ओर शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधाओं के बारे में ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

जन–जागृति के कार्यक्रमों की सफलता समुदाय और मानसिक मंदन के अभिभावकों के सहयोग पर ही निर्भर करती है। स्थानीय नेताओं और एंजेसियों को जो कि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, व्यवसायियों को उनके सहयोग को भी शामिल करना चाहिए। इस प्रकार के प्रोग्राम का मुख्य मकसद शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए सही मौका प्रदान करना होना चाहिए, जिससे कि वे समाज में एक उपयोगी और उत्पादक व्यक्ति साबित हो सके।

सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे मेला और शान्ति मार्च करते हुए इनकी योग्यताओं को दर्शाया जा सकता है, जिससे कि वे अपने सामान्य अधिकारों और आवश्यकताओं को दर्शा सके। अयोग्य व्यक्ति के लिए सामाजिक एकीकरण और सामान्यीकरण के लिए यह सब महत्वपूर्ण है। इसके इलावा मानसिक मंदता की आवश्यकताओं और अधिकारों के बारे में लोगों को सचेत करते हैं।

जन–जागृति के कार्यक्रम न केवल अभिभावकों और सामान्य जनता के लिए ही होने चाहिए, अपितु उनके लिए भी जो शासकिय प्रभुता में है। इन पर अभिभावकगणों के समूह अथवा व्यवसायियों समूहों द्वारा दबाव डाला जा सकता है। विकलांग व्यक्ति के योगीकरण की सेवाओं के संदर्भ में योजना बनाने और नीति बनाने वाले पर इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा दबाव डाला जा सकता है। १९९५ में संसद में इस प्रकार के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए बिल पास किया गया और यह आशा की जाती है कि मानसिक मंद व्यक्तियों के समुदाय में पुर्नवास प्रक्रियाओं में समुदाय के लोगों का सहयोग इस प्रकार के कार्यक्रमों में अत्यधिक मिल पाएगा।

अनुभाग-9

शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावक एक साथी के रूप में

Partners in Education

योग्यताएं बच्चे के जन्म के समय अपने आप उत्पन्न नहीं हो जाती। उसमें कई कारकों को शामिल किया जाता है, जैसे कि बच्चे और अभिभावकों में आपसी का सम्बन्ध पहले के अनुभव और वातावरण के सिथितयाँ आदि अभिभावकों और बच्चे में सकारात्मक सम्बन्ध बनानो में सहायक होते हैं।

जब नवजात शिशु विकलांग पाए जाती है तो उस समय अभिभावकों को बच्चे के लालन–पालन के लिए सूचना तथा सहयोगी प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के अभिभावकों को समुदाय में जो सामाजिक संस्थाएँ उनके माध्यमों से उन्हे परामर्श और शैक्षिक सेवाएं दी जाती हैं, जिससे कि अभिभावक समस्याओं से जूझ पाते हैं।

बच्चे के लिए सबसे पहले और अति प्रभावपूर्ण अध्यापक अभिभावकगण होते हैं। अभिभावकगण शैक्षिक सफलता में बच्चे को सिखाने के लिए क्या सहायता प्रदान कर रहे हैं, यह देखना चाहिए, न कि एक परिवार के चलने के तरीके को देखना चाहिए। स्कूल के शैक्षिक कार्यक्रमों में अभिभावकों को शामिल करने से बच्चे को शैक्षिक कार्यक्रम सीखाने में सहायता मिलती है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान किये गये हैं, जिससे ये पता चलता है कि घर का बच्चे के विकास पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। विशेष तौरपर विकलांग विद्यार्थियों के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि अभिभावक और अध्यापकों में साकारात्मक सम्बन्ध बने रहें, अतः घर और स्कूल के बीच का सम्बन्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है इससे यह मालूम होता है कि अभिभावकगण बच्चे के प्रशिक्षण में और वास्तविक रूप से भागीदारी निभा रहे हैं । इससे यह भी जाहिर होता है कि इस प्रकिया में अभिभावकगणों को सक्रिय रूप से, एक वास्तविक साथी के रूप में भागीदारी लेनी चाहिए । अभिभावक और अध्यापकों के द्वारा ही योजनाएं बनाई जाती हैं, उन्हें लागू किया जाता है और विशेष कार्यक्रमों की देख–रेख की जाती है, अतः अभिभावकगण शैक्षिक टीम का एक महत्त्वपूर्ण भाग हैं, जिसकी एक अलग शक्ति होती है।

घर-स्कूल और समुदाय में सम्बन्ध स्थापित करना

(Establishing Home-School and Community Relationship)

अध्यापक, अभिभावकगण, प्रशासन, व्यवसायी और समुदाय के लोगों को बड़े स्तर पर सहयोगी प्रयास करना चाहिए, जिससे कि विकलांग बच्चों को निरन्तर शैक्षिक कार्यक्रमों में सहायता मिल सके और इनकी बढ़ौतरी उत्पादक युवकों के रूप में हो सके। यह महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि स्कूल घर और समुदाय का मिला–जुला प्रयास होना चाहिए, जो कि बच्चे की वृद्धि के लिए सफल सीखने के अनुभवों पर केन्द्रित होता है। व्यवसायी जो कि विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वे अहसास कर रहे हैं कि योगीकरण के कार्यक्रम के आरम्भ से ही अभिभावकगणों को शामिल करना जरूरी है। इस तरह से उन्हें शामिल करने से न केवल परिवार को मजबूत करने में सहायता मिलती है, परन्तु स्कूल के कार्यक्रमों को और भी अधिक महत्त्वपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है, जिससे कि उनकी ग्रहणशीलता में वृद्धि होती है। स्कूल प्रणाली में अभिभावकगण

उपसमूह स्कूल कार्यक्रम के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, अतः इस प्रकार के बच्चों को विशेष सेवा की आवश्यकता है, जो कि शिक्षा की मुख्यधारा के अन्तर्गत सेवाएं प्रदान नहीं जा रही हैं। अभिभावकों को भी ध्यान की आवश्यकता होती है, वे न केवल अपने विकलांग बच्चे को समझने के लिए, बल्कि स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया को समझने के लिए भी संघर्ष करते हैं। कई अभिभावकगणों में जब वे जीवन के कई विकल्पों के अनुभवों का सामना करते हैं तो अचानक आत्म सन्देह उत्पन्न हो जाता है और उन्हें सदमा सा लगता है। फीदरस्टोन (Featherstone 1980) के अनुसार घर और स्कूल के प्रभावपूर्वक सम्बन्ध बनाने के लिए अ ध्यापकों को चाहिए कि वे अभिभावकों की इच्छाओं को समझें जोकि सगझना महत्वपूर्ण है। अभिभावकों को स्कूल की स्थिति में एक अलग समूह मानना एक कृत्रिम रूकावट है। टीचर को चाहिए कि यह अभिभावकगणों के साथ विकल्प कार्यक्रमों में मिलकर मेल–मिलाप बढ़ाएं। विकलांग बच्चों के अभिभावकगणों की चाहत होती है कि वे स्कूल के कार्यक्रमों में भागीदारी लें। अध्यापकों को भी इस प्रकार के अभिभावकगणों के समूह को विस्तृत करने से लाभ होता है, परन्तु यह स्कूल के वातावरण पर निर्भर करता है।

स्कूल का वातावरण और अभिभावकों की अभिवृत्ति (School Climate and Parental Attitude)

अभिभावकगण जिनके पास विकलांग बच्चा है, उन्हें तथा उनके अध्यापकों को अपनी कार्यात्मक भूमिका निभाने में एक दबावपूर्ण बोझ की तरह लगता है और हर समय अभिभावक और अध्यापक एक दूसरेसे दूर समझते हैं। इन के सम्बन्धों में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विकलांग बच्चे को व्यवहार सिखाने और उसके विकास में प्रभाव पड़ता है।

बच्चे के सुधार के लिए जरूरी है कि अभिभावकगण और अध्यापक दोनों एक–दूसरे को समझें और सहयोग दें। (Beale & Bears 1982) बीली और बीयर्स 1982 के अनुसार यह पाया गया है कि अध्यापक और अभिभावकों में जितना खुलकर सम्प्रेषण होता है, उतना ही सम्बन्ध और भी दृढ़ होता है, परन्तु यह सब स्कूल और स्कूल के कार्यक्रमों में अभिभावकों की भागीदारी को किस प्रकार से अहसास करते हैं और उनके पहले के अनुभव किस प्रकार के हैं, इन सब बातों पर निर्भर करता है।

ऐसे भी स्कूल हैं, जहाँ पर स्कूल के प्रशासन के द्वारा अभिभावकों को स्कूल के कार्यक्रमों में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाता। निःसन्देह ही स्कूल का अपना वातावरण होता है, परन्तु अभिभावकों को भी इस प्रकार की अभिवृत्तियां बनानी चाहिएं, जिससे कि सम्पूर्ण सम्बन्धता को प्रभावित किया जा सके। इससे निश्चित रूप से बच्चे के शैक्षिक, सामाजिक और भावनात्मक वृद्धि में प्रभाव पड़ता है। अतः स्कूल को एक सहायक प्रणाली की तरह कार्य करना चाहिए, इसमें घर की तरह एजेंसी की अपेक्षा सहयोगी तरीके से कार्य करना चाहिए। अभिभावकगणों और अध्यापकों में विचारों का आदान–प्रदान अच्छा होता है, इससे उनके प्रत्यक्षीकरण, अभिवृत्तियों पर प्रभाव पड़ता है और सम्बन्ध बनाने में सुविधा मिलती है।

अभिभावकों में बच्चे में सुधार लाना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। हिमस् 1947 (Hymè 1947) ने अभिभावकगण, बच्चे और अध्यापक के सम्बन्ध को दर्शाते हुए कहा है कि "अभिभावकगण अपने बच्चे से प्यार करते हैं और यदि अध्यापक भी प्यार का इसी तरह अहसास करें तो अभिभावकगण आपके मित्र हो जायेंगे। यदि आप बच्चे और अभिभावक के

प्रति रूचि दिखाते हैं तो वह आपकी तरफ हो जाते हैं और टीचर ऐसा नहीं करते तो अभिभावक कभी भी अध्यापक के साथ मिल–जुल कार्य नहीं करते।"

अतः यह कहना उचित होगा कि (1) बच्चे को छूना, अभिभावकों को छूने के बराबर है। (2) बच्चे को प्रशनसित करना, अभिभावकों को प्रशनसित करना है। (3) बच्चे की आलोचना करना, अभिभावकों को दुःख पहुंचाने के बराबर है।

अभिभावकों में स्कूल के प्रति भिन्न–२ भावनाएं होती हैं। एक क्रम में स्कूल से बचने की इच्छा और एक में इतनी अधिक इच्छा हो जाती है कि वह अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। बरगर 1981 (Berger 1981) के अनुसार पांच स्तरों की भागीदारी का वर्णन किया गया। अभिभावक इस प्रकार के होते हैं :–

(1) जिन्हें स्कूल में आने के लिए उत्साहित करने की आवश्यकता है।

(2) स्कूल के कार्यक्रमों में शामिल करते हुए स्वयं खुशहाल और सुविधाजनक समझते हैं।

(3) अभिभावक स्कूल के अन्तर्गत अत्यधिक सक्रिय और अपनी शक्ति से प्रसन्न होते हैं।

(4) कुछ ऐसे होते हैं, जो कि सभाओं और कान्फ्रेंस में हिस्सा लेने से बचते हैं।

प्रत्येक परिवार के अभिभावक समूह, जिनका कि वर्णन किया गया है, उन्हें अलग–अलग व्यवसायियों की प्रतिक्रिया की जरूरत होती है, पहले समूह को अपने पहले के ऋणात्मक अनुभवों को कम करवाने की आवश्यकता होती है और उसके वर्तमान वातावरण को उत्साहित करना चाहिए, जिससे कि उसे लगे कि उसके बच्चे की सहायता की जायेगी। दूसरे, तीसरे और चौथे अभिभावकगणों के समूह अहसास करते हैं कि उन्हें स्कूल के वातावरण में निमंत्रण या प्रतिक्रिया करने का मौका दिया जाये। ये तीनों समूह स्कूल के कार्यक्रमों और गतिविधियों के मिले–जुले स्त्रोत है। उनके द्वारा स्कूल के भविष्य की योजनाओं के लिए भी सहायता मिलती है।

पाँचवे समूह के अभिभावकों को आवश्यकता होती है नियुक्त उत्तरदायित्वों की, जो कि उन्हें अभिप्रेरित करते हैं कि वे स्कूल के द्वारा दिये गये विभिन्न कार्यक्रमों में सहयोगी रूप से कार्य करें। अभिभावकों को विश्वास दिलाना चाहिए कि वे अपनी योग्यताओं के अनुसार और जो समय हमारे लिए निकाल रहे हैं वह काफी महत्त्वपूर्ण हैं जिससे कि वे स्कूल में जाने के लिए सुविधा का आभास करें और शिक्षा की प्रक्रिया में उन्हें शामिल होने में खुशी मिले, जो कि अन्त में उन्हीं के बच्चों को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है।

अभिभावकों की भूमिका (Role of Parent)

सामान्यतः अधिकतर अभिभावकगण दर्शक होते हैं, जो कि निरीक्षण करते हैं कि स्कूल उनके बच्चों की शिक्षा की प्रक्रिया में क्या कर रहा है। उनका विचार है कि स्कूल को ही ऐसा अधिकार है, जिसमें कि बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। यदि उनको उत्साहित किया जाये तो वे कई भूमिकाओं की कल्पना करते हैं।

- वे अपने बच्चों के अध्यापक हैं।
- वे स्वयंसेवी व स्त्रोतक व्यक्ति हैं।
- रोज़गार स्त्रोत हैं।

– नीतियां बनाने वाले हैं।

– सलाहकार हैं।

अभिभावकों को शामिल करने में अध्यापक की भूमिका (Teacher's Role in Parent's Involvement)

शिक्षा की प्रक्रिया में अभिभावकों को शामिल करने में अध्यापक केन्द्रबिन्दु होता है। अध्यापक की भूमिका में शामिल है :–

– सुविधा देने वाला – परामर्श देने वाला।

– एक सम्प्रेषक

– कार्यक्रम को निर्धारित करने वाला – विश्लेषक

– स्त्रोतों का विकास करने वाला और

– एक मित्र

अभिभावकों को शामिल करने में प्रशासन की भूमिका (Administrator's Role in Parental Involvement)

कई अनुसंधानों से पता लगा कि प्रशासन के प्रधान का स्कूल के वातारण पर काफी प्रभाव पड़ता है, जिसका उत्तरदायित्व होता है कि वह संस्था के प्रधान के द्वारा स्कूल के चरित्र का निर्माण करे और प्रशासनकर्त्ता के लिए स्टाफ को मिल–जुल कर कार्य करने तथा सम्बन्ध बनाने के लिए अभिप्रेरित करे। इस दृष्टिकोण के द्वारा निःसन्देह ही अभिभावकगणों का स्कूल के प्रति सकारात्मक भावनाओं का विकास किया जा सकता है। प्रशासनीय नेता निम्न पहलुओं के लिए बहुत ही प्रभावी हैं, जिनका अभिभावकों और अध्यापकों के बीच सम्बन्ध बनाने का उत्तरदायित्व होता है:–

1. स्टाफ की हिम्मत और उत्साह बढ़ाना प्रशासक की भूमिका को प्रतिबिम्बित करता है।

2. प्रशासन को चा हिए वह अभिभावकगणों के साथ सम्बन्ध स्थापित करे।

३. अन्त में उसे कार्यक्रम निर्देशक के रूप में सीखना।

सम्प्रेषण (Communication)

गृह और विद्यालय सम्बन्ध, विद्यार्थी के अपेक्षित विकास के लिए सामान्यतः पहचाना जाता है। यह सम्बन्ध आकस्मिक नहीं बनते हैं। अभिभावक और स्कूल के बीच में सम्प्रेषण के दौरान कई रूकावटें उत्पन्न हो जाते हैं, विशेष तौर विशेष बच्चों के अभिभावकों के लिए यह सही है क्योंकि उनका स्कूल के सम्बन्ध में नकारात्मक अनुभव होते हैं। यह महत्त्वपूर्ण है बच्चे की रूचि के लिए, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने से रोकना चाहिए। सम्प्रेषण में सुधार लाना यह एक आवश यक चरण है सही दिशा में जिससे की गृह–स्कूल और समुदाय के सम्बन्ध को सुधारा जा सकता है।

बच्चे से सम्बन्धित तरीकों को अभिभावकों के समक्ष व्यक्त करना और सहयोग के लिए निष्कपट इच्छा के द्वारा सफलतापूर्वक गृह और स्कूल के सम्प्रेषण को पूरा किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए कई सारी तकनीकों की रूपरेखा दिया गया है जिसमें शामिल है दूरभाष कॉल, खुली गृह सभा, स्कूल और समुदाय में अनौपचारिक दौरा करना,

अध्यापक व अभिभावक सम्मेलन एक तरफा सम्प्रेषण हो सकता है जैसे कि स्कूल की योजना या स्कूल में क्या हो रहा है। इस बारे में अभिभावकों को सूचना देना । दो तरफा सम्प्रेषण, जैसे कि अभिभावकों को स्कूल में अपने ज्ञान अनुसार योगदान देना, अपना सम्बन्ध व इच्छा को भागेदारी लेने वाले व्यक्तियों के साथ बांटना ।

एक–तरफा सम्प्रेषण (One way communication) : इसमें बच्चे के पाठ्यक्रम के क्षेत्र से सम्बन्धित गतिविधियों को साधारण पत्रिकाओं में शामिल किया जाता है और जिससे वे सम्प्रेषण करते हैं विभिन्न गतिविधियों के बारे में और बच्चे कि वर्ष भर की उपलब्धियों को अभिभावकों को वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं।

बच्चे के माध्यम से जो अभिप्रेरित करने के लिखित टिप्पणी घरों में भेजी जाती है वह एक बहुत ही प्रभावपूर्ण साधन है सम्प्रेषण के लिए। माध्यम (Media): रेडियो, दूरदर्शन और पत्रिकाएं या समाचार पत्र इन सबका उपयोग किया जाता है स्कूल से सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटनाओं को बड़े स्तर पर अभिभावकों और समुदायों में सूचना देने के लिए। यह माध्यम औपचारिक और प्रभावपूर्ण साधन है। जिससे की बड़े स्तर तक अभिभावकों और समुदायों में सूचनाओं को पहुंचाया जा सकता है।

दो तरफा सम्प्रेषण (Two-way Communication):

दो तरफा सम्प्रेषण जरूरी है और यह तब सम्भव हो सकता है जब स्कूल के कर्मचारी बच्चों से और उनके अभिभावकों से मिलेंगे। भागीदारों के बीच अन्तक्रिया के लिए आवश्यक है कि स्कूल के बारे में ज्ञान, सम्बन्धित और इच्छाओं के बारे में अभिभावकों को इस संदर्भ में बताना। प्रत्येक स्कूल के अपने प्रतिमान (Norms) और सिद्धान्त होते हैं। कई स्कूल में खुला दरवाजा (open door) नीति होती है उनका स्वागत होता है। परन्तु कुछ ऐसे भी स्कूल होते हैं जिसमे अभिभावकों को स्कूल में आने से पहले समय निश्चित करना पड़ता है। स्कूल और अभिभावकों की आवश्यकता है कि वह सम्मेलन (Conference सिंडोम]Syndrpme) से बचे। समस्या का विकास होने से पहले वे दो–तरफा सम्प्रेषण स्थापित करते हुए वार्तालाप की कोशिश करते हैं जिससे कि अभिभावाकों तथा स्कूल के लिए वातावरण व्यवस्थित हो सके कि वे मिल–जुल कर समस्या पर काबू पा सकें और बच्चे को समस्या का सामना न करना पड़े।

इसके अलावा आवास पर सम्पर्क करके, पिकनिक, व अभिभावक–अध्यापक सभा में मेल–जोल के द्वारा वर्ष के आरम्भ में अभिभावकों से सम्पर्क करके दो तरफा सम्प्रेषण की स्थापना की जा सकती है।

अभिभावक-अध्यापक सम्मेलन (Parent -Teachers Conference):

यह स्कूलों में सम्प्रेषण सुविधाओं को चलाने के लिए एक मुख्य साधन है। बच्चों की शिक्षा में सक्रीय भूमिका निभाने व अपना सहयोग बढ़ाने के लिए अभिभावाकों को अत्याधिक महत्व दिया जाता है। लेकिन कई बार अभिभावक–अध्यापक सम्मेलन कुछ औपचारिक मामलों में निष्क्रिय हो जाता है। इसमें अध्यापक बच्चे के सम्बन्ध में मिलने वाली बुरी खबर से चिन्तित रहते हैं व अभिभावक इसके लिए हैरान होते हैं। सोभाग्यवश

अभिभावक तथा अध्यापक इन सभाओं में मामलों के स्पष्टीकरण का अवसर पाते हैं उत्तर ढूंढते है। लक्ष्य निर्धारण करके आपसी तकनीकों को निर्धारित करते हुए बच्चों के शिक्षण के लिए टीम के रूप में कार्य करते हैं। अध्यापक–अभिभावक सभा दोनों को अत्याधिक उत्पादक ढंग से सीखने व बात करने का अवसर प्रदान करती है।

इस प्रकार की सभाओं के लिए तीन विकल्प हैं जैसे कि दूरभाषीय वार्तालाप, टिप्पणियां एवं समूह की सभाएं। व्यक्तिगत अथवा समूह के सम्मेलन लिए भी एक वातावरण उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया जाता है जिसमें वें सूचनाओं का आदान–प्रदान तथा इसके अनुसार बच्चे के लिए योजनाओं का निर्माण किया जाता है। बिले तथा बीयर्स (1982) के अनुसार घर तथा स्कूल के मध्य सम्प्रेषण सुधारा जा सकता है।

"अभिभावक तथा अध्यापक जो साकारात्मक निरन्तर अन्तक्रिया के माध्यम से अपने सम्बन्धों को स्थाई करने के लिए खुला सम्प्रेषण करते हैं। एक बार जब वे इस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं तो अभिभावक और अध्यापक एक दूसरे को सन्तुष्ट कर सकते हैं जो कि उत्पादक शिक्षा और अभिभावकों को शामिल करने के लिए एक नींव का कार्य करते हैं।" अभिभावक व अध्यापक सभा व्यक्तिगत स्तर पर, छोटे समूह अथवा बड़े समूह के रूप में आयोजित की जा सकती है।

व्यक्तिगत अभिभावक-अध्यापक सम्मेलन (Induvidual Parent-Teacher Conferences):

मूल रूप से यह समस्या के सामूहिक समाधान हेतु अभिभावकों व अध्यापकों की आवश्यकताओं को जानने के लिए आमने–सामने की वार्तालाप है जिसमें कि विशेष शैक्षिक कार्यक्रम के लिए सूचनाएं दी जाती हैं या समस्या व इसके अनुसार अपने प्रयासों में समन्वय किया जाता है ताकि विलक्षण बच्चे के घर तथा स्कूल में सहायता दी जा सके। इसलिएं इस प्रकार के सम्मेलनों को वर्ष के आरम्भ या अन्त में सीमित नहीं करना चाहिए अपितु यह विशेष बच्चे की प्रकृति व आवश्यकता पर आधारित एक निरन्तर प्रक्रिया होनी चाहिए।

इस प्रकार के सम्मेलन अभिभावक–अध्यापक की अर्थपूर्ण भागीदारी को बनाये रखते है क्योंकि शिक्षकं यह अनुभव करते हैं कि यह विद्यार्थियों के सीखने के अवसरों को सुधारने के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यविधि है एवं अभिभावक और स्कूल के मध्य निरन्तर सम्मप्रेषण हेतु खुला द्वार है। सम्मेलन को अत्याधिक उत्पादक बनाने हेतु अध्यापक को चाहिए कि वह विशेष वस्तुनिष्ठ को स्थापित करें। सभा का मुख्य मुद्दा भी इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि वार्तालाप में सभी हिस्सा ले सके।

सम्मेलन संचालित करना (Continuing the Conference):

बेबित तथा हेनसन (1977) ने सुझाव देते है कि अध्यापक को कक्षा में सम्मेलन संचालन में अधिमानता देनी चाहिए। उसे विद्यार्थी की फाइल तथा निर्देशात्मक सामग्री के साथ तैयार रहना चाहिए। जब सम्मेलन को संचालित किया जाए तो उस समय निश्चित किया जाए की किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि उचित अन्तक्रिया जारी रहनी चाहिए। स्टैपहेन और वूल्फ (१९८०द्ध ने चार चरण की सलाह दी है:

1. **मधुर सम्बन्ध (Rapport):** अच्छी अभिभावक–अध्यापक सभा के लिए यह आवश्यक है की आपसी भरोषा, विश्वास, सम्बन्ध और बच्चों की देखभाल से सम्बन्धित एक

वातावरण तैयार किया जाए ।

2. सूचनाएं प्राप्त करना (Obtaining information): सभा की प्रक्रिया के दौरान अभिभावक गण से खुले प्रश्नों के द्वारा, स्कूल के कार्यक्रम, तथा क्रियाओं जो कि बच्चे ने उन्हें समय–समय पर बताई है के बारे में जानकारी एकाशित करना आवश्यक है । इससे अभिभावकगण और जानकारी देने के लिए उत्साहित होंगे । अध्यापक अभिभावकों की स्कूल पाठयक्रम, इसकी प्रभावशालिता तथा अभिभावकों की उम्मीदों के बारें में वार्तालाप बनाए रखते हैं ।

3. सूचनाएं प्रदान करना (Providing information): अध्यापक को शब्द जाल से मुक्त भाषा में बच्चे के बारे में अभिभावकों को वास्तविक सूचनाएं देनी चाहिए। कार्यकलापो से सम्बन्धित प्रश्न पूछने में स्वतन्त्रता का एहसास दिलाए। बच्चो की कार्य करने के आकड़ों तथा स्कूल के कार्यों का उदाहरण दिखाए जिससे अभिभावकों को अपने बच्चे की सिखने की योग्यता की जानकारी मिल सके। उच्च स्तर तक की प्राप्ति के लिए बच्चो की सहायता करने के लिए मिलकर किन तकनीकों को अपनाना चाहिए और उसकी क्रियाओं में सुधार के लिए क्या करने की आवश्यकता है पर केन्द्रीत होना चाहिए।

4. मूल्याकन (Evaluation): सम्मेलन के अन्त में अनुसरण करने के लिए नए विकल्पों तथा तकनीकों के गुण भी और सन्तुष्टि की मात्रा निर्धारित करने में इससे सहायता मिलती है।

समूह सम्मेलन (Group Conference):

उन मानसिक मंद बच्चों के अभिभावकों के एक समूह, जिनकी आवश्यकता कम या ज्यादा एक जैसी है के लिए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संगठित कर सकती है। उदाहरण के लिए वे बच्चे जिन्हें आत्म सहायक दक्षताओं के क्षेत्र प्रशिक्षण की आवश्यकता है विशेषतः कपड़े पहनने और कपड़े उतारने में। इस प्रकार के बच्चों के अभिभवकों को क्रियाओं के द्वारा विशिष्ट दक्षताओं का विकास करने के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण में उपस्थित होने के लिए निमन्त्रित करना चाहिए। प्रयोग होने वाली शैक्षिक तकनीकों अभिभावकों को देखकर सिखने के लिए श्रवण–दृष्टि सामग्री के प्रयोग के द्वारा या प्रतिअप के द्वारा विशिष्ट क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए व्यवहारिक प्रदर्शन करना चाहिए। अध्यापक उन अंभिभावकों के योगदान के लिए आमन्त्रित कर सकती है जो प्रशिक्षित है तथा आदेशानुसार घर में बच्चों के साथ प्रभावपूर्ण कार्य कर रहे है।

विस्तृत समूह सम्मेलन (Large Group Conferences):

विभिन्न मुद्दों पर तर्क–वितर्क करने के लिए विस्तृत मात्रा में अभिभावक भागीदारी लेते है। यह कार्यशाला तथा विचारगोष्ठी के रूप में संगठित करनी चाहिए। प्रदर्शनी तथा यशी की वृद्धि के अभियान में शामिल किया जा सकता है। वे इस उद्देश्य के लिए मिल कर कार्य करने में मुद्दों को उठाने के लिए एक अभिभाव संघ का स्वरूप दे सकते है।

अभिभावक-अध्यापक सम्बन्ध (Parent Teacher Relationship):

विकलांग व्यक्ति के अभिभावकों के द्वारा प्रतिक्रियाओ का जाहिर होना उन

कठिनाईयों पर प्रकाश डालती है जिन्हें वे अपने बच्चे की आवश्यकंताओं की पूर्ति करने में सामना करते है। समाज अभिभावकों को सुडौल, स्वस्थ, बुद्धिमान तथा ससामाजिक तौर उपयुक्त बच्चों का निर्माण करने के लिए उत्तरदायित्व के साथ जिममेदार ठहराती है। अभिभावकों से उम्मीद की जाती है कि जब वे ऐसा करे तो अपने आप अपनी भावनात्मक स्थिरता को बनाए रखे। जब वे समस्याओं का सामना करते हैं तो ज्यादातर अभिभावक विभिन्न स्त्रोतों से सलाह लेते है जिनमें इन के अपने अभिभावक, मित्र, रिश्तेदार तथा दूसरे प्रसिद्ध माध्यम शामिल होते है।

मानसिक विकलांग बच्चों के अभिभावक एक जैसा सामाजिक दबाव का अहसास करते है। जब विभिन्न स्त्रोतों से सहायता प्राप्त करते हैं तब अभिभावक अहसास करते है कि वे अकसर बड़ते हुए दबाव और मांगों के साथ प्रभावित समझौता नहीं कर सकते। हीवर्ड ड्राईग और रोजट (1979) ने एक विकलांग बच्चे के अभिभावकों के द्वारा अनुमानित किए हुए छः भूमिकाओं की सूचि दी है ये निम्न है:—

शिक्षण, व्यवहारिक समस्याओं का प्रबन्ध, सामान्य बच्चो को शिक्षित कला, अभिभावक—अभिभावक सम्बन्ध जारी रखना, दूसरों को शिक्षित करना और स्कूल तथा समुदाय से सम्बन्ध रखना। उन्हें बच्चे के अत्यधिक विकास के लिए एक व्यवहारिक से अतिरिक्त और विशेष देखभाल की आवश्यकता है।

अभिभावकों के साथ प्रभावित कार्य करने के लिए कुछ प्रभावित मार्गदर्शनः

१. कभी भी अनुमान नहीं **लगाना चाहिए कि तुम्हें बच्चों के बारे में अत्यधिक पता है।**
२. प्रतिदिन और साधारण **बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग करे।**
३. कथन का समान्यीकरण न करे।
४. अभिभावकों के द्वारा **रक्षात्मक कार्यवाही नहीं करनी चाहिए व डरना नहीं चाहिए।**
५. आपका प्राथमिक सम्बन्ध बच्चे से है।
६. अभिभावकों की अनुकुलतम वास्तविकता के प्रत्यन में सहायता करनी चाहिएं
७. शुरूआत कुछ ऐसे होनी चाहिए कि अभिभावक सफल हो सकै।
८. यह कहने से नहीं हिचकिचाना चाहिए कि हमें नहीं पता।

अनुभाग-10

अभिभावक संघ

(Parents Association)

मानसिक मंदता एक ऐसी समस्या है, जिसके प्रत्येक देश, प्रजाति तथा समाजिक स्तर प्रभावित है। पूरे विश्व में प्रति हजार में से तीस व्यक्ति की औसत से मानसिक मंदता पाई जाती है। मानसिक मंद लोगों के शिक्षण–प्रशिक्षण के क्षेत्रों में गम्भीर प्रयास सर्वप्रथम 1940 में शुरू हुआ।

भारत में **1941** में इस दिशा में प्रयास शुरू किए गए जबकि बम्बई में **Children's Aid Society'** नामक स्वयंसेवी संस्था द्वारा मानसिक मंद लोगों के शिक्षण –प्रशिक्षण के लिए विशेष विधालयों की स्थापना की गई। भारत में दूसरा स्कूल एक अभिभावक द्वारा 1944 में शुरू में किया गया, जिसे "स्कूल फार चिलड्रन इन निड स्पेशल कैर " नाम दिया गया, तभी से इस क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है तथा अब करीब 700 से अधिक संस्थाएं, नैदानिक, शैक्षिक, थैराप्यूटिक और व्यवसायिक सेवाएं मानसिक मंद लोगों को प्रदान कर रही हैं।

यदि हम पिछले 45 वर्षो के विकास को देखें तो हमें ये पता चलता है कि जिस क्षेत्र में हम जोर दे रहें हैं, उसकी तुलना किसी भी सामान्यतः विकसित देशों से की जा सकती है, जैसे अलगाव तथा संस्थागत से एकीकरण और मानसिक व्यक्तियों की समुदाय द्वारा देखभाल करना। केवल अन्तर यही हैं कि हम लोगो ने इस चलन को इस्तेमाल करने की देरी की है। कई कारणों में से कुछ कारण ये भी हो सकते हैं कि एक विशाल देश की प्राथमिकताएं अज्ञानता, संसाद्यनों की कमी, सीमित प्रशिक्षित मानवीय ऊर्जा और उचित सेवाओं का उपलब्ध न होना।

सभी तथ्यों को मध्य नज़र रखते हुए मानसिक मंद व्यक्तियों को पालने की एंव उनकी जरुरतों को देखने का उत्तरदायित्व मुख्यतः अभिभावको पर निर्भर होता है अतः यह आवश्यक है कि देखभाल करने के तरीके के विकास के लिए यह आवश्यकता है जहां कि अभिभावकगण प्रबन्ध प्रक्रिया में सामूहिक रुप से शामिल हो सकें। अभिभावको द्वारा अपने बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए सामूहिक प्रयास करना यह आज की जरुरत जब वे एक जुट होकर रहें और एक मजबूत संघ को गठन करें।

समूह या संघ की विशेषताएं (Characteristics of Group or Association)

1. **दो तरफा सम्बन्ध (Reciprocal Relations):** एक समूह के सभी सदस्य का एक दूसरे से अन्तर सम्बनधित रहते हैं। दो तरफा सम्बन्ध एक समूह के आवश्यक विशेषता का गठन करता है।
2. **एकता की भावना (Sense of Unity):** समूह के सभी सदस्य एकता की भावना तथा सहानुभूति की भावना द्वारा एकत्रित संयुक्त होकर रहते हैं।
3. **'हम' की भावना (We feeling):** समूह के सभी सदस्य एक–दूसरे की सहायता करते हैं तथा एक–दूसरे की अभिरूचि की सामूहिक रूप से रक्षा करते हैं।
4. **सामान्य अभिरूचि (Common Interest):** समूह के अभिरूचि तथा धारणाएं एक समान होती हैं। सामान्य अभिरूचि को परखने के लिए ही वे मिलते है।

5. **एक सामान्य व्यवहार (Similar Behaviour):** सामान्य रूचि की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों को सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए।

6. **समूह के मानक (Group Norms):** प्रत्येक समूह के उसके अपने नियम या मानक होने चाहिए, जिसका की सभी सदस्य भली–भांति पालन करें।

मूल रूप से सूचनाओं के प्रचार प्रसार करने, निदेर्शो हिदायतों को सीखने, व्यवहार प्रबन्ध I, अंतव्यक्तिक सम्प्रेषण तकनीकें और सामाजिक भावनात्मक संवेगात्मक सहारा देने और प्राप्त करने के लिए अभिभावक संघ का गठन किया जाता है। समूहों के कई प्रकार होते हैं जैसे बड़े समूह या छोटे समूह। समूह का आकार सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार होंगे। बडे समूह सूचनाओं के प्रसारण में प्रभावकारी होते हैं और छोटे समूह व्यक्तिगत या उच्च स्तर की विशिष्ट सूचनाओं को आदान–प्रदान के लिए उपयोगी होते हैं। समूह का आकार समूह के उद्देश्य और सदस्यों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

अभिभावक समूह/संघ के गठन के उद्देश्य (Purpose of Forming Parent Group/ Association)

1. अभिभावक संघ अभिभावकों को यह जानने में मदद करता है कि वे अकेले ही इस समस्या से ग्रसित नहीं है। अन्तःक्रिया होने और अनुभवों को बांटने से उन्हे नैतिक समर्थन प्राप्त होता है।
2. यह उन्हें उनके बच्चों की जरूरतों से संबंधित एक–दूसरे के अनुभवों एवं ज्ञान के आदान–प्रदान का मौका प्रदान करती है।
3. अभिभावक अपने बच्चे के प्राथमिक शिक्षक होते हैं। यह उन्हें आपसी मंत्रणा एवम अन्तःक्रिया के माध्यम से अधिक सीखने का मौका प्रदान करती है।
4. सूचनाओं के आपसी आदान–प्रदान एवम स्पष्टीकरण के द्वारा अभिभावक के मन में व्यापत गलत धारणाओं को दूर करने का मौका मिलता है।
5. इसमें मूल रूप से एक ही तरह की समस्या से ग्रसित परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से अन्तःक्रिया (interact) में सहायता मिलती है।
6. यह आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने में सहायता करती है।
7. यह पूरे परिवार (भाई, बहने एंव अन्य संबंधित सदस्यों) को शामिल होने का मौका उपलब्ध करता है, क्योंकि इसमें समूचे परिवार के शामिल होने की ज़रूरत समझी जाती है।
8. इससे बच्चे के साथ ही साथ अभिभावकों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाता है। बच्चे एवम् उसके परिवार को सेवाएं प्रदान करवाने हेतू निर्देश देने में इससे सहायता मिलती है।
9. अभिभावक एक सामूहिक आवाज एवम् प्रयास से जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतू उचित दबाव डाल सकते हैं। वे वर्तमान एवम् भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सम्मिलित प्रयास करने का मौका प्राप्त करते हैं।
10. अभिभावक संघ संसाधन उपलब्ध करवाने में स्वयं सहायता करते हैं और वर्तमान समय में सेवाओं में जो कमी है, उसे पूरा करते है।

समूह या अभिभावक संघ को गठन करने के लिए मार्ग दर्शन (Guidelines for Setting up a Group/Parent Association)

1. **तकनीकी मार्गदर्शन (Technical Guidance):** अनुभवों से ज्ञात हुआ है कि

व्यवसायिकों की निरन्तर सहायता जरूरी और उपयोगी सिद्ध हुई है। व्यवसायिक जो अभिभावक संघ से जुडा होता है उसके पास व्यवसायिक ज्ञान और कौशल के अलावा, समूह क्रिया का ज्ञान होना भी आवश्यक है। उसमें समर्पण, सचेष्टता और सहानुभूति के गुण होने चाहिए। व्यवसायी जो की शामिल है उन्हें अभिभावकगण को निरन्तर प्रशिक्षण देने की जरूरत होती है जिससे कि वे अपने बच्चे को सही तरीके से शिक्षित और देखभाल कर पाने में समर्थ होते हैं।

2. **समूह में समरूपता (Homogeneity of the Group):** समरूपता समूह से अभिप्रायः समूह में सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थती, भाषा जो कि बोली जाती हो, मानसिक मंदता का स्तर, आयु श्रेणी और सम्बन्धित समस्याएं एक जैसी होनी चाहिए परन्तु वास्तिवकता (प्रैक्टिकल) के धरातल पर सम्पूर्ण समरूपता मिलना कठिन होता है, पर इसके लिए प्रयास करना चाहिए।

3. **आकार (Size):** प्रारम्भ में समूह का आकार छोटा रखना चाहिए (4 या 5 परिवार) समूह भावना का विकास, अपनापन की भावनाएं और उपयोगिता से पूर्व यह आवश्यक है कि अभिभावकगण अपनी इच्छाओं का अपने–आप में आदान–प्रदान करें, यदि समूह आरम्भ में बडा होगा तो उसमें प्रशासनिक समस्या की सम्भावना होती है और विचारों में विभिन्नता भी आ सकती है, जिससे कि सम्पूर्ण समूह की प्रगति रूक सकती है। एक बार जब समूह के सदस्यों के सामूहिक भावनाएं स्थापित हो जाए तो समूह की सदस्यता को जरूरत के अनुसार और भी परिवारों के बीच बढाया जा सकता है।

4. **भौतिक सीमांकन (Physical boundaries):** जो परिवार 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं उन्हे बारम्बार सभाओं को आयोजित करना आवश्यक है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जितने बडे क्षेत्र की पहचान की जाएगी उतने ही अधिक समूह में अभिभावको की संख्या शामिल होगी। यह उनके बीच में कम प्रत्यक्ष सम्प्रेषण को बढ़ावा देगी।

5. **सभा आयोजन के लिए सामान्य स्थान (Common Place of meeting):** सभी अभिभावकों को सूचनाएं प्रेषित करने के लिए, सभा के लिए, एक सामान्य स्थान को निश्चित करने का निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। आरम्भ में व्यवसायि जो की शामिल हैं उन्हे तटस्थ स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए, परन्तु धीरे–2 जब समूह आपस में मिलते है और प्रगति करते है तब वह जगह जो कि अभिभावकगणों के लिए अधिक सुविधाजनक हो, को निश्चित करना चाहिए। अभिभावकगणों की सुविधा के लिए सभा की तिथि इस प्रकार निश्चित करनी जिससे की वे सुविधा से उपस्थित हो सके।

6. **दोनों अभिभावकों को शामिल करना चाहिए (Involve both the parents):** दोहरा प्रभाव, अभिभावकगण पर डालने के लिए दोनों ही अभिभावकों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। स्वस्थ सामूहिक अन्तःक्रिया के विकास के लिए संयुक्त अभिभावक प्रयास होने चाहिए। जो कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है।

7. **आवश्यकताओं को पहचानना (Identifying Needs):** अभिभावकगण के समान जरूरतों की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समूह हम की भावना के साथ एक दूसरे से बन्धा रहता है। समान रूचि एंव संयुक्त प्रयास के कारण इससे अंततः उन्हें उनकी जरूरतों की पूरा होने में मदद मिलती है।

ध्यान रखने योग्य कारक (Factors for consideration)

एक अभिभावक समूह को दूसरे समूह के अपेक्षा अधिक सफल बनाने के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। इस तथ्य को नकारा नही जा सकता कि अभिभावकगण समस्या के प्रति अधिक सचेष्ट जागरूक हो गए हैं। वे संयुक्त प्रयास के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हे एक साथ लाने के लिए और सामान्य होकर अपनी आवाज को बुलन्द करने के लिए एक समान प्लेटफार्म की स्थापना की जरूरत है। इसके लिए निम्न कारकों को ध्यान में रखने की जरूरत है जो कि इस प्रकार है:–

1. **व्यवसायियों की वचनबद्धता (Commitment of professional):** अभिभावकों के लिए निरन्तर सहारे और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसमें व्यवसायीकों की जवाबदेही होने की आवश्यकता होती है।
2. **क्रिया कलाप केन्द्रित (Activitity centered):** समूह भावना के विकास के लिए मौखिक धारणाओं के विचारों के आदान–प्रदान के अलावा कुछ आपसी (मिचुवल) रूचि की गतिविधियों की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें अभिभावक गतिविधियों में भागीदारी और रूचियों को बनाए रखने के लिए अभिप्रेरित होंगे। इससे अभिभावकगणों को सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण बनाने में सहायता मिल जाती है अन्ततः कष्टों मे कमी आ जाती है।
3. **उत्तरदायित्वों का धीरे-धीरे स्थानान्तरण (Gradual transfer of responsibility):** आरिम्भक प्रयास अभिभावकों को शिक्षित करनें में, बच्चों की समस्याओं को समझनें में, उनकी सहायता करने में और उसे लागू करने में होना चाहिए। व्यवसायियों को चाहिए कि समूह के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व का संचालन पूरी तरह से अभिभावकों पर तब तक नहीं सौंपना चाहिए जब तक कि पूर्ण रूप से वे विश्वसनीय न हो जाए और अपने उत्तरदायित्वों को न समझ पाए।
4. **अनौपचारिक मेंल मिलाप (Informal get together):** अनौपचारिक तरीके से पिकनिक और पार्टी की व्यवस्था करके अभिभावकगणों को एकत्र करने का प्रबन्ध करना चाहिए, जिससे कि उनकी सूचनाओं, धारणाओं और विचारों का आदान–प्रदान हो सके। इससे सामूहिक एकता को बढावा मिलता है।
5. **अभिप्रेरणा (Motivation):** प्रत्येक समूह में, कुछ ऐसे अभिभावक भी होते है, जो कि कहते है कि हम नहीं कर सकते, यह असम्भव है, ऐसे अभिभावकगणों को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि हम उनके साथ संवेदनशीलता के साथ कार्य न करें। उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण वाले अभिभावकों से विचार–विमर्श की आवश्यकता होती है।
6. **आत्मदृढ़ता (Self determination):** व्यवसायिकों को केवल समूह के विचारों में सुझाव या सहायता प्रदान करना चाहिए। कभी भी प्रत्यक्ष रूप से निणर्य नहीं लेना चाहिए। यह अभिभावकगण और सदस्यों पर ही छोड़ देना चाहिए।
7. **दोहरी सहायता (Mutual Help):** संकट के समय अभिभावकों को प्रोत्साहित करना चाहिए की वे एक दूसरे की मदद करें। उन्हे यह समझने में सहायता करनी चाहिए कि आवश्यकताएं समान है और सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका एक दूसरे की मदद करना है। एक बार जब अभिभावकगण एक समूह के रूप में

विश्वास और दृढ़ता प्राप्त कर लेते हैं तो विशेष लक्ष्य और वस्तुनिष्ठता के साथ संघ को पंजीकृत कराया जा सकता है।

अभिभावक समूह/ संघ के लाभ (Benefits of Parents Group / Association)

- दूसरे अभिभावकों में भी समान समस्याएं हैं, इसके द्वारा उन्हे भावनात्मक सहारा मिलता है। प्रैक्टिकल तौर से देखा जा सकता है कि दूसरों ने कैसे समस्या का समाधान किया है और कैसे समाधान की कोशिश कर रहे हैं।
- उन्हे उनके बच्चों के साथ अन्तःक्रिया के द्वारा विश्वास की बढ़ोतरी होती है। अभिभावकगण ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं, जिससे कि उनमें अपने बच्चों के विकासात्मक व्यवहार को समझने और उनका निरीक्षण करनें की योग्यता आती है और उसी के अनुसार स्वीकृत कौशलों को को लागू करते हैं।
- दूसरों बच्चों के साथ कार्य करने का मौका मिलता है। इससे उन्हें अपने विचारों और व्यवहारों को सुधारने में अधिक सुरक्षित ढ़ग से सहायता मिलती है, द्वेष की भावना में कमी होती है।

ड्न इन निड आफ स्पेशल कैर७ नाम दिया गया, तभी से इस क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है तथा अब करीब 700 से अधिक संस्थाऐं ,नैदानिक, शैशिक, थैराप्यूटिक और व्यवसायिक सेवाएं मानसिक मंद लोगों को प्रदान कर रही है ।

यदि हम पिछले 45 वर्षो के विकास को देखें तो हमें ये पता चलता है कि जिस क्षेत्र में हम जोर दे रहें हैं, उसकी तुलना किसी भी सामान्यतः विकसित देशों से की जा सकती है, जैसे अलगाव तथा संस्थागत से एकीकरण और मानसिक व्यक्तियों की समुदाय द्धारा देखभाल करना। केवल अन्तर यही हैं कि हम लोगो ने इस चलन को इस्तेमाल करने की देरी की है। कई कारणों में से कुछ कारण ये भी हो सकते हैं कि एक विशाल देश की प्राथमिकताएं अज्ञानता, संसधानों की कमी, सीमित प्रशिक्षित मानवीय ऊर्जा और उचित सेवाओं का उपलब्ध न होना।

सभी तथ्यों को मध्य नज़र रखते हुए मानसिक मंद व्यक्तियों को पालने की एंव उनकी जरुरतों को देखने का उत्तरदायित्व मुख्यतः अभिभावको पर निर्भर होता है अतः यह आवश्यक है कि देखभाल करने के तरीके के विकास के लिए यह आवश्यकता है जहां कि अभिभावकगण प्रबन्ध प्रक्रिया में सामूहिक रुप से शामिल हो सकें। अभिभावको द्वारा अपने बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए सामूहिक प्रयास करना यह आज की जरुरत जब वे एक जुट होकर रहें और एक मजबूत संघ को गठन करें।

समूह या संघ की विशेषताएं (Characteristics of Group or Association)

1. **दो तरफा सम्बन्ध (Reciprocal Relations):** एक समूह के सभी सदस्य का एक दूसरे से अन्तर सम्बनधित रहते हैं। दो तरफा सम्बन्ध एक समूह के आवश्यक विशेषता का गठन करता है।
2. **एकता की भावना (Sense of Unity):** समूह के सभी सदस्य एकता की भावना तथा सहानुभूति की भावना द्वारा एकत्रित संयुक्त होकर रहते हैं।

3. **'हम' की भावना (We feeling):** समूह के सभी सदस्य एक–दूसरे की सहायता करते हैं तथा एक–दूसरे की अभिरूचि की सामूहिक रूप से रक्षा करते हैं।
4. **सामान्य अभिरूचि (Common Interest):** समूह के अभिरूचि तथा धारणाएं एक समान होती हैं। सामान्य अभिरूचि को परखने के लिए ही वे मिलते है।
5. **एक सामान्य व्यवहार (Similar Behaviour):** सामान्य रूचि की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों को सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए।
6. **समूह के मानक (Group Norms):** प्रत्येक समूह के उसके अपने नियम या मानक होने चाहिए, जिसका की सभी सदस्य भली–भांति पालन करें।

मूल रूप से सूचनाओं के प्रचार प्रसार करने, निदेर्शो हिदायतों को सीखने, व्यवहार प्रबन्ध I अंतव्यक्तिक सम्प्रेषण तकनीकें और सामाजिक भावनात्मक संवेगात्मक सहारा देने और प्राप्त करने के लिए अभिभावक संघ का गठन किया जाता है। समूहों के कई प्रकार होते हैं जैसे बड़े समूह या छोटे समूह। समूह का आकार सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार होंगे। बडे समूह सूचनाओं के प्रसारण में प्रभावकारी होते हैं और छोटे समूह व्यक्तिगत या उच्च स्तर की विशिष्ट सूचनाओं को आदान–प्रदान के लिए उपयोगी होते हैं। समूह का आकार समूह के उद्देश्य और सदस्यों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

अभिभावक समूह/संघ के गठन के उद्देश्य (Purpose of Forming Parent Group/ Association)

1. अभिभावक संघ अभिभावकों को यह जानने में मदद करता है कि वे अकेले ही इस समस्या से ग्रसित नहीं है। अन्तःक्रिया होने और अनुभवों को बांटने से उन्हे नैतिक समर्थन प्राप्त होता है।
2. यह उन्हें उनके बच्चों की जरूरतों से संबंधित एक–दूसरे के अनुभवों एवं ज्ञान के आदान–प्रदान का मौका प्रदान करती है।
3. अभिभावक अपने बच्चे के प्राथमिक शिक्षक होते हैं। यह उन्हें आपसी मंत्रणा एवम अन्तःक्रिया के माध्यम से अधिक सीखने का मौका प्रदान करती है।
4. सूचनाओं के आपसी आदान–प्रदान एवम स्पंष्टीकरण के द्वारा अभिभावक के मन में व्यापत गलत धारणाओं को दूर करने का मौका मिलता है।
5. इसमें मूल रूप से एक ही तरह की समस्या से ग्रसित परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से अन्तःक्रिया (interact) में सहायता मिलती है।
6. यह आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने में सहायता करती है।
7. यह पूरे परिवार (भाई, बहने एंव अन्य संबंधित सदस्यों) को शामिल होने का मौका उपलब्ध करता है, क्योंकि इसमें समूचे परिवार के शामिल होने की ज़रूरत समझी जाती है।
8. इससे बच्चे के साथ ही साथ अभिभावकों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाता है। बच्चे एवम् उसके परिवार को सेवाएं प्रदान करवाने हेतू निर्देश देने में इससे सहायता मिलती है।
9. अभिभावक एक सामूहिक आवाज एवम् प्रयास से जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतू उचित दबाव डाल सकते हैं। वे वर्तमान एवम् भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सम्मिलित प्रयास करने का मौका प्राप्त करते हैं।
10. अभिभावक संघ संसाधन उपलब्ध करवाने में स्वयं सहायता करते हैं और वर्तमान

समय में सेवाओं में जो कमी है, उसे पूरा करते है।

समूह या अभिभावक संघ को गठन करने के लिए मार्ग दर्शन (Guidelines for Setting up a Group/Parent Association)

1. **तकनीकी मार्गदर्शन (Technical Guidance):** अनुभवों से ज्ञात हुआ है कि व्यवसायिकों की निरन्तर सहायता जरूरी और उपयोगी सिद्ध हुई है। व्यवसायिक जो अभिभावक संघ से जुडा होता है उसके पास व्यवसायिक ज्ञान और कौशल के अलावा, समूह क्रिया का ज्ञान होना भी आवश्यक है। उसमें समर्पण, सचेष्टता और सहानुभूति के गुण होने चाहिए। व्यवसायी जो की शामिल है उन्हें अभिभावकगण को निरन्तर प्रशिक्षण देने की जरूरत होती है जिससे कि वे अपने बच्चे को सही तरीके से शिक्षित और देखभाल कर पाने में समर्थ होते हैं।
2. **समूह में समरूपता (Homogeneity of the Group):** समरूपता समूह से अभिप्रायः समूह में सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थती, भाषा जो कि बोली जाती हो, मानसिक मंदता का स्तर, आयु श्रेणी और सम्बन्धित समस्याएं एक जैसी होनी चाहिए परन्तु वास्तिवकता (प्रैक्टिकल) के धरातल पर सम्पूर्ण समरूपता मिलना कठिन होता है, पर इसके लिए प्रयास करना चाहिए।
3. **आकार (Size):** प्रारम्भ में समूह का आकार छोटा रखना चाहिए (4 या 5 परिवार) समूह भावना का विकास, अपनापन की भावनाएं और उपयोगिता से पूर्व यह आवश्यक है कि अभिभावकगण अपनी इच्छाओं का अपने–आप में आदान–प्रदान करें, यदि समूह आरम्भ में बडा होगा तो उसमें प्रशासनिक समस्या की सम्भावना होती है और विचारों में विभिन्नता भी आ सकती है, जिससे कि सम्पूर्ण समूह की प्रगति रूक सकती है। एक बार जब समूह के सदस्यों के सामूहिक भावनाएं स्थापित हो जाए तो समूह की सदस्यता को जरूरत के अनुसार और भी परिवारों के बीच बढाया जा सकता है।
4. **भौतिक सीमांकन (Physical boundaries):** जो परिवार 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं उन्हे बारम्बार सभाओं को आयोजित करना आवश्यक है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जितने बडे क्षेत्र की पहचान की जाएगी उतने ही अधिक समूह में अभिभावको की संख्या शामिल होगी। यह उनके बीच में कम प्रत्यक्ष सम्प्रेषण को बढ़ावा देगी।
5. **सभा आयोजन के लिए सामान्य स्थान (Common Place of meeting):** सभी अभिभावकों को सूचनाएं प्रेषित करने के लिए, सभा के लिए, एक सामान्य स्थान को निश्चित करने का निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। आरम्भ में व्यवसायि जो की शामिल हैं उन्हे तटस्थ स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए, परन्तु धीरे–2 जब समूह आपस में मिलते है और प्रगति करते है तब वह जगह जो कि अभिभावकगणों के लिए अधिक सुविधाजनक हो, को निश्चित करना चाहिए। अभिभावकगणों की सुविधा के लिए सभा की तिथि इस प्रकार निश्चित करनी जिससे की वे सुविधा से उपस्थित हो सके।
6. **दोनों अभिभावकों को शामिल करना चाहिए (Involve both the parents):** दोहरा प्रभाव, अभिभावकगण पर डालने के लिए दोनों ही अभिभावकों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। स्वस्थ सामूहिक अन्तःक्रिया के विकास के लिए संयुक्त अभिभावक प्रयास होने चाहिए। जो कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है।

7. **आवश्यकताओं को पहचानना (Identifying Needs):** अभिभावकगण के समान जरूरतों की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे समूह हम की भावना के साथ एक दूसरे से बन्धा रहता है। समान रूचि एंव संयुक्त प्रयास के कारण इससे अंततः उन्हें उनकी जरूरतों की पूरा होने में मदद मिलती है।

ध्यान रखने योग्य कारक (Factors for consideration)

एक अभिभावक समूह को दूसरे समूह के अपेक्षा अधिक सफल बनाने के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि अभिभावकगण समस्या के प्रति अधिक सचेष्ट जागरूक हो गए हैं। वे संयुक्त प्रयास के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हे एक साथ लाने के लिए और सामान्य होकर अपनी आवाज को बुलन्द करने के लिए एक समान प्लेटफार्म की स्थापना की जरूरत है। इसके लिए निम्न कारकों को ध्यान में रखने की जरूरत है जो कि इस प्रकार है:–

1. **व्यवसायियों की वचनबद्धता (Commitment of professional):** अभिभावकों के लिए निरन्तर सहारे और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसमें व्यवसायीकों की जवाबदेही होने की आवश्यकता होती है।
2. **क्रिया कलाप केन्द्रित (Activitity centered):** समूह भावना के विकास के लिए मौखिक धारणाओं के विचारों के आदान–प्रदान के अलावा कुछ आपसी (मिचुवल) रूचि की गतिविधियों की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें अभिभावक गतिविधियों में भागीदारी और रूचियों को बनाए रखने के लिए अभिप्रेरित होंगे। इससे अभिभावकगणों को सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण बनाने में सहायता मिल जाती है अन्ततः कष्टों मे कमी आ जाती है।
3. **उत्तरदायित्वों का धीरे-धीरे स्थानान्तरण (Gradual transfer of responsibility):** आरिम्भक प्रयास अभिभावकों को शिक्षित करनें में, बच्चों की समस्याओं को समझनें में, उनकी सहायता करने में और उसे लागू करने में होना चाहिए। व्यवसायियों को चाहिए कि समूह के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व का संचालन पूरी तरह से अभिभावकों पर तब तक नहीं सौंपना चाहिए जब तक कि पूर्ण रूप से वे विश्वसनीय न हो जाए और अपने उत्तरदायित्वों को न समझ पाए।
4. **अनौपचारिक मेंल मिलाप (Informal get together):** अनौपचारिक तरीके से पिकनिक और पार्ट, की व्यवस्था करके अभिभावकगणों को एकत्र करने का प्रबन्ध करना चाहिए, जिससे कि उनकी सूचनाओं, धारणाओं और विचारों का आदान–प्रदान हो सके। इससे सामूहिक एकता को बढावा मिलता है।
5. **अभिप्रेरणा (Motivation):** प्रत्येक समूह में, कुछ ऐसे अभिभावक भी होते है, जो कि कहते है कि हम नहीं कर सकते, यह असम्भव है, ऐसे अभिभावकगणों को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि हम उनके साथ संवेदनशीलता के साथ कार्य न करें। उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण वाले अभिभावकों से विचार–विमर्श की आवश्यकता होती है।
6. **आत्मदृढ़ता (Self determination):** व्यवसायिकों को केवल समूह के विचारों में सुझाव या सहायता प्रदान करना चाहिए। कभी भी प्रत्यक्ष रूप से निर्णय नहीं लेना

चाहिए। यह अभिभावकगण और सदस्यों पर ही छोड़ देना चाहिए।

7. **दोहरी सहायता (Mutual Help):** संकट के समय अभिभावकों को प्रोत्साहित करना चाहिए की वे एक दूसरे की मदद करें। उन्हे यह समझने में सहायता करनी चाहिए कि आवश्यकताएं समान है और सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका एक दूसरे की मदद करना है। एक बार जब अभिभावकगण एक समूह के रूप में विश्वास और दृढ़ता प्राप्त कर लेते हैं तो विशेष लक्ष्य और वस्तुनिष्ठता के साथ संघ को पंजीकृत कराया जा सकता है।

अभिभावक समूह/ संघ के लाभ (Benefits of Parents Group / Association)

- दूसरे अभिभावकों में भी समान समस्याएं हैं, इसके द्वारा उन्हे भावनात्मक सहारा मिलता है। प्रैक्टिकल तौर से देखा जा सकता है कि दूसरों ने कैसे समस्या का समाधान किया है और कैसे समाधान की कोशिश कर रहे हैं।
- उन्हे उनके बच्चों के साथ अन्तःक्रिया के द्वारा विश्वास की बढ़ोतरी होती है। अभिभावकगण ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं, जिससे कि उनमें अपने बच्चों के विकासात्मक व्यवहार को समझने और उनका निरीक्षण करने की योग्यता आती है और उसी के अनुसार स्वीकृत कौशलों को को लागू करते हैं।
- दूसरों बच्चों के साथ कार्य करने का मौका मिलता है। इससे उन्हें अपने विचारों और व्यवहारों को सुधारने में अधिक सुरक्षित ढ़ग से सहायता मिलती है, द्वेष की भावना में कमी होती है।

अनुभाग-11

अभिभावक और परिवार के सदस्यों की भावनाएं व समायोजन प्रक्रिया

Topic 4

Feelings, Reactions and adjustment process of parents & sibling

जैसे ही किसी अभिभवक को अपने बच्चे की विकलांगता सन्दर्भ में पता चल जाता है तो वह अभिावको के लिए कठिन समस्या हो जाती है। अतः मानसिक विकलांगता के सन्दर्भ में बनाने के लिए निम्न मार्गदर्शनों का सहारा लेना चाहिए।

1. अभिभवको को शीघ्र अति शीघ्र बता देना चाहिए।
2. अभिभावकों को संयुक्त रूप से बनाना चाहिए।
3. बच्चा उस समय विद्यमान होना चाहिए। यह विचार उत्पन्न करता है कि बच्चा अमुल्य है।
4. विचार विनिमय प्राइवेट होना चाहिए।
5. समाचार देने वाला परिचित व्यक्ति होना चाहिए जैसे चिकित्सक
6. समाचार सरल से सरल शब्दों में दिया जाना चाहिए।
7. समाचार देने के पश्चात् शीघ्र अति शीघ्र साक्षात्कार का आयोजन करना चाहिए ताकि अभिभावक प्रश्न पूछ कर सलाह अर्जित कर सकें।
8. फोलो अप का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि समुदायिक सहायता, सलाह सूचना प्राप्त हो सके।

Feelings – भावनाएं

1. Biological feeling– जैविक भावना

जब एक माता पिता की आवंछित बच्चे की प्राप्ति होती है उनके मन में बच्चे के प्रति जो भावना होती है वह सब सपने टुट जाते है बच्चे के प्रति अधिक सावधानी की भावनाएं उत्पन्न होती है परिवार सदस्यों को समाज की रिजेक्शन को स्वीकार करना पड़ता है।

2. Feeling of inedequency _ असंतुलन की भावना :–

मानसिक विकलांग बच्चे के कारण माता पिता को अपने सैक्स संबधो में सीरियस शक उत्पन्न हो जाते है साथ ही सामान्य बच्चे से अधिक देखभाल की आवश्यकता भी माता पिता को भयभीत करती है।

3. Feeling of embarrassment _ शर्म की भावना :–

मानसिक विकलांग बच्चे के पास पड़ोस, धार्मिक संस्थान, बाजार या किसही भी सामाजिक स्थल में जाने पर अभिभावक शर्म महसूस करते है। क्योंकि उन्हें समाज अस्वीकृति का भय बना रहता है।

1. Feeling of fear _ डर की भावना :–

अभिभावक में बच्चे को पुर्नस्थान से संबधित डर बन जाता है विकलांग बच्चे के अभिभवको के साथ अन्य रिश्तेदार यह डरते है कि जीनस के द्वारा कहीं यह प्रभाव हम तक न पहुंच जाए तथा उनके बच्चे विकलांग उत्पन्न न हों।

समायोजन

मानसिक संकट	विभन्न रूप	आवश्यकताएं
सदमा लगना	भावनात्मक अस्थिरता, संदेह निष्क्रिय होना, अविश्वास तर्क, विरूद्ध (कुछ दिनो तक बना रहता है)	सहानुभुति और सहारा
प्रतिकिया दौर	दुख को अभ्यिक्त करता है गल्त धारनाएं, असर्मथता, असफलता और प्रतिरक्षा युक्तियों का प्रयोग	अभिभवकों को सुनना, उनके प्रति सहानुभूति पूर्ण परन्तु ईमानदार तरीके से सच्चाई तथ्यों को प्रकट करना
अनुकुल दौर	विकलांगता को जानना अभिभवकगण पुछते है कि क्या किया जाए। यह तत्परता का चिन्ह है कि हम कैसे उनकी सहायता कर सकते हैं।	चिकित्सीय तथा शैक्षिक स्तर पर उपयुक्त सुचनाओं को प्रदान करना।
ओरिएन्टशन दौर	अभिवक समस्याओं को स्वीकार कर लेते है तथा सुचनाओं के द्वारा समस्याओं को किस प्रकार कम किया जाए कार्य करने	अभिभवकों को उपचार के लिये नियमित सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध होने चाहिए

अनुभाग-12

एजेंसी और कार्यक्रम

Day Care Centre

संवधिान की धारा 46 समाज के कमजोर व्यक्तियों से संबधित व विशेष सेवाए प्रदान करने के लिए 'राज्य' को उतरदायी ठहराता है। विकलांग व्यक्ति भी समाज का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अतः विकास में समानता लाने के लिए विकलांग ग्रुप को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

शिक्षा के क्षेत्र में काफी संस्थाए खोली गई हैं फिर भी गांव में मंदबुद्धि शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। अधिकांश सेवाएं शहरों मकं उपलब्ध हैं। जैसे आवास केन्द्र, दैनिक केन्द्र, विशेष स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि।

आवासीय केन्द्र– इस तरह की योजना विशेष स्कूल से मिलती जुलती है लेकिन फर्क यह है कि जिस तरह बच्चे विशेष शिक्षक की देख रेख में कौशल सीखते हैं उसी तरह घर ना जाकर विशेष व्यवस्था एवं स्टाफ के संरक्षण में इसी तरह के आवासीय केन्द्र में रहते हैं। इस तरह की सुविधा उस जगह के लिए उपयुक्त है जहां सेवाएं आमतौर पर उपलब्ध नहीं हैं।

विशेष स्कूल– भारत मके मानसिक विकलांग बच्चों के लिए काफी नए विशेष स्कूल, एकीकृत शिक्षा एवं सामान्यीकरण की तरफ भी ध्यान दिया जाने लगा है।

मानसिक विकलागं बच्चों की कइ तरह की समस्याएं होती हैं अतः उनके पूर्ण विकास के लिए उन्हें विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण एवं निर्देशन की आवश्यकता होती है जिसमें बच्चे का पूर्ण विकास होता है। इनके पूर्ण विकास के साथ –साथ उनके प्रशिक्षण एवं शिक्षा में भी व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।

अभिभावक भी अपने बच्चों कोउन विशेष स्कूलों मे भेजना पसंद करते हैं जहां उनके बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। उन्हे मार्ग दर्शन मिलता है और साथ ही साथ उन बच्चों को एकीकृत सैटअप में भेजा जाता है परन्तु इस तरह की प्रणाली में एक कमी यही है कि एक विशेष स्कूल में सामान्य स्कूल के वातावरण का निर्माण तो कर सकते हैं परन्तु सामान्य स्कूल मे पूर्णतः अलग रहते है।

इस तरह हमेशा उन्हे एक सुरक्षित वातावरण मिलता है और मन्द बुद्धि बच्चे सभी सामान्य वातावरण एवं व्यक्तियों से वंचित रह जाते हैं। जिनके साथ उन्हें हमेशा रहना पड़ेगा।

दो राज्यों की सरकार ने जिलास्तर पर कम से कम एक स्कूल या डे केयर सैन्टर या अवासीय व्य स्था करने की कोशिश कर रही है। कुछ जिला स्तरीय हैडक्वाटर पर इस तरह की सेवायें दे रहे हैं।

जैसे मानसिक मंदता को डाइग्नोस करना, उनके लिए योजना बनाना एवं अभिभवकों को एसा प्रशिक्षण देना ताकि वे स्वंय बच्चे को घर पर रह कर प्रशिक्षण एवंशिक्षण दे सकें।

सामान्य स्कूल में विशेष कक्षा

१. सामान्य कक्षा में शिक्षा :– सामान्य कक्षा में एसे बच्चे भी उसी पाठ्यकम को पढ़ते हैं जिनकी बौधिक क्षमता कम होती है, उन्हें कुछ क्षेत्रों में अभिभावक एवं शिक्षक की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है।

२: नियमित कक्षा में शिक्षण साथ ही कुछ समय विशेष शिक्षा :– इस तरह की अवस्था में बच्चे को सामान्य कक्षा में पढाया जाता है, परन्तु सामान्य शिक्षक द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों को समझने में यदि समस्या हो तो उसे निश्चित समय के बाद रीसोर्स रूम में भेजा जाता है। जहां इसी पाठ्यकम को एक विशेष शिक्षक विशेष निर्देशों को समझाते है। इस तरह की अवस्था में सामान्य कक्षा के शिक्षक एवं रिसोर्स शिक्षक के बीच सांमाजस्य होना आवश्यक है ताकि एक ही पाठ्यकम को दोनो शिक्षक समझें व यमझायें।

३. सामान्य स्कूल मे विशष शिक्षक :– इस तरह के प्रवेश में उन बच्चों को फायदा पहुंचता है जिन्हें सामान्य कक्षा में पर्याप्त लाभ नहीं मिलता इनकी शैक्षिक आवश्यकताएं काफी आधारभूत होती हैं। इस तरह के समूह में अधिकतर सीवियर व मोडरेट मानसिक विकलांगता से ग्रस्त बच्चे लाभंवित होते हैं। उन्हें अशैक्षणिक गतिविधियां जैसे खेल, काफट, संगीत व शारीरिक शिक्षा आदि दी जाती है। ये बच्चे इन गतिविधियों में सामान्य बच्चों के साथ भाग ले सकते हैं।

Vocational Training (व्यवसायिक प्रशिक्षण)

व्यवसायिक प्रशिक्षण व्यवसायिक पुर्नवास, प्रकिया का एक तत्व है जिस प्रकार एक शारीरिक विकलांग व्यक्ति शारीरिक संग्रहण सेवाओं को प्राप्त कर अपनी खोई हुई क्षमता एक हद तक
प्राप्त कर कार्य कर पाता है, उसी प्रकार मानसिक विकलांग बच्चा इस शिक्षण द्वारा भावी समय में अपने व्यवसायिक पुर्नवास में आने वाली समस्याओं को दूर कर पाता है। तकनीकी सहायता जोव्यवसायिक प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त की जाती है उस द्वारा बच्चा अपनी विकलांगता के बावजूद भी कुछ हद तक नियोकता के द्वारा वांछित योग्यता के अनुसार प्रर्दशन कर पाता है।

व्यवसायिक प्रशिक्षण के उददेश्यः–

1. व्यवसायिक शिक्षण की दीर्घकालीन प्रकिया में बच्चे को गहन चिकित्सय, व्यवसायिक अध्यन किया जाता है क्योंकि व्यवसायिक पुर्नवास के दौरान मुख्य मनोबल स्त्रोत बन जाता है।

2. व्यवसायिक प्रशिक्षण के दौरान किए अध्यन से निकटगामी व दूरगामी समस्याएं जोकि व्यवसायिक प्रशिक्षण के दौरान अनुभव की जाएगीं का ज्ञान हो पायेगा।

3. यदि व्यवसायिक शिक्षण एक औद्योगिक क्षेत्र में प्रदान किया जाता है तो बच्चे को विशिष्ट वातावरण में शिक्षण देने से विकलांगता काफी दि तक विशिष्टता का स्थन ले पाती है।

व्यवसायिक पुर्नवास
Vocational Rehabilitation

पूर्व व्यवसायिक प्रशिक्षण
Pre-Vocational Training

व्यवसायिक प्रशिक्षण
Vocational Training

पूर्व व्यवसायिक प्रशिक्षण :– पूर्व व्यवसायिक प्रशिक्षण वह शिक्षण प्रकिया है जिसके दौरान भावी व्यवसाय में आने वाली शिक्षण से संबधित शिक्षण देना प्रारम्भ किया जाता है। जैसे पेचकस का प्रयोग उंगलियो द्वारा बोल्ट खोलना इसी तरह के अन्य कार्य जैसे हथोड़े स्कु ड्राइवर, स्पेनर चिमटा प्लास्टिक तार इत्यादि छोटे औजारों का प्रयोग।

जिस प्रकार एक सामान्य बच्चा अपने शिक्षण माहोल से निकल कर अपने वास्तविक जीवन में कार्य कर पाना है उसी प्रकार की दक्षता विकलागं बच्चे मे नही होती। अतः उनके सम्ल व्यवसायिक पुर्नवास के लिये हमें पूर्व व्यवसायिक शिक्षण आवश्यक रूप से देना होता है। इस शिक्षण का उददेश्य निम्न योग्यतायोंकीबच्चेद्वाराप्राप्तिकरवानेसेहैजैसे

1. पूछने पर अपना नाम बताता है
2. एक समय पर दी गई हिदायत को समझ लेता है।

3. जोड़ने की बुनयादी जानकारी हासिल करता है।
4. बुनयादी आवश्कताएं जैसे दर्द इत्यादि बताता है।
5. अपना बनाव श्रंगार करता है।
6. उपयुक्त रूप से जवाब देता है व हिदायतों का तुरन्त पालन करता है।
7. ठीक तरह से देखभल कर चलता है और अपने काम के स्थान को ध्यान में देकर चलता है।
8. बेहुदा व्यवहार न दिखाकर उचित ढंग से कार्य करता है।
9. अपने ढंग से चल कर या बताकर कार्य स्थल पर पहुंचता है।
10. साथियों की सलाह की आवश्यंकता पड़ने पर सलाह प्राप्त कर सकता है।
11. तीन से पांच शब्दों के वाक्यों में मौखिक उतर देता है।
12. मौखिक रूप से व्यक्गित समस्यायों को व्याख्या करता है।
13. व्यक्तिगत सफाई रखता है। हाथों की सफाई, बाल बनाना
14. अजनबियों से उचित व्यवहार करता है।
15. बिना विघन बाधा के काम करता है।
16. काम न होने पर निरिक्षक से सम्पर्क करता है।
17. सुरक्षा चेतावनी मिलने पर निरीक्षक से सम्पर्क करता है।
18. पैसे का महत्व समझता है।
19. अपने दाएं बाएं आदि शब्दों द्वारा दिए गए आदेशों को समझता है।
20. दिए गए काम को ठीक समय पर समाप्त कर समय का सदुपयोग करता है।
21. नियमों का बार बार उल्लघंन नहीं करता है और उन्हें समझता है।
22. काम पर हाजिर रहने व ठीक समय पर पहुंचने के महत्व को समझता है।
23. लगातार दो से तीन घंटे तक काम पर डटा रहता है।
24. जब कोई गल्ती हो तो निरिक्षक से मिलता है।
25. अकेले काम करता है और अपनी इच्छा से उत्पादन बढ़ाता है।

AGENCIES AND PROGRAMMES

व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण

मंदबुद्वि व्यक्तियों को जटिल कियात्मक कौशल सिखाने की दिशा में हाल के विाकस ने दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाना है और इन लोगों में आम जनता की तुलना में रोजगार देने के बारे में सोचने पर जोर दिया है। अमेरिका में कई अनुसंधान हुए*। जिससे अब अति मंदबुद्वि व्यक्तियों को आरक्षित व्यवसायिक वातावरण में रोजगार देने के निर्देश बताए गए हैं। इस विषय पर कई वैज्ञानिकों जैसे बेटस श्री कोसिल ने काम किए है और 1981 को अपनी रिर्पोट में कहा है। कि समीकित आरक्षित वातावरण में रोजगार वास्तविक सम्भव है।

मंदबुद्वि व्यक्तियों के लिए आरक्षित वातावरण में रोजगार पाने के लिए चार स्तर की बात कही गई है।

1. ऐसे मालिकों को खोज निकालना जो नोकरी कर सके, फिर निश्चित करना उसके अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
2. भावी कार्यकरो को प्रशिक्षित किया जाए।
3. उन्हें आरक्षित वातावरण में रखा जाए।
4. लम्बी अवधि के रूप में फालोअप की सुविधा और समय–समय पर प्रशिक्षित करने से मंदबुद्वि व्यक्तियों को उचित मार्गदर्शन देने।

सर्वेक्षण– नौकरियों की पहचान और अनुकूल प्रशिक्षण से यह अच्छी तरह ये ज्ञान हो सकता है। प्री स्कूल-प्राथमिक तथा माध्यमिक के स्तर के बच्चे क्या और किस स्तर का अभ्यास कर सकते हैं। इसकी चर्चा अन्य स्तर पर की जा चुकी है। सम्बन्धित कौशल प्राप्त कर लेने से इन बच्चों या व्यक्तियों को सामान्य लोगों के साथ हिलने मिलने में काफी सहायता मिलती है। इन बातों के अलावा सर्वावाइवल कौशल भी सिखाना चाहिए जैसे कार्य पूरा करना या निर्देश पालन करना इसी प्रकार के अन्य व्यवहार हैं। सहकर्मी से नमस्कार करना, अन्य को अभिवादन और प्रार्थना स्वीकार करना आदि। नौकरी सुरक्षित रहनाबहुत हद तक इन बातों पर निर्भर है। अतः इनकी उचित शिक्षा मिलनी चाहिए काम से संलग्न कौशल के अतिरिक्त इन व्यक्तियों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओ को अभिव्यक्त करना, वर्कशाप में सुरक्षित रूप से चलना, और काम में हिस्सा बटाना आदि में पारगत करना आवश्यक हो जाता है।

प्रशिक्षण– अति मंदबुद्वि व्यक्ति नई सीखी हुई कुशलताओं को अन्य अवस्थाओं में ढालने में असमर्थ होता है। अतः उन्हें ऐसे काम वातावरण से मिलते जुलते काम के वातावरण में सिखाना, चाहिए जिसमें आगे चलकर उनका समायोजन आसान हो सके। यहां व्यवसायिक कार्यकम के तीन प्रमुख नमूनों की समीक्षा की जा रही है।

1. व्यसकों के लिए दिन का कार्यकम/कम गतिविधि केन्द्र
2. रक्षित कार्यशाला और
3. प्रतिस्पर्धी रोजगार

व्यसको के लिए दिन का कार्यकम/कार्यविधि केन्द्र

वर्क ऐक्टिविटि सैन्टर डब्ल्यु.ए.सी. को अमेरिका के श्रम विभाग ने उन कार्यकमों को बताया है। जो केवल ऐसे विकल्प्रग कार्यकमो चिकित्सीय सहायता देने के लिए आयोजित किये जाते हैं।जिनकी शारीरिक या मानसिक बाधा इतनी अधिक है कि उनकी उत्पादन क्षमता निर्रथक होती है। चिकित्सीय कियाओं में परिक्षित कियाएं जैसे दैनिक जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से संबधित कौशल तथा उसी प्रकार लाभदायक कियाएं जिनका उत्पादन से सीधा प्रयोजन न हो।

इन केन्द्रों को सामसन्यत, चिकित्सीय गतिविधि केन्द्र, व्यस्क गतिविधि केन्द्र, विकासात्मक केन्द्र, दिवस उपचार केन्द्र, व्यसक दिवस, देखभल केन्द्र आदिनाम दिये गए है। इन केन्द्रों की पाठयकम सुची बहुधा स्वच्छता, व्यवहारिक प्रशिक्षण ,मनोरजंनात्मक और घर की देखभाल संबधित कुशलताओं के सन्दर्भ में रहती है। इन प्रशिक्षण की सहायता से अति मंद बुद्वि वाले लोगों को आरक्षित वातावरण में काम कर पाने में मदद मिलती है। इस सब के बावजूद ऐसे व्यक्तियों की आमदनी नाम मात्र हो पाती है। शोद्य कार्यो से कुछ अन्य बातों पर प्रकाश डाला है और दावा किया है कि अति मंदबुद्वि व्यक्तियों मके अर्थपूर्ण काम करने की क्षमता है और इसी प्रकार आमदनी भी होती है

विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यकम

संबधित रोजगार (Structured Employment) नमुने को विकास जी टामस हैनरी, हाबर्टहोर्जर आदि ने 1980 में किया। इसमें ऐसे निश्चित साधन की व्यवस्था की गई है जिससे मंद व्यसकों को सार्थक काम व उचित वेतन मिल सके। संरचित रोजगार निम्न धरनाओं पर बल देना है।

1. विस्तृत रोजगार पर जोर

संरचित रोजगार कार्य प्रशिक्षण और नियोजन पर जोर देता है। संरचित रोजगार को बढाई गई सेवा के रूप में माना जाता है न कि पुर्नवास उपचार का अंतवर्ता अवस्था जब तक समुचित काम न मिल जाए तब तक के लिएकाम करते रहने का उचित अवसर माना ता सकता है।

2. अति मंदबुद्वि लोगो को प्राथमिकता

जिन व्यक्तियो के लिए गैर व्यवसायिक कार्यकमो में अनुकुल व्यवस्था नहीं है, यहां संरचित रोजगार व्यवस्थ की गई थी।